रजिस्ट्री सं॰ डी॰-(73)

REGISTERED No. D.(D).73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28, 1976/फाल्गुन 9, 1897

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28, 1976/PHALGUNA 9, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभा

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1976

का॰ आ॰ 846.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करके, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में—

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) कोई सरकारी सेवक किसी कम्पनी या फर्म में अपने परिवार के किसी सदस्य को नियोजन दिलाने के लिए अपने पद का या प्रभाव का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रयोग नहीं करेगा,"

(ii) उपनियम (2) में ('प्राइवेट उपक्रम' तथा 'उपक्रम' 'कम्पनी या फर्म' शब्द रखे जाएंगे; और

(iii) उपनियम (3) में, 'उपक्रम' शब्द के स्थान पर जहां कहीं वे आए हैं, 'कम्पनी या फर्म' शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 13 में,—

(i) उपनियम (1) में 'उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को' शब्दों के स्थान पर 'अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को' शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) किसी अन्य मामले में, कोई सरकारी सेवक, सरकार की मंजूरी के बिना कोई उपहार प्रतिगृहीत नहीं करेगा अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य को अथवा अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को प्रतिगृहीत करने की अनुज्ञा नहीं देगा यदि उसका मूल्य—

(i) वर्ग 1 या वर्ग 2 पद धारण करने वाले किसी सरकारी सेवक की दशा में 75.00 रु॰ से अधिक है, और

148 GI/75—1

(ii) वर्ग 3 या वर्ग 4 पद धारण करने वाले किसी सरकारी सेवक की दशा में 25.00 रु० से अधिक है।"

4. उक्त नियमों के नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः-स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"13क कोई सरकारी सेवक—

(i) दहेज न तो देगा या लेगा अथवा उसके देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित ही करेगा, अथवा

(ii) यथास्थिति वधू या वर के माता पिता संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की मांग करेगा।

स्पष्टीकरण :—"इस नियम के प्रयोजनार्थ 'दहेज' का वही अर्थ होगा,' जो उसे दहेज प्रतिरोध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) में दिया गया है।"

[सं० 11013/12/75 स्था० (क)]

आर० सी० गुप्ता, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 13th February, 1976

S.O. 846.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309, and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller & Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit & Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Conduct) Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 4 of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (hereinafter referred to as the said rules)—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) No Government servant shall use his position or influence directly or indirectly to secure employment for any member of his family in any company or firm ;"

(ii) in sub-rule (2), for the words 'private undertaking' and 'undertaking', wherever they occur, the words 'company or firm' shall be substituted ; and

(iii) in sub-rule (3), for the word 'undertaking', wherever it occurs, the words 'company or firm' shall be substituted.

3. In rule 13 of the said rules,—

(i) in sub- rule (1), for the words 'any person acting on his behalf', the words 'any other person acting on his behalf' shall be substituted ;

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) In any other case, a government servant shall not accept, or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept any gift without the sanction of the Government, if the value thereof exceeds—

(i) Rs. 75.00, in the case of a Government servant holding any Class I or Class II post ; and

(ii) Rs. 25.00, in the case of a Government servant holding any Class III or Class IV post."

4. After rule 13 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

'13A. No government servant shall—

(i) give or take or abet the giving or taking of dowry ; or

(ii) demand, directly or indirectly, from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry.

Explanation.—For the purposes of this rule,, 'dowry' has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961)'.

[No. 11013/12/75-Estt.(a)]

R. C. GUPTA, Under Secy.

निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1976

का० आ० 847.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 348-एटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम व डाकखाना पिलुआ, जिला एटा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री महेन्द्र सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/348/74(501)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 3rd January, 1976

S.O. 847.—*Whereas the Election Commission is satisfied* that Shri Mahendra Singh, Village and P.O. Pilua, District Etah, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 348-Etah assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mahendra Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/348/74(501)]

आदेश

का० आ० 848.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 348-एटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिव मंगल सिंह, ग्राम पोस्ट मलावां, जिला एटा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिव मंगल सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/348/74(502)]

ORDER

S.O. 848.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sheomangal Singh, Village-Post Malawan, District Etah, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 348-Etah assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sheomangal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/348/74(502)]

आदेश

का० आ० 849.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 348-एटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुरेश, ग्राम नगला काभी, मजरा गढ़ी खदई, पोस्ट आफिस राजा का रामपुर, जिला एटा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है—

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुरेश को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/348/74(503)]

ORDER

S.O. 849.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Suresh, Village Nagla Kasi, Mazra Garhi Khadai, P.O. Raja Ka Rampur, District Etah, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 348-Etah assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Suresh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/348/74(503)]

आदेश

का० आ० 850.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 354-टूंडला (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गंगाधर, मोहल्ला गंज, फिरोजाबाद, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गंगाधर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/354/74(504)]

ORDER

S.O. 850.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gangadhar, Mohalla Ganj, Firozabad, District Agra, Utar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 354-Tundla (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Ac, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gangadhar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/354/74(504)]

आदेश

का० आ० 851.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 363-मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भगवान दास शर्मा, 19/ए गोविन्दनगर (मल्लपुरा) मथुरा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भगवान दास शर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि०स०/363/74(505)]

ORDER

S.O. 851.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhagwan Dass Sharma, 19/A, Govindnagar (Mallapura), Mathura, District Mathura, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 363-Mathura assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhagwan Dass Sharma to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/363/74(505)]

आदेश

का० आ० 852.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 363-मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम बाबू मोह० भैरोंगली, गुड़हाई बाजार, चौक मथुरा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम बाबू मोह० भैरोंगली को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/363/74(506)]

ORDER

S.O. 852.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Babu, Mohalla Bhairongali, Gurhai Bazar, Chowk, Mathura, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 363-Mathura assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Babu Mohalla Bhairongali to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/363/74(506)]

आदेश

का० आ० 853.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 364-छाता निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पुरूषोत्तम दास, मनीराम दास, कोसी कलां, तहसील छाता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पुरूषोत्तम दास को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि०स०/364/74(507)]

ORDER

S.O. 853.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Purushottam Dass, Maniramwas, Kosikalan, Tehsil

Chhata, District Mathura, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 364-Chhata assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Purushottam Dass to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/364/74(507)]

आदेश

का० आ० 854.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 364-छाता निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मूलचन्द, सेठवाडा, तिलकद्वार, मथुरा, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गये विनयमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मूलचन्द को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/364/74(508)]

ORDER

S.O. 854.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mool Chand, Sethwada, Tilakdwar, Mathura, District Mathura, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 364-Chhata assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mool Chand to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/364/74(508)]

आदेश

का० आ० 855.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 364-छाता निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शाहबुद्दीन, मनोहरपुरा, मथुरा, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शाहबुद्दीन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने और होने के लिये इस आदेश की तारीख के तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/364/74(509)]

ORDER

S.O. 855.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shahbuddin, Manoharpura, Mathura, District Mathura, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 364-Chhata assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shahbuddin to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/364/74(509)]

आदेश

का० आ० 856.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 362-गोवर्धन (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम सिंह, ग्राम व पोस्ट जमों, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने

जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/362/74(510)]

ORDER

S.O. 856.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Singh, Village and P.O. Jamo, District Aligarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 362-Govardhan (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/362/74(510)]

आदेश

का० आ० 857.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 365-माट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दुर्ग सिंह, 426-महौली की पार, मथुरा, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दुर्ग सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य के की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० वि० उ०प्र०-वि०स०/365/74(511)]

ORDER

S.O. 857.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Durg Singh, 426 Mohauli Ki Par, Mathura, District Mathura, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 365-Mat assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Durg Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/365/74(511)]

आदेश

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1976

का० आ० 858.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 268-करछना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिवा नन्द, ग्राम विसहिजन कलां, पो० आ० मेजा रोड, जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार, ने उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिवा नन्द को संसद के किसी भी सदन के या राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/268/74(512)]

ORDER

New Delhi, the 5th January, 1976

S.O. 858.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shiva Nand, Village Visahijan Kalan, P.O. Meja Road, District Allahabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 268-Karchana assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shiva Nand to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/268/74(512)]

आदेश

का० आ० 859.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 270-झूसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम शिरोमणि मिश्र, ग्राम व डाकघर जमुनीपुर, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम शिरोमणि मिश्र को संसद् के किसी भी सदन के या किसी विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/270/74(513)]

ORDER

S.O. 859.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Shiromani Misra, Village Post Jamunipur, District Allahabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 270-Jhusi assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Shiromani Misra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/270/74(513)]

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1976

का० आ० 860.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 317-बबेरु निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बंणु, ग्राम व पोस्ट परसौली, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन-व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बंणु को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/317/74(514)]

ORDER

New Delhi, the 7th January, 1976

S.O. 860.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bansoo, Village and P.O. Parsauli, District Banda Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 317-Baberu assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bansoo to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/317/74(514)]

आदेश

का० आ० 861.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 379-खुर्जा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नरेश प्रताप सिंह, ग्राम व डाकघर करोरा, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नरेश प्रताप सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/379/74(515)]

ORDER

S.O. 861.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Naresh Pratap Singh, Village and P. O. Karora, District Bulandshahr, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 379-Khurja assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Naresh Pratap Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/379/74(515)]

आदेश

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1976

का० आ० 862.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 316-कर्वी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बाबू लाल, ग्राम सुरवल, पो० आ० भदेदू जिला बांदा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बाबूलाल को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/316/74(516)]

ORDER

New Delhi, the 8th January, 1976

S.O. 862.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Babu Lal, Village Surwal, P.O. Bhadedu, District Banda, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 316-Karwi assembly constituency, has failed to lodge his account of election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, after considering the representation of the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Babu Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/316/74(516)]

आदेश

का० आ० 863.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 390-मोदीनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नरेन्द्र कुमार, मंडी भगवान गंज, मोदीनगर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नरेन्द्र कुमार को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/390/74(517)]

ORDER

S.O. 863.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Narendra Kumar, Mandi Bhagwan Ganj, Modinagar, District Meerut, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 390-Modinagar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Narendra Kumar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/390/74(517)]

आदेश

का० आ० 864.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 390-मोदीनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लिक्खी, ग्राम मीरापुर, डाकखाना पिलखुआ, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री लिक्खी को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/390/74(518)]

ORDER

S.O. 864.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Likkhy, Village Meerapur, P. O. Pilkhua, District Meerut, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 390-Modinagar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and, the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Likkhi to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/390/74(518)]

आदेश

का० आ० 865.—यत; निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 392-गढ़मुक्तेश्वर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बाबा लक्ष्मण दास, 132-बृजघाट, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बाबा लक्ष्मण दास को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/392/74(519)]

ORDER

S.O. 865.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Baba Laxman Dass, 132-Brij Ghat, District Meerut Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 392. Garhmukteshwar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Baba Laxman Dass to be disqulified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/392/74(519)]

आदेश

का० आ० 866.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 392-गढ़मुक्तेश्वर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मंजूर अहमद, पुत्र आशिक मुहम्मद, ग्राम बहादुरगढ़, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मंजूर अहमद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/392/74(520)]

ORDER

S.O. 866.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Manzoor Ahmad, S/o Ashaq Mohammad, Village Bahadurgarh, District Meerut, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 392. Garhmukteshwar assembly constituency, has failed to lodge his account of election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, after considering the representation of the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Manzoor Ahmad to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/392/74(520)]

आदेश

का० आ० 867.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 102-लखनऊ पश्चिम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एहसान अब्बास, 25 रूपपुर खदरा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एहसान अब्बास को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०/वि० स०/102/74(521)]

ORDER

S.O. 867.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ahsan Abbas, 25-Rooppur Khadra, Lucknow, Uttar Pradesh a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 102, Lucknow West assembly consti-

tuency, has failed to lodge his account of election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, after considering the representation of the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ahsan Abbas to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/102/74(521)]

आदेश

का० आ० 868.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 105-सरोजनी नगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सूर्यपाल सिंह, ग्राम खेरेहना, डा० मोहन लाल गंज, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सूर्य पाल सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/105/74(522)]

ORDER

S.O. 868.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Surya Pal Singh, Village Kharehna, P.O. Mohanlalganj, District Lucknow, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 105. Sarojininagar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Surya Pal Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/105/74(522)]

आदेश

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1976

का० आ० 869.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 395-सरधना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मलखन सिंह भारद्वाज, ग्राम बहराला, पो०आ०दौराला, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मलखन सिंह भारद्वाज को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/395/74 (523)]

ORDER

New Delhi, the 9th January, 1976

S.O. 869.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Malkhan Singh, Bhardwaj, Village Bahrala, P.O. Daurala, District Meerut Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 395. Sardhana assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Malkhan Singh Bhardwaj to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/395/74(523)]

आदेश

का० आ० 870.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचन के लिए 395-सरधना सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बल राम सिंह, शाहपुर फगौता, तहसील गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः श्री बलराम सिंह को जारी की गई सूचना अपरिदत्त वापस प्राप्त हो गई है क्योंकि अभ्यर्थी का ठौर ठिकाना विदित नहीं है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बलराम सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य के विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/395/74 (524)]

ORDER

S.O. 870.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bal Ram Singh, Shahpur Fagota Tahsil Ghaziabad, District Meerut, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 395. Sardhana Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the notice issued to Shri Bal Ram Singh has been received back undelivered as the whereabouts of the candidate are not known, and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bal Ram Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/395/74(524)]

आदेश

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1976

का० आ० 871:—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 396-मेरठ कैंट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री करम सिंह, 445, भगवतपुरा, मेरठ, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री करम सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/396/74 (525)]

ORDER

New Delhi, the 12th January, 1976

S.O. 871.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Karam Singh, 445-Bhagwatpura, Meerut, District Meerut Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 396. Meerut Cantt. assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Karam Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/396/74(525)]

आदेश

का० आ० 872.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 396-मेरठ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गिरवर सिंह, 70 बाउन्ड्री रोड, मेरठ, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गिरवर सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/396/74 (526)]

ORDER

S.O. 872.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Girvar Singh, 70. Boundary Road, Meerut, District Meerut Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 396. Meerut Cantt. assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Girvar Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/396/74(526)]

आदेश

का० आ० 873.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 396-मेरठ कैंट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नत्थू, ग्राम डूंगरावली, पो०आ०परतापुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नत्थू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०वि०स०/396/74(527)]

ORDER

S.O. 873.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nathu, Village Dungaraoli, P.O. Partapur, District Meerut Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 396. Meerut Cantt. assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nathu to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/396/74(527)]

आदेश

का० आ० 874.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 396-मेरठ कैंट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बलदेव राज, आर०ए०बाजार, मेरठ कैंट, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बलदेव राज को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/396/74(528)]

ORDER

S.O. 874.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Baldev Raj, R. A. Bazar, Meerut Cantt., District Meerut, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 396. Meerut Cantt. assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Baldev Raj to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/396/74(528)]

आदेश

का० आ० 875.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 396-मेरठ कैंट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम कृष्ण, मो० बकरी लालकुर्ती, मेरठ, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम कृष्ण को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/396/74(529)]

ORDER

S.O. 875.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Krishan, Mohalla Bakri, Lalkurti, Meerut, District Meerut, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 396. Meerut Cantt. assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, inpursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Krishan to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/396/74(529)]

आदेश

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1976

का० आ० 876.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 369-सासनी (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भूप सिंह, कस्बा तथा पो० आ० मैंडू, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भूप सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/369/74(530)]

ORDER

New Delhi, the 16th January, 1976

S.O. 876.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhoop Singh, Town and P.O. Medu, District Aligarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 369. Sasni (SC) assembly constituency, has failed to lodge his account of election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, after considering the representation of the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhoop Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parlament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/369/74(530)]

आदेश

का० आ० 877.—यतः; निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 377-खैर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राधेश्याम शर्मा, ग्राम राना, पत्रालय भैमती, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राधेश्याम शर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/377/74(531)]

ए० एन० सैन, सचिव

ORDER

S.O. 877.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Radhey Shyam Sharma, Village Rana, P.O. Bhaimati, District Aligarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 377. Khair assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Radhey Shyam Sharma to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/377/74(531)]

A. N. SEN, Secy.

आदेश

का० आ० 878.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1975 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 130-महुधा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री विजयकुमार जीवन्तसिंह राठौड, हमीरजी नी मुवाडी, डाकखाना महिसा, ताल्लुका नडियड, जिला कैरा (गुजरात), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री विजयकुमार जीवन्तसिंह राठौड को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० गुज०-वि०स०/130/75(11)]

ORDER

S.O. 878.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Vijaykumar Jivantsinh Rathod, Hamirjini Muvadi, Post Mahisa, Taluka Nadiad, District Kaira (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June 1975, to the Gujarat Legislative Assembly from 130-Mahudha constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Vijaykumar Jivantsinh Rathod to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ/LA/130/75(11)]

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1976

का० आ० 879.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1975 में हुए गुजरात विधान-सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 144-सनखेडा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जठाभाई रनछोड़ ताड़वी, अंकाखेडा खास, ताल्लुका सनखेडा, जिला बड़ौदा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जेठाभाई रनछोड़ ताडवी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० गुज०-वि०स०/144/75(12)]

ORDER

New Delhi, the 17th January, 1976

S.O. 879.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jethabhai Ranchhod Tadvi, At and Post Ankakheda, Taluka Sankheda, District Baroda (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June 1975, to the Gujarat Legislative Assembly from 144-Sankheda constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jethabhai Ranchhod Tadvi to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ/LA/144/75(12)]

आदेश

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1976

का० आ० 880.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1975 में हुए गुजरात विधान-सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 60-धोलका निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री टीडाभाई भूदारभाई वधारी, धोलका, बर्कोठा धोलका, जिला अहमदाबाद (गुजरात), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री टीडाभाई भूदारभाई वधारी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है;

[सं० गुज०-वि०स०/60/75(13)]

ORDER

New Delhi, the 24th January, 1976

S.O. 880.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Tidabhai Bhudarbhai Vaghari, Dholka, Barkotha Dholka District Ahmedabad (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June 1975, to the Gujarat Legislative Assembly from 60-Dholka constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Tidabhai Bhudarbhai Vaghari to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/60/75(13)]

आदेश

का०आ० 881.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1975 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 64-सरखेज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री श्री जयन्तीभाई छोटाभाई पटेल, उवारसाद, ताल्लुका गांधीनगर, जिला गांधीनगर (गुजरात), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जयन्तीभाई छोटाभाई पटेल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान-परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं०गुज०-वि०स०/64/75(14)]

ORDER

S.O. 881.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jayantibhai Chhotabhai Patel, Uwarsad, Taluka Gandhinagar, District Gandhinagar (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June 1975, to the Gujarat Legislative Assembly from 64-Sarkhej constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas he said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jayantibhai Chhotabhai Patel to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/64/75(14)]

आदेश

का० आ० 882.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1975 में हुए गुजरात विधान-सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 67—साबरमती निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कानू नरहरीलाल भवसार, 1373 देवदीनी पोल, खड़िया-2, अहमदाबाद (गुजरात), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कानू नरहरीलाल भवसार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० गुज०-वि०स०/67/75(15)]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

ORDER

S.O. 882.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kanu Narharilal Bhavsar, 1373, Devdini Pole, Khadia-2, Ahmedabad (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June 1975, to the Gujarat Legislative Assembly from 67-Sabarmati constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kanu Narharilal Bhavsar to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/64/75(15)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1976

का०आ० 883.—एकाधिकार एवं निबन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स महिला उद्योग लिमिटेड के कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 839/72 दिनांक 8-2-1972) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[संख्या 2/4/75-एम 2]

एम०सी० वर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 9th February, 1976

S.O. 883.—In pursuance of sub-section (3) of section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of registration of M/s. MAHILA UDYOG LIMITED under the said Act (certificate of registration No. 839/72 dated the 8th February, 1972).

[No. 2/4/75-M. II]

M. C. VERMA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1975

(आयकर)

का०आ० 884.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-ग की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बलराम मन्दिर, कलकत्ता को, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ पश्चिमी बंगाल राज्य में सर्वत्र, विख्यात लोकपूजा का स्थान अधिसूचित करती है।

[सं० 1183 (फा० संख्या 176/99/75—आई.टी.ए.आई.)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 31st December, 1975

(INCOME TAX)

S.O. 884.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) (b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies Balram Mandir, Calcutta to be a place of public worship of renown throughout the State of West Bengal for the purposes of the said Section.

[No. 1183 (F. No. 176/99/75-ITAI)]

का०आ० 885.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-छ की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुरुद्वारा दुःख निवारण साहिब, हैबोवाल कलां, जिला लुधियाना को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ पंजाब राज्य में सर्वत्र, विख्यात लोकपूजा का स्थान अधिसूचित करती है।

[सं० 1184 /फा०संख्या 176/51/75-आई०टी०ए०आई०)]

टी० पी० झुनझुनवाला, उप-सचिव

S.O. 885.—In exercise of the powers confrerred by sub-section (2) (b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies Gurudwara Dukh Niwaran Sahib, Haibowal Kalan, District Ludhiana to be a place of public worship of renown throughout the State/Punjab for the purposes of said Section.

[No. 1184/F. No. 176/51/75-ITAI]

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1976

का०आ० 886.—कृषिक पुनर्वित्त निगम तथा विकास निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10) की धारा 10 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री टी० पी० सिंह के स्थान पर कृषि और सिंचाई मंत्रालय, कृषि विभाग के सचिव श्री के० एस० नारंग को कृषिक पुनर्वित्त तथा विकास निगम के निदेशक के रूप में नामित करती है।

[सं० एफ० 14-3/75-ए०सी०]

(Department of Banking)

New Delhi, the 6th February, 1976

S.O. 886.—In exercise of the powers conferred upon it by clause (c) of section 10 of the Agricultural Refinance & Development Corporation Act, 1963 (10 of 1963), the Central Government hereby nominates Shri K. S. Narang, Secretary, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation, as a Director of the Agricultural Refinance & Development Corporation *vice* Shri T. P. Singh.

[No. F. 14-3/75-AC]

का०आ० 887.—कृषिक पुनर्वित्त निगम तथा विकास निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10) की धारा 10 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एम० ए० कुरेशी के स्थान पर कृषि और सिंचाई मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री आई० जे० नायडू को कृषिक पुनर्वित्त तथा विकास निगम के निदेशक के रूप में नामित करती है।

[सं० एफ० 14-3/75-ए०सी०]

के० भवानी, उप सचिव

S.O. 887.—In exercise of the powers conferred upon it by clause (c) of section 10 of the Agricultural Refinance & Development Corporation Act, 1963 (10 of 1963), the Central Government hereby nominates Shri I. J. Naidu, Secretary, Department of Rural Development, Ministry of Agriculture & Irrigation as a Director of the Agricultural Refinance & Development Corporation *vice* Shri M. A. Quraishi.

[No. F. 14-3/75-AC]

K. BAVANI, Dy. Secy.

समाहर्ता कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

मद्रास, 1 सितम्बर, 1975

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का०आ० 888.—1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के 5वें नियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा, मद्रास और कोयम्बतूर में तैनात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उप समाहर्ताओं को, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944, के नियम 173-छ(4) के अंतर्गत समाहर्ता की शक्तियों के प्रयोग का प्राधिकार प्रदान करता हूं।

[सी० सं०-IV/16/391/62-के०उ०-III]

सी० चिदम्बरम, समाहर्ता

The Madras Central Excise Collectorate

Madras, the 1st September, 1975

CENTRAL EXCISES

S.O. 888.—In exercise of the powers conferred on me under rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby authorise the Deputy Collectors of Central Excise, Madras and Coimbatore to exercise the powers of Collector under rule 173 G(4) of the Central Excise Rules, 1944.

[C. No.-IV/16/391/62 CXIII]

C. CHIDAMBARAM, Collector

बम्बई केंद्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय

का०आ० 889.—इस समाहर्तालय की दिनांक 2 दिसम्बर, 1971 की अधिसूचना संख्या सी०ई०आर०/173जी(4)/71 के साथ नत्थी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की सूची में आगे निम्नलिखित संशोधन आदेशित किये जाते हैं :—

क्रम संख्या 27 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि की जाये :—

कालम 1	कालम 2	कालम 3	कालम 4
क्रम संख्या	टैरिफ मद संख्या	विवरण	(महत्वपूर्ण कच्चे माल का नाम)
28	4 II	सिगरेट	(i) अविनिर्मित तम्बाकू (ii) टिशू पेपर

[फा० संख्या V-(30)29/मिस्लें/74]

ई० आ० श्रीकण्ठय्या, समाहर्ता

Bombay Central Excise Collectorate

S.O. 889.—The following further amendments are ordered in the list of excisable commodities appended to this Collectorate Notification No. CER/173-G(4)/71, dated the 2nd December, 1971.

After S. No. 27 insert the following :—

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
Sr. No.	T.I.No.	Description	(Name of the important Raw Material)
28	4 II	Cigarettes	(i) unmanufactured tobacco (ii) Tissue paper.

[F No. V. (30) 29/Misc./75]

E. R. SRIKANTIA, Collector

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय मध्य प्रदेश एवं विदर्भ

नागपुर, 19 जनवरी, 1976

का० आ० 890.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली 1944 के नियम 15 और 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं अधिसूचित करता हूं कि इस समाहर्ता क्षेत्र की अधिसूचना सं० 8/68 दिनांक 28 अक्तूबर, 1968 में आगे निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा ।

क्रमसंख्या 29 (बिलासपुर जिला) के सामने 'तालाब तल क्षेत्र' शब्दावली हटा ली जाएंगी ।

[प० सं० IV (16) 44/74/सांख्यिकी]

रवीन्द्रनाथ शुक्ल, समाहर्ता

(Central Excise Collectorate M.P. & Vidharbha)

Nagpur, the 19th January, 1976

S.O. 890.—In exercise of the powers conferred under Rules 15 and 16 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby notify that the following further amendment shall be made in this Collectorate notification No. 8/68-CE dated the 28th October, 1968.

Against Serial No. 29 (Bilaspur District) the words "Tank Bed Areas" shall be deleted.

[C. No. IV(16)44/74/St]

R. N. SHUKLA, Collector

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय

कानपुर, 8 सितम्बर, 1975

का० आ० 891.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 173-जी० के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा पृष्ठांकन पत्र सं० वी (8)(30) II-टेक०/71/पार्ट-II/9007 दिनांक 27-2-73 के अधीन निर्गत व्यापार सूचना सं० 1/73 दिनांक 9-1-73 के अधीन पहले से निर्धारित मुख्य कच्ची सामग्री के अतिरिक्त टैरिफ मद सं० 1-ई के अंतर्गत आने वाले ग्लूकोज के सम्बन्ध में "टैपियोका-स्टार्च" को मुख्य कच्ची सामग्री के रूप में निर्धारित करता हूं।

[पत्र सं०—वी (30) (8) 361—टेक०/75/39223]

के० एस० दीलीपसिंह जी, समाहर्ता

148 GI/75—3

(Central Excise Collectorate)

Kanpur, the 8th September, 1975

S.O. 891.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of Rule 173-G of the Central Excise Rules, 1944, I hereby prescribe "Tapioca Starch" as a principal raw material in respect of Glucose falling under Tariff Item No. 1-E in addition to the principal raw material already prescribed under Notification No. 1/73 dt. 9-1-73 issued under Endorsement C. No. V(8)(30)II-Tech/71/Pt.II/9007 dated 27-2-1973.

[C. No. V(30)(8)361-Tech/75/39223]

K. S. DILIPSINHJI, Collector

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय

बड़ौदा, 27 अक्तूबर, 1975

सीमा शुल्क

का० आ० 892.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 9 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, गुजरात राज्य, बलसार जिला 'नवसारी' को भांडागार स्थान (वेयरहाउसिंग स्टेशन) होने की घोषणा करता हूं ।

[सं० VIII/48-31/सी०शु० 75]

(Central Excise Collectorate)

Baroda, the 27th October, 1975

CUSTOMS

S.O. 892.—In exercise of the powers conferred on me by Section 9 of the Customs Act, 1962, I declare 'NAVSARI', District Bulsar, in the State of Gujarat, to be a warehousing station.

[No. VIII/48-31/Cus/75]

बड़ौदा, 24 अक्टूबर, 1975

विनिर्मित उत्पादन

का० आ० 893.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 96-जेड० ओ० के उपनियम 3 के अधीन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक समाहर्ताओं को, विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत काम करने वाले विनिर्माता को, उनको दी गई अनुमति की अवधि के दौरान ऐसी प्रक्रिया का उपयोग न करने के लिए उचित सूचना देने में उनकी असफलता के लिए, ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत काम करने से (उनको) रोकने के लिए, शक्तियां प्रत्यायोजित करता हूं।

[सं० V. 19(8) 1-75/एम०पी०]

एच० आर० सीएम, समाहर्ता

Baroda, the 24th October, 1975

MANUFACTURED PRODUCTS

S.O. 893.—In exercise of the powers conferred upon me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I delegate to Assistant Collectors of Central Excise the powers under sub-rule 3 of rule 96-ZO of the Central Excise Rules, 1944, to preclude a manufacturer from working under the special procedure for failure to give proper notice for not availing of such procedure during the period for which permission has been granted to him.

[No. V. 19(8) 1-75/MP.]

H. R. SYIEM, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1976

का० आ० 894.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3031, तारीख 20 सितम्बर, 1965 को अधिक्रान्त करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम लघु इंजीनियरी उत्पाद निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में —

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है।

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मान्यता प्राप्त निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है ।

(ग) 'परिषद्' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है ।

(घ) 'लघु इंजीनियरी उत्पादों' से इन नियमों की अनुसूची–1 में वर्णित कोई भी वस्तु अभिप्रेत है ।

3. निरीक्षण का आधार :—निर्यात के लिए लघु इंजीनियरी उत्पादों का निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जाएगा कि लघु इंजीनियरी उत्पाद इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं । नमूना साधारणतः इन नियमों की अनुसूची–2 या अनुसूची–3 में उल्लिखित सारणी के अनुसार लिया जाएगा। तथापि यदि अभिकरण की राय में परेषण एकरूप क्वालिटी का नहीं है तो नमूने का मापमान अभिकरण के विवेकानुसार बढ़ा दिया जाएगा ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) लघु इंजीनियरी उत्पादों में से किसी का भी निर्यात करने का आशय रखने वाला निर्यातकर्ता ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना देगा और ऐसी सूचना के साथ सभी तकनीकी विशेषताओं का विवरण देते हुए निर्यात संविदा के करार पाए गए, विनिर्देशों की घोषणा, अभिकरणों में से किसी एक को, उसे नियम 3 के अनुसार निरीक्षण करने में समर्थ बनाने के लिए, भेजेगा । साथ साथ निरीक्षण के लिए ऐसी सूचना की एक प्रति निर्यात निरीक्षण परिषद् के निकटतम कार्यालय को भेजेंगे । परिषद् के पते निम्न हैं:—

(क) मुख्य कार्यालय	निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर' आठवीं मंजिल, 14/1-बी, एज़रा स्ट्रीट, कलकत्ता–1
(ख) प्रादेशिक कार्यालय	(1) निर्यात निरीक्षण परिषद्, अमन चैम्बर्स, 5वीं मंजिल, 113, म० कर्वे रोड, मुंबई–4
	(2) निर्यात निरीक्षण परिषद्, मनोहर बिल्डिंग्स, महात्मा गांधी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन–11
	(3) निर्यात निरीक्षण परिषद्, 13/37, पश्चिमी विस्तार क्षेत्र, आर्य समाज रोड, नई दिल्ली–5

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा पोत लदान की प्रत्याशित तारीख से कम-से-कम दस दिन पहले अभिकरण के कार्यालय में पहुंच जाएगी ।

(3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्येक सूचना और घोषणा प्राप्त होने पर, अभिकरण लघु इंजीनियरी उत्पादों का निरीक्षण नियम 3, और इस बारे में परिषद् द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के, यदि कोई हों, के अनुसार करेगा ।

(4) निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात्, अभिकरण, परेषण के पैकेजों को इस ढंग से, यह सुनिश्चित करते हुए, तुरन्त ही सील करेगा कि सील किए हुए माल को बिगाड़ा नहीं जा सके । परेषण के अस्वीकृत होने की दशा में, यदि निर्यातकर्ता ऐसी वांछा करें, परेषण अभिकरण द्वारा सील नहीं किया जाएगा । तथापि ऐसी दशाओं में, निर्यातकर्ता, अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा।

(5) जब अभिकरण का समाधान हो जाए कि लघु इंजीनियरी उत्पादों का परेषण नियम 3 की अपेक्षाओं के अनुपालन में है, तो वह निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात् 3 दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए निर्यातकर्ता को प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि परेषण क्वालिटी नियंत्रण संबंधी शर्तों की पूर्ति करता है तथा निर्यात योग्य है । अभिकरण परिषद् को साथ-साथ ऐसे प्रमाणपत्र की एक प्रति भेजेगा, परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हुआ है, वहां वह उक्त तीन दिनों की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और ऐसे इंकार की सूचना, उसके लिए कारणों सहित, निर्यातकर्ता को संसूचित करेगा ।

5. निरीक्षण का स्थान:—इन नियमों के प्रयोजनार्थ लघु इंजीनियरी उत्पादों का निरीक्षण—

(क) विनिर्माता के परिसरों में; या

(ख) उन परिसरों में जिसमें निर्यातकर्ता द्वारा माल प्रस्तुत किया जाता है;

परन्तु यह तब जबकि वहां इस कार्य के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों ।

6. निरीक्षण फीस :—पच्चीस रुपए की न्यूनतम राशि के अधीन रहते हुए, पोत–पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक एक सौ रुपए के लिए 20 पैसे की दर से फीस, निरीक्षण फीस के रूप में निर्यातकर्ता द्वारा, एक ही समय और एक ही परिसर में प्रस्तुत की गई किसी वस्तु विशेष के एक या अधिक परेषणों के लिए दी जाएगी ।

7. अपील :—(1) नियम 4 के उप-नियम (5) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाणपत्र देने से इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार की संसूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कम-से-कम तीन किन्तु सात से अनधिक व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा ।

(2) पेनल विशेषज्ञों के पैनल के कुल सदस्यों में से कम-से-कम दो तिहाई गैर-सरकारी सदस्य होंगे ।

(3) पेनल की गणपूर्ति तीन की होगी ।

(4) प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपील का निपटारा किया जाएगा।

अनुसूची-1

[नियम 2(घ) देखिये]

(लघु इंजीनियरी उत्पाद)

I. घरेलू सामान--

1. पीतल के बर्तन
2. बर्नर सहित, ब्लो लैंप
3. तांबे के बर्तन
4. मृदु इस्पात की बाल्टियां
5. बर्नर सहित तेल दाब स्टोव
6. तेल दाब लालटेन
7. कैंचियां
8. छाते

II. निर्माण धातु सामग्री—

1. दराज के ताले, अलमारी के ताले, बाक्स के ताले, सूटकेस के ताले, पोर्टफोलियो के ताले और ब्रीफकेस के ताले ।
2. बाड़ें लगाने के लिए जस्ती इस्पात के कांटेदार तार
3. गमले
4. कब्जे
5. मृदु इस्पात के तार की कीलें
6. मार्टिस ताले (उर्ध्वाधर प्रकार के)
7. पैडलाक
8. पैडलाकों के साथ प्रयुक्त होने वाले दरवाजे के सरकवां बोल्ट
9. टावर बोल्ट
10. तार की जाली

III. छूरी कांटे—

1. कांटे
2. छूरी
3. चम्मच

अनुसूची-2

[नियम 3 देखिये]

(केवल ब्लो लैंप, तेल-दाब स्टोव और तेल-दाब लालटेनों के लिए लागू होगा)

नमूना लेने के लिए सारणी

(1)	(2)	(3)	
परेषण का आकार	वृष्टिगत और लम्बाई-चौड़ाई संबंधी निरीक्षण और वायुदाब परीक्षण के लिए	अन्य सभी परीक्षण	संदोषों की अनुज्ञेय संख्या
		स्तम्भ (2) के 'क' के लिए	स्तम्भ (2) के 'ख' के लिए
	क	ख	
50 तक	3	1	0 कुछ नहीं
51 से 100 तक	5	1	0
101 से 150 तक	8	1	0
151 से 300 तक	13	1	0
301 से 500 तक	20	1	1
501 से 1000 तक	32	2	2
1001 और अधिक	50	3	3

अनुसूची-3

[नियम 3 देखिए]

(ब्लो लैंप, तेल-दाब स्टोव और तेल-दाब लालटेनों से भिन्न वस्तुएं)

नमूना लेने की सारणी

(1)	(2)	(3)	
परेषण का आकार	वृष्टिगत और लम्बाई चौड़ाई संबंधी निरीक्षण और बाल्टियों के रिसने परीक्षण के लिए	अन्य सभी परीक्षण	संदोषों की अनुज्ञेय संख्या
		स्तम्भ 2 के 'क' के लिए	स्तम्भ 2 के 'ख' के लिए
	क	ख	
15 तक	2	1	0
16 से 25	3	1	0 कुछ नहीं
26 से 50	5	1	0
51 से 100	5	1	0
101 से 150	8	2	0
151 से 300	13	2	0
301 से 500	20	3	1
501 से 1000	32	3	2
1001 से 3000	50	4	3
3001 से 10000	80	5	5
10001 और अधिक	125	6	7

[सं० 6/14/74-नि०नि० तथा नि०उ०]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 21st February, 1976

S.O. 894.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 3031, dated the 20th September, 1965, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—These rules may be called the Export of light Engineering Products (Inspection) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules,—

(a) 'Act' means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) 'Agency' means any one of the Inspection Agencies recognised under section 7 of the act;

(c) 'Council' means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(d) 'light engineering products' means any of the articles mentioned in Schedule I to these rules.

3. **Basis of Inspection.**—Inspection of light engineering products for export shall be carried out with a view to seeing that the light engineering products conform to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act. Sampling shall generally be done as per the Table mentioned in Schedule II or Schedule III to these rules. If, however, in the opinion of the Agency, the consignment is not of uniform quality, the scale of sampling may be increased at the discretion of Agency.

4. **Procedure.**—(1) The exporters intending to export any of the light engineering products shall give intimation in writing of their intention so to do and submit along with such intimation a declaration as to the agreed specification of the export contract giving details of all the technical characteristics to any one of the Agencies, to enable it to carry out the inspection in accordance with rule 3. They shall, at the same time, endorse a copy of such intimation for inspection to the nearest office of the Export Inspection Council. The addresses of the Council are as nder :—

(a) Head office — Export Inspection Council, "World Trade Centre", 7th floor, 14/1-B, Ezra Street, Calcutta-1.

(b) Regional offices
(i) Export Inspection Council, "Aman Chambers", 4th floor, 113, Maharshi Karve Road, Bombay-4.
(ii) Export Inspection Council, Manohar Buildings, Mahatma Gandhi Road, Ernakulam, Cochin-11.
(iii) Export Inspection Council, 13/37, W.E.A., Arya Samaj Road, New Delhi-5.

(2) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall reach the office of the Agency not less than ten days before the expected date of shipment.

(3) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (2), the Agency shall carry out the inspection of light engineering products in accordance with rule 3 and the instructions, if any, issued by the Council in this regard.

(4) After completion of inspection, the Agency shall immediately seal the packages in the consignment in a manner as to ensure that the sealed goods cannot be tampered with. In case of rejection of a consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the Agency. In such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

(5) When the Agency is satisfied that the consignment of light engineering products comply with the reqirements of rule 3, it shall issue within three days after the completion of inspection a certificate to the exporter declaring that the consignment satisfies the conditions relating to quality control and inspection and is exportworthy. The Agency shall simultaneously endorse a copy of such certificate to the Council provided that where the Agency is not so satisfied, it shall within the said period of three days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with reasons therefor.

5. **Place of inspection.**—Inspection of light engineering products for the purposes of these rules, shall be carried out—

(a) at the premises of the manufacturer; or

(b) at the premises at which the goods are offered by the exporter provided that adequate facilities for the purposes exist therein.

6. **Inspection fee.**—Subject to a minimum of rupees twenty five, a fee at the rate of twenty paise for every hundred rupees of the f.o.b. value shall be paid by the exporter to the Agency as Inspection fee for one or more consignments of any particular article offered at one time and at one premises.

7. **Appeal.**—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (5) of the rule 4 may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two-thirds of the total membership of the panel of experts shall consist on non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

SCHEDULE I

[See rule 2(d)]

(Light engineering products)

I. Household Articles

1. Brass utensils
2. Blow lamp including burner
3. Copper utensils
4. Mild steel buckets
5. Oil pressure stove including burner
6. Oil pressure lantern
7. Scissors
8. Umbrellas

II. Boilder's Hardware

1. Drawer locks, cupboard locks, box locks, suitcase locks, profolio locks and briefcase locks.
2. Galvanised steel barbed wire for fencing
3. Ghamellas
4. Hinges
5. Mild steel wire nails
6. Mortice locks (verticle type)
7. Padlocks
8. Sliding door bolts for use with padlocks
9. Tower bolts
10. Wire gauze

III. Cutlery

1. Forks
2. Knives
3. Spoons

SCHEDULE II

[See rule 3]

(Applicable only for Blow lamp, oil pressure stove and Oil pressure lanterns)

Sampling Table

(1)	(2)		(3)	
Consignment size	For visual and diamensional inspection and Air pressure test	All other tests	Permissible No. of defectives	
			For A of column 2	For B of Column 2
	A	B		
Up to 50	3	1	0	
51 to 100	5	1	0	
101 to 150	8	1	0	
151 to 300	13	1	0	Nil
301 to 500	20	1	1	
501 to 1000	32	2	2	
1001 and above	50	3	3	

SCHEDULE III

[*See* rule 3]

(Articles other than blow lamp, oil pressure stove and oil pressure lanterns)

Sampling Table

(1)	(2)		(3)	
Consignment size	For visual and dimensional inspection and leak test for buckets	All other tests	Permissible No. of defectives	
			For A of Column 2	For B of Column 2
	A	B		
Up to 15	2	1	0	
16 to 25	3	1	0	
26 to 50	5	1	0	
51 to 100	5	1	0	
101 to 150	8	2	0	
151 to 300	13	2	0	
301 to 500	20	3	1	Nil
501 to 1000	32	3	2	
1001 to 3000	50	4	3	
3001 to 10000	80	5	5	
10001 and above	125	6	7	

[No. 6/14/74/E1 & EP]

आदेश

का० आ० 895.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए लघु इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात से पूर्व निरीक्षण कराने के लिए कतिपय प्रस्थापनाएं निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) द्वारा यथाअपेक्षित, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 312, ता० 25 जनवरी, 1975 के अन्तर्गत, भारत के राजपत्र भाग- 2, खंड- 3, उपखंड- (ii), ता० 1 फरवरी, 1975 में पृ० 494 से पृ० 508 पर प्रकाशित की गई थी;

और उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर आक्षेप तथा सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 10 फरवरी, 1975 तक उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1034, ता० 28 मार्च, 1966 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है,

(1) अधिसूचित करती है कि इस आदेश के उपाबंध I में विनिर्दिष्ट लघु इंजीनियरी उत्पादों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण किया जाएगा,

(2) लघु इंजीनियरी उत्पाद निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1976 के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को, ऐसे प्रकार के निरीक्षण के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे लघु इंजीनियरी उत्पादों पर लागू होगा;

(3) लघु इंजीनियरी उत्पादों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में, इस आदेश के उपाबंध II में दिए गए विनिर्देशों के न्यूनतम के अधीन रहते हुए, लघु इंजीनियरी उत्पादों के लिए निर्यातकर्ता द्वारा घोषित किए गए विनिर्देशों को निर्यात संविदा के करार पाए गए विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में पूर्वोक्त लघु इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात का तब तक प्रतिषेध करती है, जब तक कि उनके साथ उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन इस प्रयोजनार्थ मान्यताप्राप्त निरीक्षण अभिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र न हो कि ऐसी लघु इंजीनियरी उत्पादों का परेषण निरीक्षण से संबंधित शर्तों के अनुरूप है ।

2. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं के उक्त लघु इंजीनियरी उत्पादों के उन नमूनों के स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा निर्यात पर लागू नहीं होगी जिनका पोत पर्यन्त शुल्क सौ रुपए से अधिक नहीं है ।

3. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

उपाबन्ध- I

[पैरा 1 का उप पैरा (1) देखिए]

लघु इंजीनियरी उत्पाद

1. **घरेलू वस्तुएं**

1. पीतल के बर्तन
2. बर्नर सहित ब्लो लैंप
3. बर्नर सहित तेल-दाब स्टोव
4. मृदु इस्पात की बाल्टियां
5. बर्नर सहित तेल-दाब स्टोव
6. तेल-दाब लालटेन
7. कैंचियां
8. छाते

2. **निर्माण धातु सामग्री**

1. वराज के ताले, अलमारी वाले ताले, बाक्स के ताले, सूटकेस के ताले, पोर्टफोलियो के ताले तथा ब्रीफकेस के ताले
2. बाड़ लगाने के लिए जस्ता इस्पात की तार
3. तसले
4. कब्जे
5. मृदु इस्पात के तार की कीलें
6. मार्टिस ताले (ऊर्ध्वाधर प्रकार के)
7. पैंडलाक
8. पैंडलाक के साथ प्रयुक्त होने वाले दरवाजे के सरकवां बोल्ट
9. टावर बोल्ट
10. तार गेज

3. **छूरी कांटे**

1. कांटे
2. चाकू
3. चम्मच

उपाबंध- II

[पैरा 1 का उप-पैरा I (3) देखिए]

लघु इंजीनियरी उत्पादों के लिए मानक विनिर्देश

घरेलू समान

1. पीतल के बर्तनों के लिए विनिर्देश

1. पीतल के बर्तनों को उन पीतल की वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया जाएगा जो खाने, पीने, पकाने, परोसने या खाद्य और पेयों को जिसमें पानी भी सम्मिलित है, संचय करने में प्रयुक्त किए जा सकते हैं ।

2. बर्तन पीतल की ऐसी चद्दर या पत्ती या गोल टुकड़े से बनाए जाएंगे जो चमकदार, साफ और चिकने पृष्ठ वाले हों और असम्यक् रूप से बिगड़े हुए रंग और खरोंचों से मुक्त होंगे । चद्दर टेढ़ी-मेढ़ी और स्पंजी भी नहीं होगी ।

3. बर्तन ढली हुई पीतल से भी बनाए जा सकेंगे । ये सरन्ध्रता, वायु छिद्रों, शीतणटों, विरूपण और अन्य हानिकारक दोषों से मुक्त होंगे ।

4. तैयार बर्तनों की सामग्री समांगी होगी तथा इसमें ऐसा कोई भी संघटक नहीं होगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर और क्षतिकर हो, सीसे का अंश 0.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

5. बर्तन बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली चद्दर की मोटाई, आकार, लम्बाई, चौड़ाई और अन्य संरचनात्मक ब्यौरे क्रेता और निर्यातकर्ता के मध्य हुए करार के अनुसार होंगे तथा परेषण में बर्तनों के किसी विशेष प्रकार के लाट के लिए एकरूप होंगे ।

6. सभी जोड़ उच्च श्रेणी के चिकनेपन से तैयार किए जाएंगे और उनमें मजबूत पीतल का टांका लगाया या सोल्डर किया जाएगा और उसकी रिसन-सह्यता अभिनिश्चित करने के लिए बर्तनों का यथोचित परीक्षण किया जाएगा ।[1]

7. सभी बर्तन चिकने तैयार किए जाएंगे और उनके तेज किनारों को गोल कर दिया जाएगा या मोड़ दिया जाएगा ।

8. यदि क्रेता ऐसी अपेक्षा करे तो बर्तनों पर कलई या मुलम्मा भी चढ़ाया जा सकेगा । ऐसी दशा में कलई या मुलम्मा चिकना और एकरूप होगा ।

9. बर्तनों को, इस बारे में क्रेता के अनुबंध के अनुसार और इस रीति से पैक किया जाएगा कि बिना किसी हानि के सुरक्षित रूप से उनका अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना सुनिश्चित हो सके ।

2 बर्नर सहित ब्लो लेम्प के लिए विनिर्देश :

1. विभिन्न भागों को बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री ऐसी होगी जो ब्लो लेम्पों के युक्तियुक्त काल पर्यन्त उनके अच्छे कार्य को सुनिश्चित कर सके ।

2. ब्लो लेम्प की डिजाइन, लम्बाई-चौड़ाई और संरचना, क्रेता और विक्रेता के बीच के करार के अनुसार होंगे ।

3. ब्लो लेम्प इस प्रकार के बनाए जाएंगे ताकि निम्नलिखित का समाधान हो जाए :-

(क) साधारण :

(i) इंधन टंकी की तली की प्लेट ऊपरी भाग के साथ सुरक्षित रूप से जोड़ी जाएगी । ईंधन टंकी इस प्रकार की बनायी जाएगी कि प्रयोग की सामान्य दशाओं में उसमें कोई स्थायी विरूपण न हो ।

(ii) ब्लो लेम्प इस प्रकार का बनाया जाएगा कि वह अपने आधार पर दृढ़ता से खड़ा रह सके । तेल से भरे या खाली, दोनों ही अवस्थाओं में, ऐसा होना चाहिए कि उर्ध्वाधर से किसी भी दिशा में 15° के कोण पर उलटने या विमोचन के बिना झुकाया जा सके ।

(iii) मशीन से बने सभी भाग खुरदरेपन से मुक्त होंगे । सूत्रित संघटकों के संगम चिकने होंगे ।

(iv) ईंधन टंकी और अन्य पीतल के भाग चमकीले तैयार किए जाएंगे । पश्चात्वर्ती संक्षारण को रोकने के लिए विनिर्माण के दौरान, सोल्डर फलक्स और समरूप संक्षारकों के अवशिष्टों को हटा दिया जाएगा । उसका भीतरी भाग स्वच्छ, धूल कंकड़ियों या अन्य किसी भी बाह्य पदार्थ से मुक्त होगा ।

(ख) बर्नर समुच्चय :

(i) धातु के बर्नर के सभी जोड़ों पर मजबूत सोल्डर का पीतल का टांका लगाया जाएगा । पीतल से टांका लगाए गए जोड़ मजबूत और चिकने होंगे और दरारों और त्रुटियों से रहित होंगे ।

(ii) बर्नर का समुच्चय ऐसा होगा कि ईंधन जट, बर्नर के बीचोंबीच कार्य करे, जिससे एक दिशा में एकरूपतः नीली लपट निकलें ।

(iii) ईंधन रन्ध्र सीधा ड्रिल किया जाएगा । रन्ध्र का बाहरी भाग इस प्रकार अभिकल्पित होगा कि सफाई के लिए बोधनी का प्रयोग सुविधापूर्वक किया जा सके ।

(iv) निपल का आकार ऐसा होगा कि पेंच कसने और खोलने में स्पेनर या चाबी का प्रयोग किया जा सके ।

(v) 2.5 कि०ग्रा०द०/सें०मी०^2 के आन्तरिक वायु-दाब पर परख किए जाने पर बर्नर में रिसने के कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे ।

(ग) पम्प :

पम्प की संरचना मजबूत होगी और यह वापिस न जाने वाले वाल्व से युक्त होगा जो रिसन-सह होगा । पम्प का washer और वापिस न जाने वाला वाल्व हटाए जा सकेंगे ।

(घ) दाब मोचन पेंच :

ईंधन टंकी, शीघ्रतापूर्वक और सुरक्षात्मक रूप से टंकी में दाबमोचन करने के लिए दाब-मोचन पेंच से युक्त होगी ।

(ङ) तेल भरने की टोपी का समुच्चय :

तेल भरने की टोपी या समुच्चय कार्य करने के सामान्य दाब पर और तब भी रिसन सह होगा जब खंड 41(ख) के अनुसार आन्तरिक जलीय दबाव के अधीन किया जाए।

(च) washer :

सभी washer पर्याप्त रूप से ताप प्रतिरोधी होंगे और मिट्टी के तेल में 24 घंटे रखने के पश्चात् श्लेषी नहीं होंगे । washer सुगमता से बदले जा सकने योग्य होंगे और इनसे जोड़ वायुरोधी हो जाएंगे ।

4. ब्लो-लैम्प निम्नलिखित कार्य परखों को सहन करने के योग्य होंगे, अर्थात :—

(क) पम्प बल्ब, बर्नर और तेल की टोपी से युक्त ईंधन टंकी की परख 2.5 कि०ग्रा०द०/सें०मी०^2 के आन्तरिक वायु-दाब पर की जाएगी । इसमें कोई रिसन या विकृति नहीं आएगी ।

(ख) बर्नर और पम्प वाल्व से रहित ईंधन टंकी को, तीन मिनट की अवधि के लिए 10कि०ग्रा०द०/सेमी०^2 के आन्तरिक जलीय दाब के अधीन रखा जाएगा । टंकी में रिसन का कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा ।

(ग) लेम्प के किसी भी भाग की सतह का तापमान, जिसे उसके प्रचालन के दौरान छूना आवश्यक हो, लेम्प के 112 घंटे तक जलने के पश्चात् 60° सें० से अधिक नहीं होगा ।

(घ) ब्लो-लेम्प को, जब 2 कि०ग्रा०द०/सें०मी०^2 के कार्य-दाब पर जलाया जाय, वह समानरूप से जलेगा और 3.2 मिमि के कठोर कर्षित दाब-मुक्त पीतल के तार के टुकड़े को 35 सैकिंड से अनधिक समय में तब पिघलाने के समर्थ होगा, जब तार मजबूती से क्षितिजीय और लपट से लम्ब की स्थिति में रखा जाता है ।

5. प्रत्येक ब्लो-लैम्प के साथ निम्नलिखित का प्रदाय किया जाएगा :—

(क) तीन वेधनियों का एक पैकेट,

(ख) पम्प तथा तेल भरने की टोपी में से प्रत्येक के लिए एक वाशर,

(ग) एक कीप, तथा

(घ) सुरक्षात्मक प्रयोग के लिए विनिर्माता के अनुदेश ।

6. प्रत्येक ब्लो-लेम्प उप-साधनों सहित गत्ते या टिन के बक्सों में पैक किया जाएगा । बक्सों में रखे हुए लेम्प अन्त में इस संबंध में क्रेता के अनुबंध के अनुसार और इस रीति से पैक किए जाएंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ब्लो लेम्प गन्तव्य स्थान तक बिना नुकसान सुरक्षित रूप में पहुंच जाएं ।

7. 50 कि०ग्रा० तक भार के पैकेज, पैकेज की या उनमें रखे माल की कोई हानि हुए बिना, 190 सें०मी० की ऊंचाई से पात सहन करने में समर्थ होंगे । पैकजों की मौसम और आर्द्रता-प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव से पर्याप्त संरक्षण किया जाएगा ।

3. तांबे के बर्तनों के लिए विनिर्देश

1. तांबे के बर्तनों को उन, तांबे की वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया जाएगा जो खाने, पीने, रसोई बनाने, परोसने या खाद्य और पेयों का, जिसमें पानी भी सम्मिलित है, संचय करने में प्रयुक्त किए जा सकते हैं ।

2. तांबे की ऐसी चद्दर या पत्ती या गोल टुकड़े से बनाए जाएंगे जिसकी सतह साफ और चिकनी हैं और जो काले आक्साइड, असम्यक् बिगड़े रंगों और खरोंचों से मुक्त हों । चद्दर टेढ़ी-मेढ़ी और स्पन्जी भी नहीं होंगी ।

3. बर्तन ढले हुए तांबे से भी बनाए जा सकेंगे । ये सरंध्रता, वायु छिद्रों, शल्किटों, विस्पण और अन्य हानिकारक दोषों से मुक्त होंगे ।

4. तैयार बर्तनों की सामग्री में कोई हानिकारक या क्षेतिका संघटक नहीं होगा, सीसे और संखिया की मात्रा 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

5. बर्तन बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाले चद्दर (गेज) की मोटाई, आकार, लम्बाई-चौड़ाई या अन्य संरचनात्मक ब्यौरे क्रेता और निर्यातकर्ता के मध्य हुए करार के अनुसार होंगे ।

6. सभी जोड़ उच्च श्रेणी के चिकनेपन से तैयार किए जाएंगे और उन पर मजबूत पीतल का टांका लगाया/सोल्डर किया जाएगा और इसकी रिसन-सहयता अभिनिश्चित करने के लिए बर्तनों की यथोचित रिसन परख की जाएगी ।

7. सभी बर्तन चिकने तैयार किए जाएंगे और उनकी तेज किनारों के गोल कर दिया जाएगा / मोड़ दिया जाएगा ।

8. बर्तन कलईदार/मुलम्मा चढ़े हुए हो सकते हैं । कलई/मुलम्मा चिकना और एकरूप होगा ।

9. बर्तनों को इस बारे में क्रेता के अनुबंध के अनुसार और इस रीति से पैक किया जाएगा कि बर्तनों का बिना किसी हानि के सुरक्षित रूप से अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचना सुनिश्चित हो सके ।

4. मृदु इस्पात की बाल्टियों के लिए विनिर्देश

1. बाल्टियां, क्रेता द्वारा यथाविनिर्दिष्ट काली चद्दर या सपाट जस्ती चद्दर से विनिर्मित की जाएंगी । बाल्टियों के लिए प्रयोग की जाने वाली चद्दर 26 एस डब्ल्यू जी (0.0180" या 0.457 मि०मी०) से पतली नहीं होगी ।

2. समग्र लम्बाई-चौड़ाई और अन्य संरचनात्मक ब्यौरे, क्रेता और निर्यातकर्ता के मध्य हुए करार के अनुसार होंगे तथा परेषण में बाल्टियों के विशेष प्रकार के प्रत्येक लाट में वे समान होंगे । तथापि, इयर के लिए चद्दर की मोटाई, 254 मि०मी० (10") तक के व्यास की बाल्टियों के लिए 18 एस डब्लू जी (.048" या 1.22 मि०मी०) और 254 मि०मी० से अधिक व्यास की बाल्टियों के लिए 14 एस डब्लू जी (.08" या 2 मि०मी०) से कम नहीं होगी ।

3. बाल्टी के सभी भाग जिसके अन्तर्गत कीलकें (रिवटिंग) भी हैं, चिकनी तैयार किए जाएंगे और उनकी तेज किनारी गोल किए जाएंगे । बाल्टियां संरचनात्मक सभी दोषों से मुक्त होंगी । बाल्टियों के हैन्डल आकार में एकरूप होंगे और हैण्डलों का व्यास 6 मि०मी० से कम नहीं होगा ।

4. काली चद्दर की बाल्टियां, विनिर्माण के पश्चात् तप्त निमंजन से जस्तेदार की जाएंगी और चढ़ा हुआ जस्ता एकरूप होगा । जस्तेदार तह फफोलों, गिट, धब्बों और खाली स्थानों से मुक्त होंगे । यदि क्रेता सहमत हो तो जस्ती चद्दर से विनिर्मित बाल्टियों के हैण्डल एल्यूमिनियम से रंजित हो सकते हैं ।

5. सूखी खाली बाल्टी को उसके ऊपरी हिस्से को ऊपर की ओर रखते हुए पानी में सीधा दबा कर बाल्टी की रिसन-सहयता की परख की जाएगी । यदि बाल्टी में पानी आता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा । बाल्टी तब निकाल ली जाएगी, उल्टा की जाएगी (ऊपरी सिरा नीचे की ओर करके) और पुनः पानी में खड़ी दबाई जाएगी । यदि पानी में से हवा का कोई बुलबुला निकलता दिखाई दे तो बाल्टी में किनारों तक पानी भरा जाएगा और दो घंटे तक रखा जाएगा । इसमें रिसन का कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा ।

6. बाल्टियां इस संबंध में क्रेता के अनुबंध के अनुसार और ऐसी रीति से पैक की जाएंगी कि बाल्टियों का बिना किसी हानि के सुरक्षित रूप से अपने गन्तव्य स्थान तक पहुंचना सुनिश्चित हो सके ।

5. बर्नर सहित तेल-दाब स्टोव के लिए विनिर्देश

1. विभिन्न भागों के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री ऐसी होगी जो स्टोव के समस्त युक्तियुक्त काल पर्यन्त उनके अच्छे कार्य को सुनिश्चित कर सके।

2. स्टोवों का डिजाइन, लम्बाई-चौड़ाई और संरचना, क्रेता और विक्रेता के मध्य करार के अनुसार होगी।

3. स्टोवों को इस प्रकार बनाया जाएगा जिससे निम्नलिखित का समाधान हो जाए :—

(क) साधारण :

(1) ईंधन टंकी की तली की प्लेट को ऊपरी भाग के साथ मजबूती से जोड़ा जाएगा। टंकी इस प्रकार से बनाई जाएगी कि प्रयोग की सामान्य दशाओं में उसमें कोई स्थायी विकृति नहीं आए।

(2) स्टोव इस प्रकार का बना होगा कि यह अपनी तली पर मजबूती से रहे और उसके पाए इस प्रकार फिट होंगे कि टंकी का तल, उस सतह से जिस पर स्टोव रखा गया है, कम से कम पूरे 13 मि०मी० ऊपर रहे।

(3) स्टोव, ईंधन से भरे होने पर या खाली होने पर, दोनों ही अवस्थाओं में, ऐसा होना चाहिए कि उच्चाधर से किसी भी दिशा में 15° के कोण पर उस झुकाव पर उलटने या विमोचन के बिना झुकाया जा सके।

(4) मशीन से बने सभी भाग खुरदरेपन से मुक्त होंगे। सूत्रित संघटकों के संगम चिकने होंगे।

(5) ईंधन टंकी और अन्य पीतल के भाग चमकीले तैयार किए जाएंगे। पश्चातवर्ती संक्षरण को रोकने के लिए विनिर्माण के दौरान सोल्डर फ्लक्स और समरूप संक्षारकों के अवशिष्टों को हटा दिया जाएगा। यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, तो ऊपर की रिंग पर सोने का प्रलाक्ष किया जाएगा।

(ख) बर्नर समुच्चय :

(1) धातु के बर्नर के सभी जोड़ों पर मजबूत सोल्डर का पीतल का टांका लगाया जाएगा। पीतल के टांका लगाने पर जोड़ मजबूत और चिकने होंगे और वे दरारों और त्रुटियों से मुक्त होंगे।

(2) बर्नर का समुच्चय ऐसा होगा कि ईंधन की जैट बर्नर प्लेट के मध्य में और बर्नर प्लेट के लम्बवत् रूप से इस प्रकार कार्य करें ताकि भली प्रकार फैली हुई एकरूप नीली लपट उत्पन्न हो।

(3) बर्नर समुच्चय में पर्याप्त खुला स्थान होगा ताकि ईंधन रन्ध्र तक बेधनी बिना अड़चन के पहुंच जाए।

(4) ईंधन रन्ध्र सीधा ड्रिल किया जाएगा। रन्ध्र का बाहरी भाग इस प्रकार अभिकल्पित होगा कि सफाई के लिए बेधनी का प्रयोग सुविधापूर्वक किया जा सके।

(5) निपल का आकार ऐसा होगा कि पेंच कसने और खोलने में स्पेनर या चाबी का प्रयोग किया जा सके।

(6) 2.5 कि०ग्रा०एफ, ०से०मी०^2 के आन्तरिक वायु-दाब पर परख किए जाने पर, बर्नर में रसन का कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा।

(ग) पम्प :

पम्प की संरक्षण मजबूत होगी और वापिस न जाने वाले ऐसे वाल्व से युक्त होगा जो रिसन-सह हो। पम्प के वाशर और वापस न जाने वाला वाल्व हटाए जा सकेंगे।

(घ) दाब-मोचन वाल्व :

ईंधन की टंकी शीघ्रता से और सुरक्षात्मक रूप से टंकी में दाब मोचन के लिए दाब-मोचन पेंच से युक्त होगी।

(ङ) तेल भरने की टोपी का समुच्चय :

तेल भरने की टोपी का समुच्चय कार्य करने के सामान्य दाब पर और तब भी रिसन-सह होगा जब खंड 4(ख) के अनुसार आन्तरिक जलीय दबाव के अधीन किया जाए। तेल भरने का छिद्र इस प्रकार आस्थित और परिकल्पित किया जाएगा कि ईंधन टंकी समतल पर बर्नर स्टेम से मापे जाने पर, उसके कुल घनत्व के 94 प्रतिशत से अधिक न भरी जा सके।

(च) वाशर :

सभी वाशर पर्याप्त रूप से ताप-प्रतिरोधी होंगी और मिट्टी के तेल में 24 घंटे रखने के बाद श्लेषी नहीं होंगे। वाशर सुगमता से बदले जा सकने योग्य होंगे और उनसे जोड़ वायु रोधी हो जाएंगे।

4. परखें—स्टोव निम्नलिखित कार्य परखों को सहन करने के योग्य होंगे, अर्थात् :—

(क) पम्प, वाल्व, बर्नर और तेल की टोपी से युक्त ईंधन टंकी की परख 2.5 कि०ग्रा०एम/से०मी०^2 के आन्तरिक वायु-दाब पर की जाएगी। इसमें कोई रिसन या विकृति नहीं आएगी।

(ख) बर्नर से रहित टंकी को तीन मिनट की अवधि के लिए 12 कि०ग्रा०एफ/से०मी^{2} के आन्तरिक जलीय-दाब के अधीन रखी जाएगी। टंकी में रिसन का कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा।

(ग) स्टोव के किसी भी भाग की सतह का तापमान, जिसे उसके प्रचालन के दौरान छूना आवश्यक हो, स्टोव के आधे घंटे तक जलने के पश्चात् 60^0 सें० से अधिक नहीं होगा।

(घ) स्टोव की ऊष्मीय-क्षमता मानक प्रणाली से निर्धारित किए जाने पर 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

5. प्रत्येक स्टोव के साथ निम्नलिखित दिया जाएगा—

(क) वहनीय स्टोव की दशा में, एक स्पेनर,

(ख) स्टोव के प्रकार के अनुरूप तीन बेधनियों का एक पैकिट,

(ग) जहां आवश्यक हो एक रक्षामक,

(घ) पम्प तथा तेल भरे की टोपी में से प्रत्येक के लिए एक का वाशर,

(ङ) एक कीप, और

(च) सुरक्षात्मक प्रयोग के लिए विनिर्माता के अनुदेश।

6. प्रत्येक स्टोव उपसाधनों सहित गत्ते या टिन के बक्सों में पैक किया जाएगा। बक्सों में रखे हुए स्टोव अन्त में इस संबंध में क्रेता के अनुबंध के अनुसार और इस रीति से पैक किए जाएंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टोव गन्तव्य स्थान तक बिना नुकसान के सुरक्षित रूप से पहुंच जाए।

7. 50 कि०ग्रा० तक भार के पैकेज, पैकेज को या उसमें रखे माल की कोई हानि हुए बिना 190 से०मी० की ऊंचाई से पात सहन करने में समर्थ होंगे। पैकेजों का पूर्ण रूप से भौसम और आर्द्रता प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव से पर्याप्त रूप में संरक्षण किया जाएगा।

6(क). तेल-दाब लालटेनों के लिए विनिर्देश

1. विभिन्न भागों के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री ऐसी होगी जो लालटेन के समस्त युक्तियुक्त काल पर्यन्त उसके अच्छे कार्य को सुनिश्चित कर सके।

2. लालटेन की डिजाइन, लम्बाई-चौड़ाई और संरचना क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार होगी।

3. लालटेनें इस प्रकार की बनाई जाएंगी जिसमें निम्नलिखित का समाधान हो जाए :

(क) साधारण :

(1) ईंधन टंकी की तली की प्लेट को ऊपरी भाग के साथ मजबूती से जोड़ी जाएगी। टंकी इस प्रकार बनाई जाएगी कि प्रयोग की सामान्य दशाओं में उसमें स्थायी विकृति नहीं आए।

(2) मशीन से बने सभी भाग खुरदरेपन से मुक्त होंगे। सूत्रित संघटकों के संगम चिकने होंगे।

(3) वाष्पित्र यूनिट को छोड़ कर, पीतल के भागों पर निकल या निकल और कैडमियम का मुलम्मा होगा। मृदु इस्पात के भागों पर निकल या कैडमियम का मुलम्मा होगा। यदि क्रेता द्वारा अपेक्षित हो, तो हुड, केप तथा टंकी पर क्रोमियम का मुलम्मा किया जा सकेगा।

(ख) वाष्पित्र समुच्चय :

(1) वाष्पित्र सीधा या एल आकार का हो सकेगा। वाष्पित्र नली का ऊपरी तथा निचला भाग संयुक्त जोड़ से जोड़ा जाएगा। यूनिट की बनावट ऐसी होगी कि भाग अपने सही स्थानों में सरलतापूर्वक फिट हो जाएं और उनकी अदला-बदली की जा सके। वाष्पित्र का समुच्चय ऐसा होगा कि मिश्रण नली में ईंधन वाष्प बीचो-बीच फेंकी जाए।

(2) ईंधन रन्ध्र सीधा ड्रिल किया जाएगा और यह खुरदरेपन से मुक्त होगा। निपल के रन्ध्र का निचला हिस्सा इस प्रकार अभिकल्पित होगा कि सफाई के लिए बेधनी सरलता से पहुंच सके। निपल का आकार ऐसा होगा कि इसको खोलने के लिए स्पेनर या चाबी का प्रयोग किया जा सके।

(3) पैकिंग शलका वाष्पित्र नली के ऊपरी भाग में सरक कर फिट बैठेगी ताकि तेल टंकी से निपल को कुण्डली-नली द्वारा आए, न कि सीधे ऊपर।

(ग) पम्प :

पम्प रिसन-सह और मजबूत बना होगा और इसमें 2.5 कि०ग्रा० एफ/से०मी०^2 के परख-दाब पर प्रभावी और वापिस न आने वाला वाल्व लगा हुआ होगा।

(घ) मेंटल होल्डर (नाजल) :

मेंटल होल्डर, उस चीनी मिट्टी की सामग्री से बनाया जाएगा जो उन तापमान परिवर्तनों को जो प्रसामान्यतया अनुभव में आते हैं इसके आकार, फिटिंग या कृत्य को प्रभावित करने वाले सिकुड़न, दरार या अन्य दोषों को उत्पन्न किए बिना सहन करने में समर्थ हो।

(ङ) मेंटल :

मेंटल मजबूत होगा। ये पहली बार जलने के पश्चात् असम्यक रूप से नहीं सिकुड़ेगी और लालटेनों के सामान्य प्रयोग के दौरान लगने वाले धक्कों को सहन करने में समर्थ हों।

(च) दाब-गेज :

डायल 3 के० जी० एफ०/से०मी०^2 के न्यूनतम दाब तक अंशांकित किया जाएगा। एक लाल चिह्न उस दाब को इंगित करेगा जिस पर लालटेन को कार्य करना आशयित अर्थात् 2 के०जी०एफ०/से०मी०^2।

(छ) दाब-मोचन पेंच :

ईंधन टंकी प्रभावशाली साधनों से युक्त होगी ताकि प्रचालक, जब कि लालटेन जल रही हो, टंकी के भीतर के दाब को सुरक्षापूर्वक और शीघ्रता-पूर्वक मोचन कर सके।

(ज) वाशर :

सभी वाशर पर्याप्त रूप से तापरोधी होंगे और मिट्टी के तेल में 24 घंटे तक रखने के पश्चात् भी क्षयेषी नहीं होंगे। वाशर सुगमता से बदले जा सकेंगे और उनसे वायु रोधी जोड़ बनेंगे।

(झ) छल्ल और शीर्ष :

क्रमशः प्रज्वलन के लिए वायु के पर्याप्त प्रदाय के लिए और प्रज्वलन के उत्पादों के निकास के लिए क्रमशः छल्ल की तली और शीर्ष पर अपेक्षित संख्या और आकार के छेद किए जाएंगे।

4. लालटेन निम्न कार्य परखों को सहन करने में समर्थ होंगी, अर्थात् :—

(क) ईंधन टंकी तेल भरने की टोपी तथा वाष्पित्र समुच्चय से युक्त, किन्तु बिना दाब गेज के 2.5 के० जी० एफ०/से०मी०^2 के दाब पर परखी जाएगी। इसमें रिसन, विरूपण या टूट-फूट का कोई चिह्न नहीं होगा।

(ख) वाष्पित्र, पम्प वाल्व और दाब गेज रहित ईंधन की टंकी को पांच मिनट की अवधि के लिए 5 के० जी० एफ०/से०मी०^2 के आन्तरिक जलीय दाब के अधीन रखा जाएगा। टंकी में रिसन का कोई चिह्न नहीं होगा। टंकी की 8 के०जी०एफ०/से०मी०^2 के जलीय दबाव पर और आगे परख की जाएगी। यह न तो फटेगी न ही असम्यक् रूप से विकृत होगी। तथापि किंचित जलीय व्यय का रिसन अनुज्ञेय होगा बशर्ते कि दाब पांच मिनट से अन्यून अवधि तक रखे जा सकें।

(ग) लालटेन के किसी भी भाग को सतह का तापमान, जो इसके जलते रहने के दौरान छूना आवश्यक हो, 60° से० से अधिक नहीं होगा। उठाने के हैंडल की लम्बाई ऐसी होगी कि जब 10050 मि०मी० के काले कार्ड के टुकड़े को स्थिर वायु में हैंडल के शीर्ष से 25 मि०मी० नीचे क्षितिजीय रखा जाए, तब काले कार्ड का तापमान 60° से अधिक नहीं होगा।

(घ) लालटेन की माध्य क्षैतिज ज्योति तीव्रता, जब किसी भी मानक पद्धति द्वारा अवधारित की जाए, 5 प्रतिशत की कमी-बेशी के साथ, मोमबत्तीयों में घोषित ज्योति-तीव्रता से कम नहीं होगी।

(ङ) लालटेन की प्रकाश क्षमता, जो कि माध्य क्षितिजीय मोमबत्ती शक्ति के प्रति घंटा उपयुक्त तेल के ग्रामों के भार का अनुपात है, 3 से कम नहीं होगी।

(च) लालटेन, यदि 70 के एम एस प्रति घंटा की गति वाली वायु में अरक्षित छोड़ दी जाए, कम से कम पांच मिनट की अवधि के लिए ठीक प्रकार से कार्य करेगी ;

5. लालटेन पर उनकी भोमवत्तियों में घोषित ज्योति तीव्रता स्टाम्पित की जाएगी ।

6. प्रत्येक लालटेन के साथ निम्नलिखित दिया जाएगा,--

(क) स्पिरिट कैन

(ख) एक स्पैनर

(ग) एक निपल

(घ) दो साफ करने की सुइयां

(ङ) एक तेल-टोपी वाशर

(च) तीन मेंटल

(छ) एक सूई की चाबी

(ज) एक पम्प वाशर और

(झ) एक पुस्तिका, जिसमें सुरक्षित प्रयोग के लिए विनिर्माता के अनुदेश हों ।

7. प्रत्येक लालटेन, उसके अतिरिक्त भाग और उप-साधन, जलसह कागज के अस्तर लगे मजबूत गत्ते के बाक्स में पैक की जाएगी, इसके छत्र को गत्ते के रिंग से सुरक्षित किया जाएगा । प्रत्येक पैकेज पर जिसमें कांच की चिमनी हो "कांच, सावधानी से उठाए" शब्द अंकित किए जाएंगे । लालटेनें इस संबंध में क्रेता के अनुबंध के अनुसार और इस रीति से पैक की जाएंगी कि उनका अपने गन्तव्य स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुंचना सुनिश्चित हो सके ।

खं तेल के दबाव वाली लालटेनों के लिए विनिर्देश (लटकने वाली टाइप)

1. विभिन्न भागों के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री ऐसी होगी जो लालटेनों के सुनिश्चित अपने समस्त युक्तियुक्त काल पर्यन्त उनके अच्छे कार्य को कर सके ।

2. लालटेन का डिजाइन, लम्बाई-चौड़ाई और संरचना क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार होंगी ।

3. लालटेनें इस प्रकार की बनाई जाएंगी कि उनसे निम्नलिखित का समाधान हो जाए, अर्थात् :--

(क) **साधारण**

(1) ऊपरी तथा निम्न भाग तथा तेल की टंकी के कालर को भली भांति तेजाब में डाला जाएगा और उसकी जंग छुटाई जाएगी; टंकी के समंजन से पूर्व दोनों ओर टिन का पतर चढ़ाया जाएगा । टंकी पर एक कोट रंग लेप किया जाएगा ।

(2) बाडी केसिंग, विंग शील्ड, चिमनी का ढक्कन, केसिंग रिंग, चिमनी के भाग, द्वारा तथा रिफ्लेक्टर टाप पर दहन जोन तथा निकास गैसों के ताप को सहन करने के लिए उपयुक्त काले चमकदार एनामल का लेप किया जाएगा ।

(3) रिफलेक्टर की चमकने वाली सतह पर सफेद चमकदार एनामेल होगा ।

(ख) **वाष्पित्र एकक**

निम्न का आन्तरिक भाग खुदरेपन से मुक्त होगा ।

(ग) **पम्प**

पम्प मजबूती से बनाया जाएगा तथा उसमें 2.0 के जी एम/से०मी०^2 कार्य दबाव पर करार ढंग से वापस न आने वाला रोधी वाल्व लगा हुआ होगा । वापस न आने वाला रोधी वाल्व तथा पम्प वाशर समंजन बदलने योग्य होंगे ।

(घ) **मेंटल होल्डर (नोजल)**

मेंटल होल्डर ऐसी उपयुक्त चीनी मिट्टी की सामग्री से बनाया जाएगा जो तापमान के ऐसे परिवर्तनों को जो प्रसामान्यतया अनुभव किए जाते हैं इसके आकार, फिटिंग, या क्रियात्मक को प्रभावित करने वाले सिकुड़न, दरार या अन्य दोष उत्पन्न किए बिना सह सकें ।

(ङ) **मेंटल**

मेंटल मजबूत होंगे । वे पहली बार जलने के पश्चात् असम्यक् रूप से नहीं सिकुड़ेंगे और लालटेनों के सामान्य प्रयोग के दौरान लगने वाले धक्कों को सहन करने में समर्थ होंगे ।

(च) **दाब-गेज**

डायल 3 के जी० एफ०/से० मी०^2 के न्यूनतम दबाव तक अंशांकित किया जाएगा । एक लाल चिन्ह उस दबाव को इंगित करेगा जिस पर लालटेन का कार्य करना आशायत है, अर्थात् 2 के० जी० एफ/से०मी^{02}

(छ) **अंतक वाल्व**

(i) भरण नली में अंतक वाल्व अधिकतम दबाव 3 के जी एफ/से० मी०^2 पर वाष्पित्र में तेल के प्रवाह को पूरी तरह रोक देने में समर्थ होगा ।

(ii) तेल की टंकी में, लैम्प के जलते रहने पर, सुरक्षापूर्वक एवं शीघ्रता से दबाव के मोचन के लिए टंकी में ही साधन लगा होगा ।

(ज) **ग्लोब**

ग्लोब एस्बेस्टस के गद्देदार अस्तर लगे हुए रिफलेक्टर पर टिकेगा ।

(झ) **रिफलेक्टर**

(क) गैस चैम्बर इस प्रकार स्थित होगा कि गैस वायु मिश्रण जलते हुए मेंटल से ज्वलित नहीं हो जाए ।

(ख) मिश्रण बनाने वाली नली का खुला सिरा सही होगा और निपल रन्ध्र से सकेन्द्री होगा एवं निपल से निकलने वाली गैस के साथ उसका पूरा तालमेल होगा ।

(ग) रिफलेक्टर एक ओर ढांचे के साथ कब्जा लगा कर तथा दूसरे सिरे पर पेच तथा लाग के साथ जोड़ा जाएगा ।

(ञ) **विंड शील्ड तथा चिमनी का ढक्कन**

विंग शील्ड तथा चिमनी के ढक्कन ढांचे से अलग होने योग्य होने चाहिए

(ट) **वाशर**

(i) सभी वाशर पर्याप्त रूप से ताप तथा मिट्टी के तेल रोधी होंगे । ये 24 घंटे मिट्टी के तेल में पड़े रहने के पश्चात् रिसन-सह होंगे ।

(ii) (क) दबाव गेज तथा इंधन टंकी के; तथा

(ख) पम्प एवं इसके वाल्व के,

जोड़ों के बीच में उपयुक्त जस्ते के वाशर प्रयुक्त किए जाएंगे ।

4. लालटेन निम्नलिखित कार्य निष्पादन परीक्षण सहन करने में समर्थ होगी:—

(क) **वायु दाब परिक्षण**:—पम्प वाल्व तथा तेल की टोपी मुक्त प्रत्येक तेल टंकी का जी एफ/से०मी०^2 के आन्तरिक वायु दाब पर परीक्षण किया जाएगा। इसमें रिसन या विकृति का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देगा।

(ख) **सुरक्षा दाब परीक्षण**:—10 के जी एफ/से० मी०^2 के जलीय दाब के अधीन होने पर टंकी सभी जोड़ों तथा टांकों पर रिसन सह होगा। इस परीक्षण के अंत में, उसमें टंकी में कोई भी स्थायी विहानि नहीं होगी। यदि दाब पांच मिनट से अन्यून अवधि के लिए रहने दिया गया हो तो जलीय द्रव का किंचित रिसन अनुज्ञेय होगा।

(ग) **स्फोटन दाब परीक्षण**:—250 के लाट में से कोई भी एक ईंधन टंकी चुनी जाएगी तथा 14 के जी एफ/से०मी०^2 के जलीय दाब के अधीन रखी जाएगी। ईंधन टंकी न तो फटेगी और न ही असम्यक रूप से विकृत होगी।
मिनट से अन्यून अवधि के लिए रहने दिया गया हो तो जलीय द्रव का किंचित रिसन अनुज्ञेय होगा।

(घ) **ज्योती तीव्रता परीक्षण**:—दीपों की माध्य क्षैतिज ज्योति तीव्रता, जब किसी भी मानक पद्धति द्वारा आधारित की जाए, रेटित संख्या के 10 प्रतिशत की प्रकाशित ज्योति-सहयता से कम नहीं होगी।

(ङ) **प्रकाश क्षमता परीक्षण**:—दीपों की प्रकाश क्षमता, अर्थात् माध्य क्षितिजीय ज्योति तीव्रता का एक घंटे में जले ईंधन के ग्रामों में भार के अनुपात 2.5 से कम नहीं होगा।

(च) **सतह ताप परीक्षण**:—दीपों के किसी भी भाग की सतह का ताप जो कि दीपों के जलने के दौरान, छूना आवश्यक हो, 60 से० मी० से अधिक नहीं होगा।

(छ) **तूफान सह परीक्षण**:—बत्ती उस दशा में भी कम से कम पांच मिनट की अवधि के लिए कार्य करेगी जबकि वह 70 कि० मी० प्रति घंटा की गति वाली वायु में खुली छोड़ दी जाए।

5. लालटेनों पर उसकी मोमबत्तियों में घोषित ज्योति तीव्रता अंकित की जाएगी।

6. प्रत्येक लालटेन के साथ निम्नलिखित जाएगा—

(क) एक स्पिरिट कैन
(ख) एक स्पेनर
(ग) एक निपल
(घ) दो साफ करने की सुइयां
(ङ) एक तेल टोपी वाशर
(च) तीन मेंटल
(छ) एक मुर्ई की चाबी
(ज) एक पम्प वाशर, तथा
(झ) एक पुस्तिका जिसमें सुरक्षित प्रयोग के लिए विनिर्माता के अनुदेश हों।

7. प्रत्येक लालटेन मजबूत नालीदार गत्ते के बाक्स में पैक की जाएगी। ग्लोब एक मजबूत गत्ते के बाक्स में पर्याप्त गद्देदार सामग्री द्वारा पृथक रूप से पैक किया जाएगा। ग्लोब वाले प्रत्येक पैकेज पर "कांच, सावधानी से उठायें" शब्द अंकित होंगे। लालटेन, इस संबंध में क्रेता के अनुबंध के अनुसार और इस रीति से पैक की जाएगी कि उनका अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुंचना सुनिश्चित हो सके।

7 कैंचियों के लिये विनिर्देश

1. कैंचियों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री निम्नलिखित प्रकार की होगी, अर्थात् :—

(क) हत्थे सहित पूरे फल या केवल फल-उच्च कार्बन इस्पात
(ख) हत्थे, फलों से वेल्ड या रिवेट किए हुए उच्च कार्बन इस्पात, मृदु इस्पात, ढली पीतल या अघातवर्ध लौह से बने हुए।
(ग) कीलक मृदु इस्पात।

2. आकार और लम्बाई-चौड़ाई क्रेता और विक्रेता के मध्य करार पाई अपेक्षाओं के अनुरूप होंगी।

3. सभी फोर्जिंग, वेल्डिंग और रिवेटिंग मजबूत होंगी। सारे जोड़ दृढ़ होंगें और ढीले नहीं होगें। रिवटें रिवित की जायेंगी और सपाट बनाई जाएंगी।

4. कैंचियां उचित रूप से घिसाई हुई होंगी जिनके काटने वाले किनारे निर्बाध कार्य के लिए सही रूप से लगाए गए होंगें? फलों पर उष्मा उपचार किया जाएगा ताकि उनके काटने वाले किनारों को कम-से-कम 500 डीसीएन (या अन्य माप में इसके समतुल्य) की कठोरता दी जा सके परख बिन्दु, जहां तक संभव हो, काटने वाले किनारे से पास होगा, किन्तु 13 मि०मि० से अधिक दूर नहीं होगा।

5. कीलक के रूप में पेंच वाली कैंचियों की दशा में, एक फल में पेंच लगाने के लिए टोटी लगाई जाएंगी। चूड़ियां पूरी तरह ठीक होंगीं। पेंच या बोल्ट के शीर्ष को स्थान देने के लिए दूसरा फल प्रतिसेधित किया जाएगा। समुच्चय के पश्चात, कीलकों के मध्य भाग के सिरे सफाई से दिए जाएंगें।

6. कैंचियों में दरारें, सीवने खुरदरापन त्रुटियां और अन्य दोष नहीं होगें। उनको चिकना तैयार किया जाएगा और उनकी खुली सतह पर या तो एकरूप मुलम्मा चढ़ाया जाएगा या उनको जंक से बचाने के लिए उन पर गाढ़ी पालिश की जाएगी। पेंचों और ढिबरियों पर, जहां कहीं भी प्रयोग किये गये हो, एकरूप मुल्म्मा चढाया जाएगा।

7. मुलम्मा चढाने के पश्चात् मुलम्मा चढ़ाई गई सतह पर चमकीली पालिस की जाएगी और मुलम्मे के दृश्य संदेशों से अर्थात्, फफोलों, गड्डों, मुलम्मा रहित स्थानों, दूसरे गड्ढों, दरारों या धब्बों से मुक्त होगें। मुलम्मा धातु पर मजबूती से चढ़ाया जाएगा और वह छिद्र रहित होगा।

8. कैंचियां असम्यक ढ़िलाई या कठोरता के बिना अबाध रूप से कार्य करेंगी। फल के काटने वाले किनारे एक दूसरे पर नहीं चढ़ेंगें। कैंचियों का प्रदाय धार तेज करके और प्रयोग करने के लिए तैयार रूप में किया जाएगा।

9. कैंचियों का परीक्षण रेशम के एक टुकड़े जिसका भार प्रति वर्ग मी० मी० 61 ग्रा० से कम नहीं हो या कैम्ब्रिक के कपड़े के टुकड़े को जोकि परख के दौरान खींच कर नहीं रखा जाएगा, काट कर किया जाएगा। ऐसा करने में कैंची यथासंभव चौड़ी खोली जाएगा और तब धीरे-धीरे बन्द स्थिति में लाई जाएगी। कैंची बिना टोप के बिना कर्षण या आकर्षण, कपड़े को सफाई से काटेगी और कपड़े का कटा हुआ भाग काटने वाले किनारों से निर्बाध रूप से गिरेगा।

10. निरीक्षक के विवेकानुसार चुनी गई मुलम्मा चढ़ी हुई सतह के 6.5 वर्ग से०मी० से अनधिक भाग को धातु के किसी चिकनी उपकरण से जल्दी जल्दी और दृढ़ता से 50 सेकिंड तक रगड़ा जाएगा। चमकाने के लिए

उपयुक्त उपकरण तांबे की चकती है (उदाहरणतया तांबे का सिक्का) जो कि किनारों की ओर से और चपटी ओर से प्रयोग की जाएगी। दाब प्रत्येक स्ट्रोक में परत को चमकाने के लिए पर्याप्त होगा, किन्तु इतना अधिक नहीं होगा कि वह निक्षेप को काट दें। तब चमकाए गए भाग की दृष्टि से परीक्षा की जाएगी। परत का आसंजन पर्याप्त उस दशा में समझा जाएगा जबकि इस बात का कोई लक्षण नहीं हो कि निक्षेप आधारभूत धातु से अलग हो गया है।

11. कैंची के काटने वाले किनारों और मुलम्मा रहित भागों पर खनिज जेली का हल्का लेप होगा।

12. यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, तो प्रत्येक कैंची आर्द्रता सह कागज में लपेटी जाएगी और 114 दर्जन, 112 दर्जन या 1 दर्जन कैंचियों के गत्ते की डिब्बों में पैक की जाएगी। गत्ते के डिब्बों का एक ओर कैंचियों का आकार और विनिर्माता आदि का नाम या ब्राण्ड नाम वर्णित करने वाले लेबल लगाए जाएंगे। कैंचियां इस सम्बन्ध में क्रेता के अनुबन्ध के अनुसार और ऐसी रीति से अन्तिम रूप से पैक की जाएंग कि जिससे कि उनका अपने गन्तव्य स्थान तक बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रूप से पहुंचना सुनिश्चित हो सके।

13. 50 कि०ग्रा० भार तक के भार के पैकेट, 190 सें०मी० की ऊंचाई से उनको या उनमें रखे माल की कोई हानि हुए बिना, पात सहन करने योग्य होंगें। पैकजों का मौसम के प्रतिकूल प्रभाव और आर्द्रता संदूषण से संरक्षा की जाएगी।

ख ढले लोहे की कैंचियों के लिए विनिर्देश

1. कैंचियों के बनाने में प्रयोग किया गया ढला लोहा मजबूती, यंत्रीकरणयता, उष्मा रोधिता आदि के बारे में कैंचियों की कार्य संबंधी अपेक्षाओं के लिए समुचित क्वालिटी का होगा। ढलाई ग्रेफाइट और सफेद धब्बों के स्थानीय संचयन से रहित ठोस और बारीक कणों की होगी और ऐसी दरारों, खोखले स्थानों और छिद्रत स्थानों से रहित होगा जो अनावृत्त आंखों से दिखाई दे।

2. आकार और लम्बाई चौड़ाई क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अनुरूप होंगें।

3. उंगली के लूप पूर्णतया समानुपातिक, स्वच्छ और उचित आकार के होंगें। कैंचियों को उचित रूप से तैयार किया जाएगा और उनके काटने वाले किनारों को सही और निर्बाध रूप से कार्य करने योग्य बनाया जाएगा। कैंचियों की फिनिश की गई सतह पर घिसाई के समय अत्यधिक ताप के कारण 'जलने के चिन्ह' और अन्य कोई यांत्रिक हानि के लक्षण नहीं होंगें।

4. सारे जोड़ सख्त होंगें, ढीले नहीं रिवेट इस प्रकार से रक्षित किए जाएंगें कि वे क्षति न पहुंचाएं।

5. कैंचियों, दरारों, सींवनों, जले हुए स्थानों, त्रुटियों और अन्य दोषों से मुक्त होंगी। वे चिकनी फिनिश वाली होंगी और खाली सतह पर जंक लगने से बचने के लिए या तो एकरूप मुलम्मा चढ़ाया जाएगा या उन पर गहरी पालिश की जाएगी।

6. जब कैंचियों पर मुलम्मा चढ़ा दिया जाए तो मुलम्मा चढ़ी हुई सतह चमकदार और मुलम्मे के दृश्य दोषों अर्थात् फफोलों, गढ़ों, मुलम्मा रहित स्थानों, दूसरगढ़ों, दरारों या धब्बों से मुक्त होगी मलम्मा आधारभूत धातु से दृढ़ता से आसंजित होगा और छिद्ररहित होगा।

7. कैंचियां, बिना असम्यक ढिलाई या सख्ती के अबाध रूप से कार्य करेंगी। फलों के काटने वाले किनारे एक दूसरे पर नहीं चढ़ेंगे। कैंचियां तेज की हुई और प्रयोग के लिए तैयार होंगी।

8. कैंचियों का परीक्षण रेशम (जो प्रतिवर्ग मीटर 61 ग्राम के कम भार का नहीं हो) या कैम्ब्रिक के कपड़े के टुकड़े को, जो कि परख के दौरान खींच कर नहीं रखा जाएगा, काट कर किया जाएगा। ऐसा करने में कैंची यथासंभव चौड़ी की जाएगी और तत्पश्चात् इसे धीरे-धीरे बन्द स्थिति में लाया जाएगा। कैंची पिचटिप के बिना कर्षण या अपकर्षण के कपड़े को सफाई से काटेगी और कपड़े का कटा हुआ भाग काटने वाले किनारों से निर्बाध रूप से गिरेगा।

9. मुलम्मा चढ़ी हुई सतह को अंगूठे के नाखून से जल्दी-जल्दी एवं दृढ़ता से रगड़ा जाएगा। परत का आसंजन उस दशा में पर्याप्त समझा जाएगा जबकि ऐसे रगड़ने के पश्चात् आधारभूत धातु से निक्षेप से अलग होने का लक्षण नहीं है।

10. जहां कैंचियां या उनका कोई भाग पेन्ट किया गया हो, या उन पर इनेमलित या प्रलाक्ष किया गया हो, वहां पेन्ट, इनेमल या प्रलाक्ष तेल-रोधी गुणों वाले होंगें। इस प्रकार उपचारित सतह एक रूप, दोषमुक्त होंगी और पेन्ट, इनेमल या प्रलाक्ष साधारण रगड़ से नहीं छिलेंगे।

11. कैंचियों के काटने वाले किनारों और मुलम्मा रहित भागों पर खनिज जेली का हल्का लेप होगा या उन पर कोई अन्य उपयुक्त जंग रोधी उपचार किया जाएगा।

12. यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, तो प्रत्येक कैंची आर्द्रता-सह कागज में लपेटी जाएगी और उसे 114 दर्जन या 112 दर्जन या एक दर्जन कैंचियों के गत्ते के डिब्बों में पैक किया जाएगा। गत्ते के डिब्बों की एक ओर कैंचियों का आकार दर्शित करने वाले लेबल लगाए जाएंगें। छोटी कैंचियां प्रदर्शन कार्डों पर लगाई जा सकेंगी। कैंचियां इस सम्बन्ध में क्रेता के अनुबन्ध अनुसार अन्तिम रूप से और ऐसी रीति से पैक की जाएगी जिससे यह कि उनका अपने अगन्तव्य स्थान तक बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रूप से पहुंचना सुनिश्चित हो।

13. कैंचियों से भरे डिब्बे/पैकेजों पर सुपाठ्य और अमिट रूप निम्नलिखित अंकित किया जाएगा :

ढला लोहा टूटने वाला

8—छातों के लिये विनिर्देश

1. छातों के डिजाइन, आकार तथा अन्य लम्बाई-चौड़ाई क्रेता और निर्यातकर्ता के मध्य हुए करार के अनुसार होंगें।

2. छातों की मुख्य तीलियों तथा विस्तारक तीलियों को इस प्रकार रिवेट किया जाएगा कि उसे कम्पन या ढिलाई रहित तथा निर्बाध रूप से खुला या बन्द किया जा सके।

3. नली या छड़ी पर खांच दृढ़ता तथा मजबूती से लगाई जाएगी तीलियां खांच पर पीतल, तांबे या जस्तेदार तार द्वारा जोड़ी जाएंगी ताकि तीलियों में असम्यक रूप से ढिलाई या कम्पन न रहें। तार के सिरे इस प्रकार से मोड़े जाएंगें ताकि वे छातों के कपड़ों को न छुएं।

4. विस्तारक तीलियां रनर के साथ पीतल, तांबे या जस्तेदार तार द्वारा मजबूती से जोड़ी जाएंगी। छाते की खुली और बन्द स्थितियों में, रनर, शीर्ष और तल पर दृढ़ता से पकड़ा जा सकेगा।

5. कपड़ा भली प्रकार कलियों में काटा जाएगा और कपड़े के रंग से मेल वाले पक्के रंग के सिलाई के पक्के धागे से उनकी सिलाई की जाएगी कपड़ा मुख्य और विस्तारक तीलियों के जोड़ पर, अर्थात् मुख्य तीली के क्लिप के ऊपर मजबूती से लगाया जाएगा। कपड़ा खांचे के ऊपर शीर्ष पर भी मजबूती से लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, टोपी के नीचे के कपड़े पर, चमड़े का या जलसह वाशर लगाया जाएगा। कपड़े को तिलियों के

सिरों पर छेदों में मजबूती से सिया जाएगा और मुख्य तीलियां एवं विस्तारक तीलियों के जोड़ों पर भी मजबूती से टांका जाएगा। जब छाता खोला जाएगा तो सीवने न तो निकलेगी और न खुलेगी। छाते के पूरे खुलने पर कपड़ा ढीला नहीं होगा या उसमें कोई और दोष नहीं आएगा। सिलाई का धागा बाहरी सतह पर दिखाई नहीं देगा। कपड़े की क्वालिटी क्रेता के अपेक्षाओं के अनुसार होगी।

6. टोपी मजबूती से लगाई जाएगी ताकि वह बारिश के पानी के नली या छड़ी के चारों ओर सीखे जाने के रोक सके।

7. जहां कहीं भी आवश्यक हो, छड़ी के सिरे पर लोहे के छल्ले को दृढ़ता से लगाया जाएगा।

8. हैण्डल के कप का समुच्चय इस प्रकार का होगा कि वह छाते की बंद स्थितियों में मुख्य तीलियों के गोल सिरों को पकड़े रहे। कप इस प्रकार का होगा कि जब यह सिरे तक भींचा जाए तो वह तीलियों के सिरों को ठीक सीमित करे।

9. छाता रनर के अटके बिना आसानी से खुल तथा बंद हो सकेगा। खुला होने पर छाता समामित आकार होगा।

10. छाते की बंद अवस्था में छाते के कपड़े पर उस को लपेटने के लिए छल्ले और बटन सहित उपयुक्त पट्टी का उपाबंध किया जाएगा।

11. बंद और खुली अवस्थाओं में प्रत्येक छाते का आकार अच्छा और एकरूप होगा। छाते को 50 बार खोलने और बंद करने के पश्चात् भी तीलियां किसी प्रकार की विकृति नहीं दिखाएंगी और कपड़ा के खुलने या हिलने-डुलने का कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा। लचीली तीलियों की दशा में, खुला छाता बंद करने के लिए चाप छोड़ने पर अपने आप बंद हो जाएगा।

12. छाता हैंडिल पर 10 के जी के कर्षण के अधीन किया जाएगा। हैंडिल न तो टूटेगा न नली से अलग होगा।

13. छाते, इस संबंध में क्रेता के अनुबंध के अनुसार और इस रीति से पैक किए जाएंगे कि उनको अपने छाते गन्तव्य स्थान पर बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रूप से पहुंचना सुनिश्चित हो सके।

14. 50 कि० ग्रा० तक के भार के पैकेज, उसमें रखे माल की या स्वयं पैकेज का नुकसान हुए बिना, 190 सें० मी० की उंचाई से पात सहन करने में समर्थ होंगे। पैकेज की पूर्ण रूप से मौसम के प्रतिकूल प्रभाव और आर्द्रता-संदूषण से संरक्षा की जाएगी।

2. निर्माण धातु सामग्री

दराज के तालो, अलमारी के तालों, बाक्स के तालो, सूटकेस के तालो, पोर्टफोलियों के तालों और ब्रीफकेस के तालों के लिए विनिर्देश

1. (i) ताले ऐसी सामग्री के बनाये जायेंगे जो वास्तविक प्रयोग में उनका युक्तियुक्त काल सुनिश्चित करें। तालों के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली कुछ सामान्य सामग्रियां निम्न हैं :—

ढली हुई पीतल, पीतल की चद्दर, मृदु इस्पात, एल्युमिनियम मिश्र-धातु सचकन (कास्टिंग), एल्युमिनियम मिश्र-धातु, चद्दर, लैंड किया गया टिन कांसा, सिप्रंग, इस्पात का तार, फासफोर कांसे का तार।

(ii) स्प्रिंग के विनिर्माण में प्रयुक्त पीतल का तार, फासफोर कांसे का तार इस्पात का तार निम्न परीक्षा का समाधान करेगा, अर्थात् :—

लीवर स्प्रिंग लीवर में लगा कर इस प्रकार नीचे को दबाया जाएगा कि वह लीवर के ऊपरी सिरे को छुए और तत्पश्चात् उसे छोड़ दे। इसे छह बार दोहराया जाएगा। परीक्षण के अन्त में, स्प्रिंग पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा।

2. तालों का आकार, डिजाइन और क्रियाविधि, क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अधीन रहेंगे।

3. चाबियां मृदु इस्पात, प्लेड किए गए टिन कांसा, पीतल या एल्युमिनियम मिश्र धातु से बनायी जाएंगी और क्रेता द्वारा यथाविनिर्दिष्ट छेद वाली या बिना छेद वाली होंगी। चाबी के बार्ड और दांत चौरस काटे जाएंगे और वे स्पष्ट आकृति के होंगे। चाबी वार्डों के मिलने वाले सिरे गोल किए जायेंगे।

4. कवर प्लेटें और कृत्रिम (डमी) लीवरों को लीवर नहीं माना जाएगा। लीवर, पिवेट पिन पर पर्याप्त घर्षण या कंपन के बिना कार्य करेंगे। लीवर के छिद्र और खांचे खुरदरेपन से मुक्त होंगे। जब लीवर पिड की संपूर्ण गहराई में पूर्ण रूप से न आएं तब ढले हुए पीतल चद्दर पीतल या मृदु इस्पात से बनी एक कवर प्लेट भी उस पर लगाई जाएगी।

5. तालों और चाबियों के सभी घटकों पर उनके कार्य में घर्षण संबंधी अवरोध को कम करने के लिए चिकनी फिनिश की जाएगी।

6. जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, पीतल के ताले और चाबियों पर चमकदार फिनिश होगी। एल्युमिनियम मिश्र धातु के तालों का एनोडीकरण किया जाएगा और एनांडी झिल्ली, जैसा क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, या तो पारदर्शी होगी या रंगी जाएगी। मृदु इस्पात के तालों पर उपर्युक्त मुलम्मा चढ़ाया जाएगा।

7. (1) दराज के ताले तथा आलमारी के ताले इस प्रकार विनिर्मित होंगे कि चाबियों की पारस्परिक अपरिवर्तनशीलता प्रत्येक बैच में निम्न सीमा तक होगी, अर्थात् :—

(i) 2 लीवर वाले तालों के लिए	6 में 1;
(ii) 3 या 4 लीवर वाले तालों के लिए	12 में 1;
(iii) 5 या 6 लीवर वाले तालों के लिए	24 में 1;
(iv) 6 से अधिक लीवर वाले तालों के लिए	96 में 1;

(2) बाक्स के तालों, सूटकेस के तालों, पोर्टफोलियों के तालों तथा ब्रीफकेस के तालों की चाबियां परस्पर परिवर्तनीय हो सकेंगी।

(3) उस दशा में जब कि चाबियों की परस्पर अपरिवर्तनशीलता अधिक संख्या में अपेक्षित हो तब आर्डर देते समय क्रेता द्वारा ऐसा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

8. जब तक क्रेता द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, प्रत्येक ताले पर निम्नलिखित सूचना चिन्हित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) लीवरों की संख्या

(ख) ताले का आकार तथा इसकी क्रम संख्या

चाबी पर उस ताले की क्रम संख्या छापी जाएगी जिससे वह संबंधित है। (यह खंड बक्स के तालों, सूटकेस के तालों, पोर्टफोलियो के तालों तथा ब्रीफकेस के तालों पर लागू नहीं होगा)।

9. (1) जब तक क्रेता द्वारा अन्यथा अनुबंधित न हो, प्रत्येक ताला चाबी सहित पतले कागज में लपेटा जाएगा तथा निम्नलिखित सूचना वाले गत्ते के बाक्सों में पैक किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) आकार,

(ख) मात्रा,

(2) कार्ड-बोर्ड बाक्स में रखे गए ताले इस संबंध में क्रेता की अपेक्षाओं के अनुसार इस रीति से अन्तिम रूप से पैक किए जायेंगे कि उनका

अपने गन्तव्य स्थान तक बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रूप से पहुंचना सुनिश्चित हो सके।

(3) 50 कि० ग्रा० तक के भार के पैकेज, 190 से० मी० की ऊंचाई से उसको या उसमें रखे माल को कोई हानि हुए बिना पात सहन करने में समर्थ होंगे। पैकेजों का मौसम और आर्द्रता संदूषण के प्रतिकूल प्रभावों से पर्याप्त रूप से संरक्षण किया जाएगा।

2. बाड़ लगाने के लिए जस्तेदार इस्पात के कंटीले तार के लिए विनिर्देश

1. कंटीला तार अच्छी वाणिज्यिक क्वालिटी के इस्पात के तार से बनाया जाएगा। लाइन और गांठ प्वाइन्ट तार गोल होंगे, स्केल और अन्य दोषों से मुक्त होंगे और उनको एक एकरूप जस्तेदार किया जाएगा। लाइनतार लगातार लम्बाई का होगा और उसमें इसके खींचे जाने से पूर्व राड में के वैल्ड को छोड़कर और कोई वैल्ड नहीं होगा।

2. तार का आकार और प्रकार क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार होगा। तथापि लाइन तार एवं प्वाइन्ट तार का नाप-मात्र का व्यास 2.00 मि० मी० से कम नहीं होगा। लाइन तार तथा प्वाइन्ट तार के नाममात्र के संबंध में अनुज्ञेय कमी +0.13 मि० मि० से अधिक नहीं होगी।

3. कंटीला तार दो लाइन तारों को मरोड़ कर बनाया जाएगा जिसके एक या दोनों में कांटे होंगे। लड़ियां एक समान मरोड़ी जाएंगी। क्रेता की अपेक्षा के अनुसार कंटकों की दो या चार नोकें होंगी। कंटक तेज भली प्रकार बनाए जाएंगे और लाइन तार (तारों के चारों ओर मजबूती से लपेटे जाएंगे। कंटकों की लम्बाई 13 मि० मि० से अन्यून और 20 मि० मि० से अनधिक नहीं होगी। कंटक बराबर दूरी पर होंगे। कंटकों की बीच की दूरी, 8 मीटर लम्बे कटीले तार में अलग-अलग कंटकों के बीच की दूरी को माप पर कर तय की जाएगी। औसत दूरी विनिर्दिष्ट दूरी से अधिक नहीं होगी। और प्रत्येक दूरी और विनिर्दिष्ट दूरी में 25 मि० मी० से अधिक का फेरफार नहीं होगा।

4. तार के अपने व्यास के लगभग दस गुने बेलनाकार छड़ पर गोल लपेटे जाने पर, उसके जस्ते की परत में पत्रकन (फ्लेकिंग) या विल्कन (पीलिंग) का कोई लक्षण नहीं दिखाएगा।

5. लाइन तार बिना टूटे अपने व्यास के चारों ओर आठ बार लपेटे तथा खोले जाने को सहन करेगा।

6. जब तक क्रेता द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, कंटीला तार धातु या लकड़ी की रीलों में दिया जाएगा, कंटीले तार की प्रत्येक रील सहंत रूप से लपेटी एवं बांधी जाएगी।

7. कंटीले तार की प्रत्येक रील पर विनिर्माता नाम या ब्राण्ड का नाम, प्वाइन्ट और लाइन तारों के व्यास की दूरी और रील की लम्बाई स्पष्ट रूप से अंकित रहेगी।

3. तसलों के लिए विनिर्देश

1. तसले ऐसी शीत, बेल्लित शीत, और अनील चद्दरों से बनाए जाएंगे जो निम्नलिखित परीक्षण वहन करने में समर्थ हों, अर्थात् :—

उपयुक्त परीक्षण टुकड़े, जब ठंडे हों, तब दबाव या हथौड़े की चोटों से दोहरा मोड़ने पर तब तक न टूटेगा या उसमें दरारें न पड़ेंगी जब तक कि आन्तरिक अर्द्धव्यास परीक्षण टुकड़े की मोटाई के बराबर न हो जाए और बगले समानान्तर न हो जाएं।

2. तसलों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाली इस्पात की चद्दर 30 एस०डब्लू०जी० (लगभग 0.304 मि० मी०) से कम नहीं होंगे। अन्य संरचनात्मक विवरण क्रेता और निर्यातकर्ता के मध्य हुए करार के अधीन होंगे।

3. तसलों पर चिकनी फिनिश होगी और तेज किनारे गोल मुड़े हुए और जंक से सुरक्षा के लिए उपयुक्त परीक्षण उपचार किया जायगा।

4. तसलों पर चिकनी फिनिश होगी और तेज किनारे गोल मुड़े हुए और जंक से सुरक्षा के लिए उपयुक्त परीक्षण उपचार किया जाएगा।

5. तसले इस संबंध में क्रेता के अनुबंध के अनुसार और इस रीति से पैक किए जायेंगे कि उनका अपने गन्तव्य स्थान तक बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रूप से पहुंचना सुनिश्चित हो सके।

4. कब्जों के विनिर्देश

1. कब्जे अच्छी क्वालिटी की सामग्री से बनायें जायेंगे। कब्जों के विनिर्माण में प्रयुक्त चद्दरें उपयुक्त टुकड़ों को या तो दबाव से या हथोड़े की चोटों से 180 डिग्री पर परीक्षण टुकड़े की मोटाई के लगभग मोटाई पर मोड़ा जाएगा और मुड़े भाग के बाहर टूटने या दरार का कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा। ढले हुए पीतल से बने हुए कब्जों पर मोड़ परीक्षण किया जाएगा।

2. आकार आकृति और लंबाई-चौड़ाई क्रेता और विक्रेता के मध्य तय हुए करार के अनुसार होंगे।

3. कब्जे भली प्रकार बने होंगे और खुरदरेपन, घटाव-बढ़ाव और अन्य दोषों से मुक्त होंगे। ढले हुए पीतल से बने कब्जे वात-छिद्रों, ढलाई के और अन्य सतही दोषों से मुक्त होंगे। गति वर्गाकार होगी और कार्य निर्बाध रूप से और सुगमता से अधिक गतिशीलता या कम्पन के बिना किया जा सकेगा। कब्जे के पिन का छेद आधार के मध्य में होगा और वह वर्गाकार होगा। कब्जा पिन मजबूत होगा और रिवेट किया जायेगा या खांचे पर लगाया जाएगा ताकि शीर्ष भली प्रकार बन जाए। जब तक अन्यथा अनुबंधित न हो, 20 गेज सहित और इससे मोटे गेज की चद्दर पर पेच छिद्र प्रतिगतित होंगे और प्रतिगतित लकड़ी के पेंचों के लिए उपयुक्त होंगे। सभी पेच छिद्रों के मध्य और कब्जा के बीच कम से कम डी की दूरी उस दशा में होंगी, जबकि 'डी' पेच-छिद्र का व्यास है। मकिल के बगल फ्लप से सीधे समकर्णों पर होंगे।

4. दोनों तरफ घूमने वाले स्प्रिंग कब्जे निम्नलिखित निष्पादन परीक्षण पूरे करेंगे जो कि इसे सामान्य रीति से प्रदोल दरवाजे में लगा कर की जाएगी, अर्थात् :—

जब दरवाजा प्रत्येक ओर 6 बार 90° में से द्रुतक्रम से धकेला (खोला) जाता है और फिर उसे छोड़ा जाता है, तो परीक्षण के दौरान या उसके पूरा हो जाने पर स्प्रिंग में टूट-फूट या स्थायी रुकावट का कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा।

5. जब तक क्रेता द्वारा अन्यथा अनुबंधित न हो 18 ए० डब्ल्यू० जी० (.048 इंच या 1.22 मि० मी०) और इससे कम मोटाई वाले कब्जे गत्ता बाक्सों में पैक किए जायेंगे।

6. 50 कि० ग्रा० तक के भार के पैकेज उसको या उसमें रखे माल को कोई नुकसान हुए बिना 190 से० मी० की उंचाई से पात सहन करने में समर्थ होंगे। पैकेजों का मौसम प्रतिकूल प्रभावों और आर्द्रता संदूषण से पर्याप्त रूप से संरक्षण किया जाएगा।

5. मृदु इस्पात की तार की कीलों के लिए विनिर्देश

1. कीलों का विनिर्माण मृदु इस्पात का तार से किया जाएगा। तार के उपयुक्त परीक्षण टुकड़े, जब ठंडे हो तब, दबाव या हथौड़े की चोटों से दोहरा मोड़ने पर, तब तक न तो टूटेंगे न उनमें दरार पड़ेगी जब तक कि आन्तरिक अर्द्ध व्यास परीक्षण टुकड़े के व्यास के बराबर और सिरे समानान्तर न हो जाएं।

2. कीलें मशीन से बनी होंगी। वे सीधी, अवगोषों से मुक्त एवं तेज नोकों वाली होंगी। शीर्ष भली प्रकार बने होंगे और शंक से समकेन्द्री होंगे।

3. विभिन्न प्रकार की कीलों के, जिनमें सभी प्रकार की कटी हुई कीलिकाएं और बोर्ड पिनें सम्मिलित हैं, आकार, आकृति और लम्बाई-चौड़ाई संबंधी सहायता के अभाव में निम्नलिखित लागू होगा, अर्थात् :--

	मि० मी० में सहायता	
तार की कीलें (जो कटी हुई कीलिकाओं से भिन्न हैं)	(शक) वृत्त व्यास ±0.06	समग्र लम्बाई +2.0 −0.0
कटी हुई कीलिकाएं	±0.13	+2.0 —1.0

4. जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो तो, कीलें चमकदार फिनिश करके दी जाएंगी।

5. जब तक क्रेता द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो कीलों के सभी पैकें जिस पर निम्नलिखित सूचना अंकित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) आकार

(ख) मात्रा

(6) (i) विभिन्न आकारों व प्रकारों की कीलें अलग-अलग डिब्बों में पैक की जाएंगी।

(ii) जब तक क्रेता द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हों, मृदु इस्पात की तारों की कीलों के डिब्बे अन्तिम रूप से इस संबंध में क्रेता के अनुबन्ध के अनुसार इस रीति से पैक किए जाएंगे जिससे कि तार की कीलों का अपने गन्तव्य स्थान तक बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रूप से पहुँचना सुनिश्चित हो जाए।

(iii) 50 कि० ग्रा० तक के भार के पैकेज, उसको या उनमें रखे माल को कोई नुकसान हुए बिना 190 सें० मी० की ऊंचाई पात सहन कर सकेगा पैकेजों का मौसम और आर्द्रता संदूषण के प्रतिकूल प्रभावों से पर्याप्त रूप से संरक्षण किया जाएगा।

6. मार्टिस तालो (उर्ध्वाधर प्रकार के) के लिए विनिर्देश

(1) ताले इस प्रकार की सामग्रियों से बनाए जाएंगे जो वास्तविक प्रयोग में उनका युक्तियुक्त काल सुनिश्चित कर सके। तालों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली कुछ सामान्य कच्ची सामग्रियां निम्न हैं :--

मृदु इस्पात, आघातवर्धनीय लोहा, ढला हुआ पीतल, पीतल की चद्दर बहिर्वधित पीतल, पीतल की तार, ढली हुई एल्युमिनियम मिश्र धातु, एल्युमीनियम मिश्र-धातु चद्दर, बहिर्वधित एल्युमीनियम मिश्र धातु, सीसेदार टिन, कांसा, जस्ते के आधार वाली ढली हुई मिश्र धातु डाई, फासफोर कांसा, इस्पात की तार, अंगरोधी इस्पात।

(2) स्प्रिंगों के विनिमाण में प्रयुक्त पीतल का तार, फासफोर कांसे की तार और इस्पात की तार निम्न परीक्षणों का समाधान करेंगे :—

'लीवर स्प्रिंग लीवर में फिट कर दी जाएगी और इस प्रकार नीचे की ओर दबाया जाएगा कि वह लीवर के शीर्ष के सिरे को छूए और तत्पश्चात् उसे छोड़ दिया जाएगा। यह 6 बार दोहराया जाएगा। परीक्षण के अन्त में स्प्रिंग पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा।

2. तालों की आकृति, डिजाइन, लम्बाई-चौड़ाई और क्रिया-विधि क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार होंगे।

3. प्रत्येक ताले के साथ दो चाबियां दी जाएंगी। प्रत्येक चाबी ठोस मृदु इस्पात खंड, सीसेदार टिन, कांसा, स्टेनलेस इस्पात या डाई कास्ट पीतल की मिश्र धातु मे गढ़ कर या पंच करके बनाई जाएगी। चाबियों के अवरोध विविध संयोजनों के लिए पूरी तरह काटे जाएंगे, स्पष्ट होंगे और खुरदरेपन से मुक्त होंगे। चाबियां के मिलाने वाले अवरोध गोल किए जाएंगे। चाबियां सुविधापूर्वक बिना अधिक घर्षण के कार्य करेंगी।

4. पीतल के पिंड चिकनी फिनिश वाले होंगे। इस्पात के पिंड पर उपयुक्त सुरक्षात्मक कोटिंग जैसे रंगलेप किया जाएगा। सामने की प्लेट और पिछली (स्ट्राइकिंग) प्लेट पर चिकनी फिनिश की जाएगी और उन पर चमकीली पालिश की जाएगी। जहां क्रेता द्वारा ऐसा वांछित हो, सामने की प्लेट और पिछली (स्ट्राइकिंग) प्लेट पर मुलम्मा चढ़ाया जा सकेगा और वह एनोडीकृत या आक्सीकृत भी हो सकेगी।

5. (1) ताले इस प्रकार बानए जाएंगे कि प्रत्येक बैंच में चाबियों की परस्पर अपरिवर्तशीलता निम्न सीमा से अधिक नहीं हो, अर्थात् :--

(1) 2 लीवर वाले तालों के लिए 6 में 1;

(2) 3 या 4 लीवर वाले तालों के लिए 12 में 1;

(3) 5 या 6 लीवर वाले तालों के लिए 24 में 1;

(4) 6 लीवर से अधिक वाले तालों के लिए 96 में 1।

(2) उस दशा में, चाबियों की जब परस्पर अपरिवर्तशीलता अधिक संख्या में अपेक्षित हो, क्रेता द्वारा आदेश देते समय ऐसा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

6. समुच्चय किया हुआ ताला निम्नलिखित परीक्षण को सहन करेगा, अर्थात् :—

(1) जब हैंडल सहित तकुआ ताले के छिद्र में डाला जाकर घुमाया जाता है, तब सिटकनी बोल्ट ताले के पिंड में सुविधा से चला जाएगा और वह सामने के सिरे से एक मिली मीटर भीतर होगा।

(2) जब सिटकनी बोल्ट दबाव डाल कर ताले के पिंड में दबाया जाता है, तब क्रिया सुविधापूर्वक होगी और जब पूरा दबाव पड़े तब सिटकनी बोल्ट सामने की सतह के सिरे से एक मिलीमीटर से अधिक बाहर नहीं निकलेगा।

(3) जब ताले के एक पार्श्व से चाबी छिद्र में डाली जाकर ताला लगाने वाले बोल्ट को वापस फेरने के लिए घुमाई जाती है, तो क्रिया सुविधापूर्वक और निर्बाध होगी। जब घुमाव की दिशा, ताला लगाने वाले बोल्ट में ताला लगाने के लिए उल्टी की जाती है, तब भी क्रिया सुविधापूर्वक और निर्बाध होगी। ताला बन्द होने की दशा में ताला लगाने वाला बोल्ट सामने की सतह के सिरे से न्यूनतम 12 मि० मी० बाहर निकलेगा, यद्यपि एक मिलीमीटर का निर्बाध संचलन अनज्ञेय है। ताला लगाने वाले बोल्ट में दोनों दिशाओं में कई बार जल्दी जल्दी चाबी घुमाई जाएगी। ताले की दूसरी ओर से चाबी लगाकर यह परीक्षण दोहराया जाएगा। संघटक अपनी सामान्य स्थिति से अन्यों को बाधा उत्पन्न करने के लिए नहीं हटेंगे।

(4) जब ताला लगाने वाले बोल्ट में ताला लगाने के लिए, चाबी उंगली से उस पर युक्तियुक्त बल लगाते हुए घुमाई जाती है, तब चाबी का घूर्णन पूरा होने के पश्चात् ताला लगाने वाले बोल्ट में निश्चित रूप से पहले की स्थिति में ताला बन्द हो जाएगा। ताले की दूसरी ओर से चाबी लगाकर यह परीक्षण दोहराया जाएगा।

7. (1) जब तक क्रेता द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो तो, प्रत्येक ताले पर निम्नलिखित सूचना अंकित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) लीवरों की संख्या,

(ख) चाबी का माप तथा इसकी क्रम-संख्या ।

(ग) चाबी पर, उस ताले की क्रम संख्या अंकित की जाएगी जिससे वह संबंधित है ।

8. (1) जब तक क्रेता द्वारा अन्यथा अनुबंधित न हो, प्रत्येक ताला चाबियों सहित पतले कागज में लपेटा जाएगा, और निम्नलिखित सूचना लिखे गत्ते के डिब्बों में पैक किया जाएगा ।

(क) माप

(ख) मात्रा

(2) गत्तों के डिब्बों में के ताले अन्तिम रूप से इस संबंध में क्रेता के अनुबन्ध के अनुसार और इस रीति से पैक किए जाएंगे जिससे यह कि ताले उनका अपने गन्तव्य स्थान तक बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रूप से पहुँचना सुनिश्चित हो सके ।

(3) 50 कि० ग्रा० तक के भार में पैकेज, उसके या उसमें रखे माल की कोई नुकसान हुए बिना 190 से० मी० की ऊँचाई से पात सहन कर सकेंगे । पैकेजों का मौसम और आर्द्रता के प्रतिकूल प्रभावों से पर्याप्त रूप से संरक्षण किया जाएगा ।

7. पैडलॉक के लिए विनिर्देश

1. (1) ताले इस प्रकार की सामग्री से बनाए जाएंगे जो वास्तविक प्रयोग में उनका युक्तियुक्त काल सुनिश्चित कर सके । तालों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली कुछ सामान्य सामग्रियां निम्न हैं :—

मृदु इस्पात, ढला हुआ पीतल, पीतल की चद्दर, जस्ता मिश्र धातु, सीसेदार टिन कांसा, जस्तेदार मृदु इस्पात का तार, पीतल का तार, फासफोर कांसे का तार ।

(2) स्प्रिंग के विनिर्माण में प्रयुक्त पीतल का तार और फासफोर कांसे का तार निम्न परीक्षणों को समाधान करेगा, अर्थात् :—

लीवर स्प्रिंग लीवर में फिट कर दी जाएगी तथा उसे इस प्रकार नीचे की ओर दबाया जाएगा कि वह लीवर के शीर्ष के सिरे को छूए और तत्पश्चात् उसे छोड़ दिया जाएगा यह 6 बार दोहराया जाएगा । परीक्षण के अन्त में स्प्रिंग पुन: अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा ।

2. तालों की आकृति, डिजाइन तथा क्रिया-विधि, क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार होंगे ।

3. चाबियां मृदु इस्पात, सीसेदार टिन कांसा, पीतल या एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बनायी जाएगी और वे क्रेता द्वारा यथाविनिर्दिष्ट छेद वाली या बिना छेद वाली होंगी । चाबियों के अवरोधक बार्ड और दांते बराबर काटे या ड्रिल किए गए होंगे, स्पष्टीकृति के होंगे और खुरदरेपन से मुक्त होंगे । चाबियों के अवरोधक (वार्ड) और सिरे, गोल और साफ किए हुए होंगे ।

4. ढक्कन प्लेटों और कृत्रिम (डमी) लीवरों को, लीवर के रूप में नहीं माना जाएगा । लीवर, पिवेट के पिन पर पर्याप्त अर्षण या कंपन के बिना कार्य करेंगे । लीवरों के छिद्र और खांचे खुरदरेपन से मुक्त होंगे। जब लीवर पिड की संपूर्ण गहराई तक न जाएं तब ढले हुए पीतल, पीतल की चद्दर या मृदु इस्पात से बनी प्लेट भी उस पर लगाई जाएगी।

5. तालों और चाबियों के सभी संघटकों पर, उनके कार्य में अर्षण संबंधी अवरोध को कम करने के लिए चिकनी फिनिश की जाएगी ।

6. जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, पीतल के ताले और चाबियों पर चिकनी फिनिश होगी और प्रलाक्ष किया जाएगा । तथापि, पीतल के पैडलाक के शैकल और चाबी पर चमकीली फिनिश की जाएगी । यदि विनिर्दि० किया जाए तो शेकल उपयुक्त रूप से सख्त किए जाएंगे । ये बिना अर्षण के घूमेंगे और बहुत ढीले नहीं होंगे ।

7. ताले 'एम' प्रकार, मिलर प्रकार, लीवर टम्बलर प्रकार, पिन टम्बलर प्रकार के या क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रकार के हो सकेंगे ।

8. (1) ताले इस प्रकार बनाए जाएंगे कि चाबियों पर परस्पर अपरिवर्तनशीलता प्रत्येक बैच में नीचे दिए गए से अधिक न हो :—

I. पीतल के ताले

(i) 2 लीवर वाले तालों के लिए 12 में 1 ;

(ii) 3 या 4 लीवर वाले तालों के लिए 24 में 1 ;

(iii) 5 या 6 लीवर वाले तालों के लिए 48 में 1 ;

(iv) 6 से अधिक लीवर वाले तालों के लिए 96 में 1 ।

II. इस्पात के ताले तथा जिंक मिश्र-धातु डाई कास्ट के ताले ;

(i) 2 लीवर वाले तालों के लिए 6 में 1 ;

(ii) 3 या 4 लीवर वाले तालों के लिए 12 में 1 ;

(iii) 5 या 6 लीवर वाले तालों के लिए 24 में 1 ;

(iv) 6 से अधिक लीवर वाले तालों के लिए 96 में 1

(2) स्प्रिंग क्रिया-विधि से कार्य करने वाले और बिना लीवर के तालों की चाबियाँ परस्पर परिवर्तनशील हो सकेंगी ।

(3) तालों में प्रयुक्त पिन और डिस्क आदि सभी व्यवस्थाएं लीवरों के रूप में मानी जाएंगी ।

(4) यदि चाबियों की परस्पर अपरिवर्तनशीलता अधिक संख्या में अपेक्षित हो तो, आदेश देते समय क्रेता द्वारा ऐसा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

9. तालों के विभिन्न प्रकारों पर बनावट संबंधी मजबूती का निम्नलिखित परीक्षण किया जाएगा, अर्थात् :—

(1) मिलर प्रकार के तालों के लिए

ताले का पिण्ड शिकन्जो वाइस में कसा जाएगा तथा बन्ध दण्ड में शेकल एक हुक या आई में लगाया जाएगा । जब नीचे विनिर्दिष्ट भार उर्ध्वाधर दिशा में हुक पर क्रमश: धीरे-धीरे डाला जाए तब ताला खराब नहीं होगा ।

आकार	भार
मि०मी०	कि०ग्रा०
15	10
20	15
25	15
30	20
35	25
40	30
50	30

जिन आकारों का ऊपर उल्लेख नहीं है, उनपर ऊपर के आधार पर औसत भार डाला जाएगा । 15 मि०मी० से कम के और लीवर क्रिया-विधि से काम न करने वाले आकारों पर यह परीक्षण लागू नहीं होगा ।

(2) लीवर टम्बलर प्रकार के तथा पिन टम्बलर प्रकार के तालों के लिए

ताले का पिण्ड यथोचित रूप से पकड़ा जाएगा और बन्द दशा में शेकल हुक या प्राई में लगाया जाएगा। जब ताले के आकार के प्रति मिलीमीटर पर एक कि० ग्रा० के हिसाब से हुक पर क्रमश: धीरे-धीरे ऊर्ध्वाधर भार डाला जाए, तब ताला खराब नहीं होगा।

(3) 'एम' प्रकार और अन्य प्रकार के तालों के लिए

ताले जब बन्द हों, शेकल से पकड़ कर पेडलाक के जिस ओर शेकल रिवेट किया हुआ है, उस ओर से सीसा-खंड पर पांच तेज चोटें की जाएंगी। तत्पश्चात् ताला खोला जाएगा, तथा ताले के दूसरी ओर से चोट करते हुए परीक्षण दोहराया जाएगा। परीक्षण के दौरान या उसकी समाप्ति पर ताले में दोषपूर्ण काम करने के नुकसान के कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा।

10. (1) जब तक क्रेता द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, प्रत्येक ताले पर निम्नलिखित सूचना अंकित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) लीवरों की संख्या।

(ख) ताले का आकार और उसकी क्रम संख्या।

(2) चाबियों पर, उस ताले की क्रम संख्या अंकित की जाएगी जिससे वे संबंधित हैं।

11. (1) जब तक क्रेता द्वारा अन्यथा अनुबन्धित न हो, प्रत्येक ताला, चाबियों के साथ पतले कागज में लपेटा जाएगा और निम्नलिखित सूचना वाले गत्ते के डिब्बों में पैक किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) आकार

(ख) मात्रा

(2) गत्ते के डिब्बों में पैक किए गए ताले अन्तिम रूप से इस संबंध में क्रेता के अनुबन्ध के अनुसार और रीति से पैक किए जाएंगे जिससे यह कि ताले का उसके अपने गन्तव्य स्थान तक बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रूप से पहुंचना सुनिश्चित हो सके।

(3) 50 कि० ग्रा० तक के भार के पैकेज, उसको या उसमें रखे माल की कोई नुकसान हुए बिना 190 सें०मी० की ऊंचाई से सहन कर सकेंगे। पैकेजों का मौसम और आर्द्रता-संदूषण के प्रतिकूल प्रभावों से पर्याप्त रूप से संरक्षा किया जाएगा।

8. पेडलाक के साथ प्रयुक्त होने वाले दरवाजों के सरकवां बोल्टों के लिए विनिर्देश

1. दरवाजों के सरकवां बोल्ट इस प्रकार की सामग्री से बनाए जाएंगे जो जिससे यह कि उनका युक्तियुक्त काल पर्यन्त वास्तविक प्रयोग सुनिश्चित कर सकें। दरवाजों के सरकवां बोल्टों के बनाने में प्रयुक्त कुछ सामान्य कच्ची सामग्रियां निम्न हैं :—

ढला हुआ पीतल, आघातवर्धनीय ढला लोहा, मृदु इस्पात, एल्युमीनियम मिश्र धातु तथा जस्ता मिश्र-धातु।

2. लम्बाई-चौड़ाई, आकृति और डिजाइन क्रेता तथा निर्माता-कर्ता के मध्य हुए करार के अनुसार होंगे। दरवाजों के सरकवां बोल्टों के सामान्य प्रकार निम्न हैं :—

(क) प्लेट के प्रकार के सरकवां बोल्ट, और

(ख) क्लिप या बोल्ट के प्रकार के सरकवां बोल्ट

3. दरवाजों के सरकवां बोल्ट विनिर्माण संबंधी दोषों से मुक्त होंगे। सभी तेज किनारे और कोनों को ठीक करके उनको चिकना जाएगा। दरवाजों के सरकवां बोल्ट सुविधा से सरकाए जाएंगे। जब तक अन्यथा अनुबंधित न हो, 20 गेज से कम मोटाई की चद्दर के सिवाय पेंच छिद्र प्रतिगर्तित किए जाएंगे।

4. जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, दरवाजों के सरकवां बोल्टों पर निम्न फिनिश की जाएगी, अर्थात् :—

(1) पीतल-सभी भागों पर चमकीली पालिश की जाएगी या मुलम्मा चढ़ाया जाएगा।

(2) आघातवर्धनीय ढला लोहा-इनेमलित स्टोव या आक्सीकृत तांबा।

(3) मृदु इस्पात-समुच्चय से पूर्व बोल्टों, प्लेटों, स्ट्रेपों और स्टेपिल प्लेटों पर स्टोव इनेमल किया जाएगा। हास्य बोल्ट पर चमकीली फिनिश होगी या मुलम्मा चढ़ाया जाएगा।

(4) एल्युमीनियम मिश्र धातु—प्राकृतिक चमकदार, मेंट या साटिन फिनिश वाली एनोडीकृत की जाएगी या रंगी जाएगी।

(5) जस्ता मिश्र धातु—चमकदार साटिन फिनिश होगी। निकल का मुलम्मा चढ़ाया जाएगा। तांबा आक्सीकृत किया जाएगा और कांसे की फिनिश की जाएगी।

5. मुलम्मा चढ़ाए हुए दरवाजों के सरकवां बोल्टों पर प्लेटिंग आसंजन का निम्नलिखित परीक्षण किया जाएगा, अर्थात् :—

मुलम्मा चढ़ी हुई सतह के 6.5 वर्ग सें०मी० से अनधिक क्षेत्र को धातु के चिकने उपकरण से 15 सैकिण्ड के लिए जल्दी-जल्दी और दृढ़ता से रगड़ा जाएगा। रगड़ने के लिए उपयुक्त तांबे की डिस्क (अर्थात् तांबे का सिक्का) है जो कि किनारे की ओर से और चौड़ी ओर से प्रयोग की जाएगी। प्रत्येक स्ट्रोक में मुलम्मे की फिल्म को रगड़ने के लिए दबाव पर्याप्त होगा किन्तु उतना अधिक नहीं होगा कि वह निक्षेप को काट दे। तब रगड़े हुए क्षेत्र की परीक्षा देख कर की जायगी। यदि निक्षेप के आधारभूत धातु से अलग होने का कोई संकेत नहीं है तो परीक्षण का आसंजन पर्याप्त समझा जाएगा।

6. (1) जब तक क्रेता द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो तो, दरवाजों के बोल्ट मजबूत कागज में लपेटे जाएंगे तथा निम्नलिखित सूचना वाले गत्ते के डिब्बों में, पैक किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) आकार

(ख) मात्रा

(2) गत्ते के डिब्बों में रखे दरवाजों के सरकवां बोल्ट अंतिम रूप से इस संबंध में क्रेता के अनुबन्ध के अनुसार और इस रीति से पैक किए जाएंगे कि इनका गन्तव्य स्थान तक बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रूप से पहुंचना सुनिश्चित हो सके।

(3) 50 कि०ग्रा० तक के भार के पैकेज, उनके या उनमें रखे माल की कोई नुकसान हुए बिना 190 सें०मी० की ऊंचाई से पात सहन कर सकेंगे। पैकेजों का मौसम और आर्द्रता संदूषण के प्रतिकूल प्रभावों से पर्याप्त रूप से सुरक्षण किया जाएगा।

9. टावर बोल्टों के लिए विनिर्देश

1. टावर बोल्ट इस प्रकार की सामग्रियों से बनाई जाएंगी जिनसे उनका युक्तियुक्त काल वास्तविक प्रयोग में सुनिश्चित हो सके। बोल्टों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां निम्न होंगी, अर्थात् :—

मृदु इस्पात, ढला हुआ लोहा, आघातवर्धनीय ढला हुआ लोहा, पीतल (ढला हुआ बेल्लित और बहिर्वेधित जस्ती मिश्र-धातु तथा एल्यूमीनियम मिश्र-धातु।

2. आकृति, डिजाइन और लम्बाई-चौड़ाई क्रेता और निर्यातकर्ता के मध्य हुए करार के अधीन होंगे ।

3. टावर बोल्ट भली प्रकार से बनाए जाएंगे और दोषों से मुक्त होंगे । बोल्टों को सही आकार का बनाया जाएगा और वे आसानी से कार्य करेंगे । जब तक अन्यथा अनुबन्धित न हो, 20 गेज से कम मोटाई वाली चद्दर से सिवाय, पेंच छिद्र प्रतिगार्तत होंगे । सभी तेज किनारों एवं कोनों को मिटाकर उनपर चिकनी फिनिश की जाएगी । प्लेट और स्ट्रेपों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त रिवटों के शीर्ष भली प्रकार बनाए जाएंगे और पिछली रिवटों के शीर्ष एक मिलीमीटर से अधिक नहीं उभरेंगे ।

4. चटखनियों में घुण्डी होगी या घुण्डी को बोल्ट में एक पिन से फिट किया जाएगा । घुण्डी पेंच से लगाई और रिवट की जाएगी और उस पर सपाट फिनिश की जाएगी । अलौह धातु की टावर बोल्टों में और उन बोल्टों में जिनमें या तो बेरल या बोल्ट अलौह धातुओं की बनी हों, सुविधाजनक रूप से कार्य करने के लिए जहां कहीं इसकी अपेक्षा की जाए एक छोटा स्प्रिंग और एक गोली लगाई जाएगी । समुच्चय के पश्चात् प्लेटें और स्ट्रेप दृढ़ता से रिवेट किए जाएंगे ।

5. बोल्ट, स्टेपिल्स और प्लेटें दोषों से मुक्त होंगे । उस दशा में, जहां बोल्ट बनते हैं, वे ढलाई के और अन्य सतही दोषों से मुक्त होंगे ।

6. जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, टावर बोल्टों की फिनिश निम्नलिखित होगी, अर्थात् :—

(1) मृदु इस्पात के टावर बोल्ट—बोल्टों पर चमकदार फिनिश की जाएगी या उस पर मुलम्मा चढ़ाया जाएगा और अन्य भागों पर स्टोव इनेमल किया जाएगा ;

(2) पीतल के टावर बोल्ट—बोल्टों तथा बेरलों पर पालिश की जाएगी या मुलम्मा चढ़ाया जाएगा तथा अन्य भागों पर स्टोव इनेमल किया जाएगा ;

(3) एल्युमीनियम मिश्र-धातु टावर—बोल्ट, बोल्टों, बेरलों, प्लेटों और स्ट्रेपिल्सों को एनोडिकृत किया जाएगा । एनोडी फिल्म, क्रेता द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रूप में या तो पारदर्शी या रंगी हुई हो सकेगी ।

(4) जस्ता मिश्र-धातु के टावर—बोल्ट बोल्ट, बेरल, प्लेट और स्ट्रेपिल्स को आक्सीकृत किया जाएगा, उसपर कांसा या मुलम्मा चढ़ाया जाएगा ।

(5) ढले हुए लोहे के टावर बोल्ट—बोल्ट और बेरल, पर चिकनी फिनिश होगी, बेरल पर मुलम्मा चढ़ाया जाएगा या इसे रंग-लेपित किया जाएगा और बोल्ट पर मुलम्मा चढ़ाया जाएगा या पालिश की जाएगी ।

7. जब तक क्रेता द्वारा अन्यथा अनुबंधित न हो टावर बोल्टों को टिशू कागज या पालिथीन फिल्म में लपेटा जाएगा और निम्न सूचना वाले गत्ते के डिब्बों में पैक किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) आकार,

(ख) मात्रा

(2) गत्ते के डिब्बों में रखे टावर बोल्ड अंतिम रूप से इस संबन्ध में क्रेता के अनुबन्ध के अनुसार और इस रीति से पैक किए जाएंगे कि उनका अपने गन्तव्य स्थान तक बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रूप में पहुंचना सुनिश्चित हो सके ।

(3) 50 कि०ग्रा० तक के भार के पैकेज, उनके या उनमें रखे माल का कोई नुकसान हुए बिना 190 सें० मी० की ऊंचाई से पात सहन कर सकेंगे । पैकेजों का मौसम और आर्द्रता संदूषण के प्रतिकूल प्रभावों से पर्याप्त रूप से सुरक्षा किया जाएगा ।

10. तार की जाली के लिए विनिर्देश

1. तार की जाली, क्रेता तथा विक्रेता के मध्य करार की गई किसी उपयुक्त सामग्री से बने तार से बनाई जाएगी । तार एक रूप से अनुप्रस्थ काट वाला होगा । प्रयुक्त तार सफाई से खींचा गया और झल्क व विपाटों से मुक्त होंगे ।

2. जाली (यथास्थिति), एक समान वर्गाकार या आयताकार जाल रन्धों या छिद्रों को बनाने के लिए ताना बाना दोनों ही दिशाओं में बराबर की दूरी पर रखे गए समानान्तर तारों की पर्याप्त संख्या से नियमानुसार बुनी जाएगी । दोनों ताने और बाने के तार, तारों के विचलन के निवारण के लिए और समाप्ति पर जाली की समस्त सतह बिना किसी विकृति के तैयार करने के लिए उचित रूप से यथास्थिति, लहरदार या बुने हुए होंगे । यह सावधानी बरतते हुए कि जाली के किनारे विकृत न हो जाए, तार की जाली प्रत्येक सिरे में, जहां कहीं संभव हो, एक या अधिक तारों द्वारा उचित रूप से बुने हुए किनारों की बनाई जाएगी ।

3. तार की जाली की लम्बाई-चौड़ाई साधारणतः नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगी । तथापि, अन्य लम्बाई-चौड़ाई वाली जाली भी क्रेता और निर्यातकर्ता के मध्य हुए करार के अधीन रहते हुए निर्मित की जा सकती है ।

सारणी

तार की जाली की लम्बाई चौड़ाई

जाली का नाम	छिद्र की औसत चौड़ाई	तार का नामित व्यास	
		मि०मी०	निकटस्थ एस०डब्लू० जी०
160 जा० . .	1.60	0.950	19½
140 जा० . .	1.40	0.710	22
120 जा० . .	1.20	0.600	23
100 जा० . .	1.00	0.600	23
85 जा०	0.84	0.560	24
80 जा०	0.79	0.530	24½
70 जा०	0.71	0.450	26
60 जा०	0.59	0.425	27
50 जा०	0.50	0.355	29
40 जा०	0.42	0.280	31½

नोट (क) जाली का नाम डेकामिक्रोन में जाली के वर्गाकार छिद्र के सन्निकट आकार का संकेत देता है । उदाहरणतया 100 जा० से ऐसी जाली अभिप्रेत है जिसकी छिद्र की चौड़ाई लगभग 1.00 मि०मी० है ।

(ख) 140 जा० से ऐसे परदों के लिए ठीक है जिनमें मक्खी न जा सके । 120 जा० और 100 जा० ऐसे परदों के लिए ठीक है जिसमें मच्छर नहीं जा सकते हैं ।

(2) लम्बाई-चौड़ाई में निम्नलिखित क्रमीवेशी अनुज्ञेय होंगी, अर्थात् :

(1) सम्पूर्ण लम्बाई	± 2.5 सें० मी०
(2) सम्पूर्ण चौड़ाई	± 0.5 सें० मी०
(3) छिद्र की चौड़ाई :	
(क) 1 मि० मी० तक जिसमें वह भी सम्मिलित है के छिद्र	5 प्रतिशत
(ख) 1 मि०मी० से ऊपर के छिद्र	3 प्रतिशत

4. तार की जाली उपयुक्त जंग रोधी सामग्री में लपेटी जाएगी और तत्पश्चात् क्रेता की अपेक्षाओं के अनुसार इस रीति से पैक की जाएगी कि उनका अपने तार जाली के गन्तव्य स्थान तक सुरक्षित रूप में बिना किसी नुकसान के पहुंच सुनिश्चित हो सके ।

5. जब तक क्रेता द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो तो, प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित सूचना स्पष्ट रूप से अंकित की जाएगी, अर्थात्:—

(क) चौड़ाई × लम्बाई,

(ख) जाली का नाम और प्रयुक्त तार का व्यास

छुरी-कांटे

1. कांटों के लिए विनिर्देश

1. विस्तार

इस विनिर्देश के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार के कांटे आएंगे, अर्थात् :

मेज कांटा, मछली का कांटा, पेस्ट्री का कांटा, परोसने का कांटा ।

2. सामग्री

कांटों का विनिर्माण पीतल, निकल सिल्वर या स्टेनलैस इस्पात से किया जाएगा ।

3. आकार और लम्बाई-चौड़ाई

कांटों के आकार और लम्बाई-चौड़ाई क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अधीन होंगे ।

4. बनावट

कांटे निम्नलिखित बनावट संबन्धी विवरणों के अनुसार होंगे, अर्थात् :

(क) कांटों का विनिर्माण, बिना जोड़ के भुजाओं सहित ठोस हत्थों के जो गढ़ी हुई हो या ढाली गई हो या उसकी आकृति संपीड़ित करके, किया जाएगा । कांटो का विनिर्माण प्लास्टिक या बेकेलाइट की हत्थियों या खोखली हत्थियां लगाकर भी किया जा सकता है ।

(ख) कांटे खुरदरेपन, सीवन, दरार या अन्य विनिर्माण संबन्धी दोषों से मुक्त होंगे सभी किनारे भली प्रकार गोल किए जाएंगे । किनारे अच्छी तरह से नोकीले किए जाएंगें । शैंक और फल का अच्छा ताल-मेल होगा ।

(ग) टेंग भली प्रकार खींचा जाएगा । जब कांटे खोखली या प्लास्टिक या बैकेलाइट हत्थियों वाले बनाए जाते हैं, तो वे सही स्थिति में टेंग के साथ दृढ़ता से गढ़ी या ढाली जाएगी ।

(घ) जोड़ में, निकल सिल्वर की खोखली हत्थी की दशा में सिल्वर का टांका लगाया जाएगा और स्टेनलैस इस्पात की खोखली हत्थी की दशा में झलाई की जाएगी ।

(ङ) जब कांटें, चम्मच और छुरियों का प्रदाय सेटों में किया जाना अपेक्षित हो, तो हत्थियों का सिजाइन और सैट में वस्तुओं का सामान्य रूप एक मेल के होंगे ।

5. फिनिश

पीतल के कांटे निम्नलिखित से विद्युत-लेपित किए जाएंगें :

(i) निकल या

(ii) निकल और क्रोमियम या

(iii) सिल्वर ।

मुलम्मा एक रूप समान चढ़ाया जाएगा और वह दोषों से मुक्त होगा । यदि क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, तो निकल सिल्वर से बने कांटों पर मुलम्मा चढ़ाया जा सकता है । स्टेनलैस इस्पात के कांटों पर समग्रतः चमकदार पालिस की जाएगी ।

6. परीक्षण

कांटे निम्नलिखित परीक्षणों का समाधान करेंगे, अर्थात्:—

(1) मोड़ परीक्षण—कांटे को शैंक के आखिरी सिरे पर दृढ़ता से पकड़ा जाएगा और सारी लम्बाई के मध्य में इस प्रकार रखा जाएगा कि वह लगभग क्षितिजीय हो जाए । कांटे के सबसे अन्तिम सिरे पर, पेस्ट्री-कांटे की दशा में, 1.0 कि०ग्रा० और मेज-कांटे, मछली-कांटे और परोसने के कांटे की दशा में 1.5 कि०ग्रा० का भार दो मिनट के लिए रखा जाएगा और फिर हटा लिया जाएगा । भार हटाने के बाद स्थाई विक्षेप 8 मि०मी० से अधिक नहीं होगा ।

(2) स्टेनलैस स्टील के कांटों के लिए क्षय्या परख :—कांटे को जब निम्नलिखित घोलों में से प्रत्येक में 16 घंटे के लिये डुबोया जाए, पर प्रत्येक घोल से निकालने पर क्षय्या पड़ने का कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा, अर्थात् :—

(क) बस ग्राम हिमनदीय अम्ल (99 प्रतिशत) को आसुत जल घोल कर 100 मि०लि० बनाया जाएगा, और

(ख) पांच ग्राम शुद्ध सोडियम क्लोराइड को आसुत जल में घोलकर 100 मि०लि० बनाया जाएगा ।यह परख ढले हुए स्टेनलैस स्टील के कांटों पर लागू नहीं होगी ।

(3) विद्युत लेपन परीक्षण:—कांटे की मुलम्मा चढ़ी हुई सतह के 6.5 वर्ग सें०मी० से अनधिक क्षेत्र को धातु के चिकने उपकरण से (अर्थात्, तांबे के सिक्के से) जो सिरे की ओर से और चौड़ी ओर से 15 सेकिंड के लिए जल्दी-जल्दी और दृढ़ता से रगड़ा जाएगा । दाब प्रत्येक स्ट्रोक में परत की फिल्म को रगड़ने के लिए पर्याप्त होगा किन्तु इतना अधिक नहीं होगा कि निक्षेप को काट दें । तब रगड़े हुए भाग को देखकर परीक्षा की जाएगी । यदि निक्षेप की परत की आधारभूत धातु से विलग होने का कोई लक्षण नहीं है, तो मुल्लमें का आसंजन पर्याप्त समझा जाएगा ।

(4) प्लास्टिक और बकेलाइट हत्थों के लिए परीक्षण :—प्लास्टिक या बकेलाइट के हत्थे वाला कांटा 5 प्रतिशत सायुन के खोलते हुए घोल में एक घंटे के लिए डुबोया जाएगा, तब तुरन्त 15° से 20° सें० के पानी में खंगाला जाएगा तथा तत्काल ही खोलते हुए पानी में एक घंटे के लिए पूरी तरह डुबो दिया जाएगा । तब कोटा 15° से 20° सें० के पानी में दोबारा खंगाला जाएगा । यह प्रक्रिया चार बार दोहराई जाएगी । परीक्षण के दौरान या पूरा हो जाने पर हत्थे में दरार, छीलन या रंग बिगाड़ने का कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा । टेंग न तो ढीली होगी न ही उसको कोई नुकसान पहुंचेगा ।

7. पैकिंग

(क) जब तक क्रेता द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो प्रत्येक कांटा बिशु कागज में लपेटा जाएगा और गत्ते के निम्नलिखित सूचना वाले डिब्बों में, पैक किया जाएगा, अर्थात् :—

(1) ब्राण्ड नाम सहित वस्तु का वर्णन;

(2) माला ।

(ख) गत्ते के डिब्बों में रखे हुए चाकू अन्तिम रूप से इस संबंध में क्रेता के अनुबंध के अनुसार तथा इस रीति से पैक किए जाएंगे कि उनका अपने गन्तव्य स्थान तक बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रूप से पहुंचना सुनिश्चित हो सके ।

(ग) 50 कि०ग्रा० तक के भार के पैकेज, उनको या उसमें रखे माल को कोई नुकसान हुए बिना 190 सें०मी० की ऊंचाई से पात सहन कर सकेंगे तथा पैकेजों का मौसम और आर्द्रता संदूषण के प्रतिकूल प्रभावों से पर्याप्त रूप से संरक्षण किया जाएगा ।

2. छुरियों के लिए विनिर्देश

1. विस्तार

इस विनिर्देश के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार की छुरियां आती हैं, अर्थात्:—

डबल रोटी की छुरी, मक्खन की छुरी, कसाई की छुरी, मछली की छुरी, तराशने की छुरी, रसोई में की छुरी, जेब छुरी, मेज की छुरी, मिष्ठान्न छुरी, फलों की छुरी ।

सामग्री :

(क) मक्खन और मछली की छुरी के फल स्टेनलेस इस्पात या निकल सिल्वर के बनाए जाएंगे ।

(ख) कसाई की तराशने की, रसोइए की और जेब छुरियों के फलों का विनिर्माण इस्पात के ऐसे उपयुक्त प्रकार से किया जाएगा जो पश्चात्वर्ती खंडों में दी गई अपेक्षाओं का समाधान करें ।

(ग) डबल रोटी, मेज, मिष्ठान्न और फल की छुरियों के फल केवल स्टेनलैस स्टील से बनाए जाएंगे ।

(घ) छुरियों के हत्थे, पकी हुई लकड़ी, प्लास्टिक, बेकेलाइट, हड्डी, एल्युमीनियम, स्टेनलैस इस्पात, जर्मन सिल्वर, हाथी दांत, सींग या क्रेता और विक्रेता के मध्य करार पाई गई अन्य सामग्री से बनाई जा सकेंगी ।

3. आकृति और लम्बाई-चौड़ाई :—

छुरियों की आकृति और लम्बाई चौड़ाई क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अधीन होंगी ।

4. बनावट

छुरियों बनावट संबंधी निम्नलिखित विवरण की होंगी, अर्थात् :—

(क) ठोस हत्थे वाले छुरियों को बिना जोड़ के गढ़ा जाएगा ।

(ख) खोखले हत्थे वाले छुरियों के फल गढ़े हुए होंगे और टेंग भली प्रकार खींची हुई होंगी । स्केल टेंग पर पूरी तरह फिट होंगे और उन पर चमकदार चिकनी फिनिश की जाएगी । स्टेनलैस इस्पात से बने खोखली हत्थों की दशा में, जोड़ो की सलाई की जाएगी और अन्य दशाओं में उस पर सोल्डर किया जाएगा ।

(ग) प्लास्टिक के ढले हुए हत्थों की दशा में, वे टेंग के साथ सही स्थिति में ढाली जाएंगी । टेंग्स उचित आकृति की और खांचेदार होंगी ।

(घ) काटने वाले किनारे की ओर फल एकरूपतः शुण्डाकार किए जाएंगे । किनारे भली प्रकार घिसे हुए और प्रयोग के लिए तैयार होंगे । मछली की छुरियों में काटने वाले दांत ठीक से बनाए जाएंगे ।

(ङ) हत्थे का स्केल टेंग की पूरी लम्बाई में तांबे, पीतल या मृदु इस्पात की रिवेटों से भली प्रकार सुरक्षित रूप से बनाए जाएंगे ।

(च) छुरियां दरारों, सीवनों, दोषों, गड्ढों, खुरदरेपन और अन्य विनिर्माण संबंधी दोषों से मुक्त होंगी । फल और हत्थे का अच्छा ताप-मेल होगा ।

(छ) यदि क्रेता द्वारा अपेक्षित हो तो निकल सिल्वर से बनी छुरियां और खोखले हत्थे विद्युत लेपित हो सकेंगे और इस दशा में मुलम्मा एकरूप चढ़ाया जाएगा और वह दोषों से मुक्त होगा ।

(ज) जब छुरियों, कांटा और चम्मचों का प्रदाय सेटों में किए जाने की अपेक्षा की जाए, हत्थों के डिजाइन और सेट में वस्तुओं के सामान्य रूप एक से होंगे ।

5. परीक्षण

छुरियां निम्नलिखित परीक्षणों में खरी उतरेंगी, अर्थात् :—

(1) कठोरता—इस्पात से बने फल का, गढ़ाई के पश्चात् सामान्यीकरण किया जाएगा । कठोरता प्राप्त करने के लिए उन्हें निम्नलिखित रूप से कठोर और टेंपर किया जाएगा ।

(क) डबल रोटी की, जेब की, मेज की, मिष्ठान्न की और फलों की छुरियां 450 से 550 डी०पी०एन०

(ख) कसाई की, तराशने की, रसोइया की छुरियां–600 से 700 डी० पी० ए० । मक्खन और मछली की छुरियों पर यह परीक्षण लागू नहीं होगा ।

(2) कर्तन परीक्षण—इस्पात से बनी छुरियों से एल्युमीनियम खंड या अच्छी पक्की लकड़ी के खंड पर 250 मि०मी० ऊंचाई से 6 बार आघात किया जाएगा । फल से इस रीति से आघात किया जाएगा कि काटने वाले संपूर्ण किनारा परीक्षण खंड को सतह पर आघात करे । काटने वाला किनारें में परीक्षण के पश्चात् विकृति का कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा, न ही फल के किसी अन्य भाग का कोई नुकसान होगा । स्टेनलैस इस्पात की छुरियों की दशा में, यह परीक्षण 200 मि०मी० ऊंचाई से तीन आघात करके की जाएगी । यह परीक्षण मक्खन और मछली की छुरियों को लागू नहीं होगा ।

(3) संक्षारण परख :—फल की सतह नरम कपड़े का प्रयोग करते हुए गर्मपानी से भली प्रकार साफ की जाएगी । जब फल ऐसाटिक ऐसिड के 5 प्रतिशत घोल में कम से कम 12 घंटों की अवधि के लिए डुबोया जाए तो वह संक्षारण का कोई लक्षण नहीं दिखाएगा । यह परीक्षण केवल स्टेनलैस इस्पात से बनी छुरियों के फलों को लागू होगा;

(4) विद्युत-लेपन के लिए परीक्षण–छुरी की मुलम्मा चढ़ी हुई सतह के 6.5 वर्ग सें० से अनधिक भाग को धातु के चिकने उपकरण (अर्थात् तांबे का सिक्का) से जो सिरे की ओर से और चौड़ी ओर से प्रयुक्त किया जाएगा, 15 सेकिंड के लिए जल्दी-जल्दी और दृढ़ता से रगड़ा जाएगा । दबाव मुलम्मे की परत को प्रत्येक स्ट्रोक को रगड़ने के लिए पर्याप्त होगा किन्तु इतना अधिक नहीं होगा कि वह निक्षेप को काट दे । तब रगड़े हुए भाग को देखकर परीक्षा की जाएगी । यदि परत की आधारभूत धातु से निक्षेप के विलग होने का कोई लक्षण नहीं है तो परत का आसंजन पर्याप्त समझा जाएगा;

(5) प्लास्टिक और बेकेलाइट के हत्थों के लिए परीक्षण—प्लास्टिक या बेकेलाइट की हत्थे वाली छुरी 5 प्रतिशत साबुन के खौलते हुए घोल में एक घंटे के लिए डुबाई जाएगी, तब तत्काल की 15° से 20° सें० के पानी में खंगाली जाएगी और तुरन्त खौलते हुए पानी में दोबारा एक घंटे के लिए पूरी तरह से डुबो दी जाएगी । अब छुरियां 15° से 20° सें० पानी में दोबारा खंगाली जाएंगी । यह प्रक्रिया चार बार दोहराई जाएगी । परीक्षण के दौरान या पूरा होने पर हत्थे में दरार, छीलन या रंग बिगड़ने का कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा । टेंग न तो ढीली होगी न ही उसको कोई नुकसान होगा ।

6. पैकिंग

(क) इस्पात से बनी छुरियों पर, जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त खनिज जेली से या वार्निश से लेप किया जाएगा । लकड़ी के हत्थों पर तेल लगाया जाएगा ।

(ख) जब तक क्रेता द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, प्रत्येक छुरी टिशू कागज में लपेटी जाएगी तथा निम्नलिखित सूचना वाले गत्ते के डिब्बों में, पैक की जाएगी, अर्थात् :—

(1) ब्राण्ड नाम सहित उत्पाद का वर्णन,

(2) मात्रा

(ग) डिब्बों में रखी छुरियां अन्तिम रूप से इस संबंध में क्रेता के प्रबंध के अनुसार और इस रीति से पैक की जाएंगी कि उनका अपने गन्तव्य स्थान तक बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रूप से पहुंचना सुनिश्चित हो सके ।

(घ) 50 कि०ग्रा० तक के भार के पैकेज, उनके या उसमें रखे माल की कोई नुकसान हुए बिना, 190 से०मी० की ऊंचाई से पात महण कर सकेंगे । पैकेजों का मौसम के प्रतिकूल प्रभावों और आर्द्रता संदूषण से पर्याप्त रूप से संरक्षण किया जाएगा।

3. चम्मचों के लिए विनिर्देश

1. विस्तार

इस विनिर्देश के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार के चम्मच आएंगे, अर्थात् :—

परोसने का बड़ा चमचा, परोसने का चम्मच, मिठाम्न का चम्मच, चाय का चम्मच, काफी का चम्मच, सूप का चम्मच, कस्टर्ड चम्मच, नमक का चम्मच,—

2. सामग्री

चम्मचों का विनिर्माण पीतल, निकल सिल्वर, या स्टेनलेस स्पात से किया जायेगा है ।

3. आकृति और लम्बाई चौड़ाई

चम्मचों की आकृति और लम्बाई-चौड़ाई क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए करार के अधीन रहते हुए होंगे ।

4. बनावट

चम्मचों, बनावट सम्बन्धी निम्नलिखित विवरण के अनुसार होंगे :

(क) चम्मचों को समूचे एक टुकड़े के रूप में गढ़ा जा सकेगा, संपीडित किया जा सकेगा या ढाला जा सकेगा । गढ़े हुए चम्मचों का ठोस हत्था होगा और संपीडित किए गए चम्मचों का संपीडित हत्था होगा ।

(ख) चम्मच खुरदरेपन, सीवनों, दरारों या अन्य विनिर्माण संबंधी और सतही दोषों से मुक्त होंगे । सभी किनारे भली प्रकार गोल किए गए होंगे ।

(ग) हत्था और कटोरा तालमेल में होंगे ।

(घ) जब चम्मचों, कांटों और छुरियों को सेटों में दिया जाना अपेक्षित हो तो सेट में की मदों के हत्थों की डिजाइन और सामान्य रूप एक मेल के होंगे ।

5. फिनिश

पीतल के चम्मचों के निम्नलिखित से विद्युत लेपित किया जाएगा ;

(1) निकल ; या

(2) निकल और क्रोमियम ; या

(3) सिल्वर ।

मुलम्मा, एक रूप चढ़ाया जाएगा और दोषों से मुक्त होगा । निकल सिल्वर से बने चम्मचों पर, यदि क्रेता द्वारा अपेक्षा की जाए तो मुलम्मा चढ़ाया जाएगा । स्टेनलेस स्पात के चम्मच पर सभी ओर से चमकीली पालिस की जाएगी ।

6. परीक्षण

चम्मच निम्नलिखित परीक्षण में खरे उतरेंगे ; अर्थात् :—

(1) मोड़ परीक्षण :— चम्मचों को मेक के अन्तिम सिरे पर दृढ़ता से पकड़ा जाएगा और सारी लम्बाई के मध्य से उसे इस प्रकार रखा जाएगा कि वह लगभग क्षितीजीय हो जाए । तब कटोरी के सबसे अन्तिम सिरे पर निम्न सारणी में दिए अनुसार दो मिनट के लिए भार डाला जाएगा और फिर हटा दिया जाएगा भार हटाने के बाद स्थायी विक्षेप मापा जाएगा । यह सारणी 1 में दिए गए विक्षेपिमान के अधिक नहीं होगा ।

सारणी—1

चम्मच का प्रकार	ठोस हत्थे वाला चम्मच		संपीडित हत्थे वाला चम्मच	
	कि० ग्रा० भार	स्थायी विक्षेप मि०मि०	कि०ग्रा० भार	स्थायी विक्षेप मि०मि०
परोसने का बड़ा चम्मच	2.5	8	1.5	8
परोसने का चम्मच	1.5	8	0.8	8
मिठाम्न का चम्मच	1.5	8	0.8	8
चाय का चम्मच	1.0	8	0.4	5
काफी का चम्मच	1.0	8	0.4	5
सूप का सम्मच	1.5	8	0.8	8
कस्टर्ड चम्मच	1.0	8	0.4	5
नमक का चम्मच	1.0	8	0.4	5

(2) स्टेनलेस इस्पात के चम्मचों के लिये धब्बा परीक्षण :—जब चम्मच निम्नलिखित घोलों में से निकाले जाने पर धब्बा पड़ने का कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा, अर्थात् :—

(क) दस ग्रा० हिमनदीय ग्लेसियल एसीटिक तेजाब को (99 प्रतिशत) आसुत जल में घोल कर 100 मि०ली० बनाया जाएगा; तथा

(ख) 5 ग्रा० शुद्ध सोडियम क्लोराइड को आसुत जल में घोलकर 100 मि०ली० बनाया जाएगा ।

डले हुए चम्मचों पर यह परीक्षण लागू नहीं होगा।

(3) विद्युत लेपन के लिए परीक्षण :-मुलम्मा चढ़ी हुई सतह के 6.5 वर्ग से० मी० से अधिक भाग की धातु के चिकने उपकरण (अर्थात् ताँबे का सिक्के) से जो सिरे की ओर से और चौड़ी ओर से प्रयुक्त किया जाएगा, 15 सैकिण्ड के लिए जल्दी-जल्दी और दृढ़ता से रगड़ा जाएगा। दाब प्रत्येक स्ट्रोक में परत की फिल्म को रगड़ने के लिए पर्याप्त होगा किन्तु इतना अधिक नहीं होगा कि यह निक्षेप को काट दे। तब रगड़े हुए भाग को देखकर परीक्षा की जाएगी। यदि परत की आधारभूत धातु से निक्षेप के विलग होने का कोई लक्षण नहीं है तो परत के आसंजन को पर्याप्त समझा जाएगा।

7. पैकिंग –

(क) जब तक क्रेता द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, प्रत्येक चम्मच को टिसू कागज में लपेटा जाएगा तथा निम्नलिखित सूचना वाले गत्ते के डिब्बों के, पैक किया, जाएगा, अर्थात् :—

(1) ब्राण्ड के नाम सहित उत्पादन का वर्णन,

(2) मात्रा

(ख) डिब्बों में रखे चम्मचों अन्तिम रूप से इस संबंध में क्रेता के अनुबंध के अनुसार और इस रीति से पैक किए जाएंगें कि उनका अपने गन्तव्य स्थान तक बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रूप से पहुंचना सुनिश्चित हो सके।

(ग) 50 कि०ग्रा० तक के भार के पैकेज, उनके या उसमें रखे माल का कोई नुकसान हुए बिना 190 से०मी० की ऊंचाई के पात सहन कर सकेंगे। पैकेजों का मौसम और आर्द्रता संदूषण के प्रतिकूल प्रभावों से पर्याप्त रूप से संरक्षण किया जाएगा।

[(सं० 6(14)/74-ई०आई०एंडई०पी०]

के० वी० बालसुब्रह्मणियम,

उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 21st February, 1976

S.O. 895.—Whereas for the development of the export trade of India certain proposals for subjecting light engineering products to inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, at pages 494 to 508 of the Gazette of India Part II-Section 3 Sub-section (ii) dated the 1st February, 1975, under the order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 312 dated the 1st February, 1975.

And whereas objections and suggestions were invited within thirty days of the publication of the said order from all persons likely to be affected thereby;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 10th February, 1975.

And whereas the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 1034, dated the 28th March, 1966 the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby :—

(1) notifies that the light engineering products specified in the Annexure I to this order shall be subject to inspection prior export :

(2) Specifies the type of inspection in accordance with the Export of Light Engineering Products (Inspection) Rules, 1976, as the type of inspection which would be applied to such light engineering products prior to export.

(3) recognises the specifications as declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract for the light engineering products subject to a minimum of the specifications as set out in Annexure II to this order as the standard specifications for the light engineering products :

(4) prohibits the export, in the course of international trade of the light engineering products aforesaid unless the same are accompanied by a certificate issued by one of the inspection agencies recognised for the purpose under section 7 of the said Act, to the effect that the consignment of such light engineering products conforms to the conditions relating to inspection and is exportworthy.

2. Nothing in this Order shall apply to the export by land, sea or air of samples of the light engineering products aforesaid, the F.O.B. Value of which does not exceed rupees one hundred to prospective buyers.

3. This Order shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

ANNEXURE I

[See sub-paragraph (1) of paragraph 1]

Light Engineering Products

I. Household Articles

1. Brass Utensils
2. Blow-lamp including burner
3. Copper utensils
4. Mild steel buckets
5. Oil pressure stove, including burner
6. Oil pressure lantern
7. Scissors
8. Umbrellas

II. Builder's Hardware

1. Drawer locks, cupboard locks, box locks, suitcase locks, portfolio locks and briefcase locks.
2. Galvanised steel barbed wire for fencing
3. Ghamellas
4. Hinges
5. Mild steel wire nails
6. Mortice locks (verticle type)
7. Padlocks
8. Sliding door bolts for use with padlocks
9. Tower bolts
10. Wire Gauze

III. Cutlery

1. Forks
2. Knives
3. Spoons

ANNEXURE II

[See sub-paragraph (3) of Paragraph 1]

Standard specifications for Light Engineering Products
I. HOUSEHOLD ARTICLES

1. SPECIFICATION FOR BRASS UTENSILS

1. Brass Utensils shall be defined as brass wares which can be used while eating, drinking, cooking, serving or storing of food and drinks including water.

2. Utensils shall be manufactured from brass sheet or strip or circle which is having a bright clean and smooth surface, free from undue discolouration and scratches. The sheet shall also be free from buckles and sponginess.

3. Utensils may also be made of cast brass. These shall be free from porosity, blow holes, cold shuts, distortion and other harmful defects.

4. The materials of the finished utensils shall be homogeneous and not contain any ingredient which is harmful and injurious to health, the amount of lead content not exceeding 0.3 per cent.

5. Thickness of sheet to be used for the fabrication of utensils, shape, dimensions and other constructional details shall be as per the agreement between the buyer and the exporter and shall be uniform for each lot of a particular variety of utensils in the consignment.

6. All joints shall be finished with high degree of smoothness and shall be soundly brazed or soldered and a suitable test shall be carried out on the utensils to ascertain its leak-proofness.

7. All the utensils shall be finished smooth and sharp edges rounded off or deburred.

8. Utensils may be tinned or plated, if required by the buyer, Tinning or platting in this case shall be smooth and uniform.

9. Utensils shall be packed in accordance with the stipulation of the buyer in this regard and in such a manner as to ensure the safe arrival of the utensils to the destination without any damage.

2. SPECIFICATION FOR BLOW LAMP INCLUDING BURNER.

1. The materials used in the manufacture of different parts shall be such as to ensure good performance of blow-lamps throughout their reasonable life.

2. The design, dimensions and construction of blow-lamps shall be according to the agreement between the buyer and the seller.

3. Blow-lamps shall be so constructed as to satisfy the following, namely :—

(a) General.

(i) The bottom plate of the fuel container shall be securely fixed to the upper portion. The fuel tank shall be so constructed that no permanent distortion takes place under normal condition of use :—

(ii) The blow-lamp shall be so made as to stand firm oil and when empty, shall be capable of being oil and when empty, shall be capable of being tilted in any direction to an angle of 15 degree from the vertical without overturning or being released.

(iii) All machined parts shall be free from burrs. The mating of threaded components shall be smooth.

(iv) The fuel container and other brass parts shall be finished bright. Residues of solder flux and similar corrosives shall be removed during manufacture to prevent later corrosion. The inside shall be clean and free from dust, grit or any other foreign matter.

(b) Burner Assembly :

(i) All metal to metal bruner joints shall be brazed with hard solder. This brazed joints shall be sound and smooth, and shall be free from cracks and flaws.

(ii) The assembly of the burner shall be such that the fuel jet plays centrally in the burner, so as to produce a uniformly well directed blue flame.

(iii) The orifice for the fuel shall be drilled straight. The outside of the orifice shall be so designed as to facilitate the use of pricker for cleaning.

(iv) Nipple shall be so shaped as to enable a spanner or key to be used for screwing and unscrewing.

(v) When tested to an internal air-pressure of 2.5 kgf/cm², the burner shall not show any sign of leakage.

(c) Pump :

The pump shall be of sound construction and fitted with a non-return valve which shall be leak proof. The pump washer and the non-return valve shall be removable.

(d) Pressure release screw :

The fuel tank shall be fitted with a pressure release screw for releasing the pressure inside the container quickly and safely.

(e) Oil filler cap assemble :

The filler cap assembly shall be leak proof at normal working pressure and also when subjected to internal hydraulic pressure as per clause 41(b).

(f) Washers :

All washers shall be sufficiently resistant to heat and shall not become tacky after keeping in kerosene oil for 24 hours. The washer shall be easily replaceable and shall provide air tight joint.

4. The blow-lamps shall be able to withstand the following performance tests, namely :—

(a) The fuel tank fitted with pump valve, the burner and fuel cap shall be tested to an internal air pressure of 2.5 kgf/cm². It shall not show any sign of leakage or deformation.

(b) The fuel tank, without burner and pump valve shall be subjected to an internal hydraulic pressure of 10 kgf/cm² for a period of 3 minutes. The tank shall not show any sign of leakage.

(c) The surface temperature of any part of the lamp that may be necessary to touch during its operation shall not exceed 60°C after the lamp works for ½ an hours.

(d) The blow lamp when worked at the working pressure of 2 kgf/cm² shall burn uniformly and shall be capable of melting a piece of 3.2 mm. hard drawn stress relieved brass wire in not more than 35 seconds, when the wire is held firmly in a horizontal manner and perpendicular to the flame.

5. Each blow lamp shall be supplied with :—

(a) a packet of three prickers ;

(b) one washer each for pump and oil filler cap

(c) a funnel, and

(d) manufacturers' instructions for safe use.

6. Each blow-lamp with its accessories shall be packed in cardboard or tin box. Lamps contained in the boxes shall be finally packed in accordance with the stipulation of the buyer in this regard and in such a manner as to ensure the safe arrival of the blow lamps to the destination without any damage.

7. The packages weighing upto 50 kgs, shall be able to withstand a drop from a height of 190cms without any damage to the contents inside or the package itself. The packages shall also be adequately protected against adverse effects of weather and moisture contamination.

3. SPECIFICATION FOR COPPER UTENSILS

1. Copper utensils shall be defined as copper wares which can be used while eating, drinking, cooking, serving or storing of food and drinks including water.

2. Utensils shall be manufactured from copper sheet or strip or circle which is having a clean and smooth surface, free from black oxide, undue discolouration and scratches. The sheet shall also be free from buckles and sponginess.

3. Utensils may also be made of cast copper. These shall be free from porosity, blow holes, cold shuts, distortion and other harmful defects.

4. The material of the finished utensils shall not contain any harmful or injurious ingredient, the amount of lead and arsenic content not exceeding 0.1 per cent each.

5. Thickness of sheet (gauge) to be used for fabrication of utensils, shape, dimensions and other constructional details shall be as per the agreement between the buyer and the exporter.

6. All joints shall be finished with high degree of smoothness and shall be soundly brazed of soldered and a suitable leak test shall be carried out on the utensils to ascertain its leak proofness.

7. All the utensils shall be finished smooth and sharp edges rounded off or deburred.

8. Utensils may be tinned or plated. Tinning or plating shall be smooth and uniform.

9. Utensils shall be packed in accordance with the stipulation of the buyer in this regard and in such a manner as to ensure the safe arrival of the utensils to the destination without any damage.

4. SPECIFICATION FOR MILD STEEL BUCKETS

1. The buckets shall be manufactured from black sheet or plain galvanised sheet as specified by the buyer. The sheet used for buckets shall not be thinner than 26 SWG. (.0180" or .457 mm).

2. The overall dimensions and other constructional details shall be according to the agreement between the buyer and the exporter and shall be uniform for each lot of a particular type of bucket in the consignment. However, the thickness of the sheet for the ear shall not be less than 18 SWG (.048" or 1.22 mm) for buckets of diameter upto 254 mm. (10") and 14 SWG (.080" or 2 mm) for buckets of diameter more than 254 mm.

3. All parts of the bucket including rivetting shall be finished smooth and sharp edges rounded off. The buckets shall be free from all constructional defects. The handless of the buckets shall be uniform in shape and the diameter of handless shall not be less than 6 mm.

4. Black sheet buckets shall be hot dip galvanised after manufacture and the galvanishing shall be uniform. The galvanised coating shall be free from blisters, grittiness, stains and bare spots. The buckets manufactured from galvanised sheet may have aluminium painted handles, if agreed to by the buyer.

5. The bucket shall be tested for leak proofness by pressing the dry empty bucket with its top facing upwards, down the water vertically. If any water enters the bucket it shall be rejected. The bucket shall then be withdrawn, reversed (with top downwards) and again pressed down the water vertically. Should any air bubble be seen escaping through the water, the bucket shall be filled with water to the brim and kept for two hours. It shall not show any sign of leakage.

6. Buckets shall be packed in accordance with the stipulation of the buyer in this regard and in such manner as to ensure the safe arrival of the buckets to the destination without any damage.

5. SPECIFICATION FOR OIL PRESSURE STOVE INCLUDING BURNER

1. The materials used in the manufacture of different parts shall be such as to ensure good performance of stoves throughout their reasonable life.

2. The design, dimensions and construction of stoves shall be according to the agreement between the buyer and the seller.

3. Stoves shall be so constructed as to satisfy the following, namely :

(a) General

(i) The bottom plate of the fuel container shall be securely fixed to the upper portion. The tank be so constructed that no permanent distortion takes place under normal condition of use.

(ii) The stove shall be so made as to be firm on its base and the legs shall be so fitted as to have the bottom of the container at least 13 mm clear of the surface on which the stove stands.

(iii) The stove, both when full of fuel and when empty, shall be capable of being titled in any direction to an angle of 15° from the vertical, without overturning at that inclination or on being released.

(iv) All machined parts shall be free from burrs. The mating of threaded components shall be smooth.

(v) The fuel container and other brass parts shall be finished bright. Residues of the solder flux and similar corrosives shall be removed during manufacture to prevent later corrosion. The top ring shall be gold lacquered unless otherwise specified.

(b) Burner Assemble

(i) All metal to metal burner joints shall be brazed with hard solder. The brazed joints shall be sound and smooth and free from cracks flows.

(ii) The assembly of the burner shall be such that the fuel jet plays centrally and vertically to the burner plate so as to produce a uniformly well spread blue flame.

(iii) Sufficient opening shall be provided in the burner assembly to allow free access of the pricker to the fuel orifice.

(iv) The orifice for fuel shall be drilled straight. The outside of the orifice shall be so designed as to facilitate the use of the pricker for cleaning.

(v) Nipple shall be so shaped as to enable a spanner or key to be used for screwing and unscrewing.

(vi) When tested to an internal air pressure of 2.5 kgf/cm², the burner shall not show any sign of leakage.

(c) Pump

The pump shall be sound construction and fitted with a non-return valve which shall be leak-proof. The pump washer and the non-return valve shall be removable.

(d) Pressure release valve

The fuel container shall be fitted with a pressure release screw for releasing the pressure inside the container quickly and safely.

(e) Oil filler cap assembly

The filler cap assembly shall be leak proof at normal working pressure and also when subjected to internal hydraulic pressure as per clause 4(b). The filler opening shall be so located and designed that the fuel container cannot, when level, be filled to more than 94% of its total volume, measured to the base of the burner stem.

(f) Washers

All washers shall be sufficiently resistant to heat and shall not become tackly after keeping in kerosene oil for 24 hours. The washers shall be easily replaceable and shall provide air tight joint.

4. Tests.—The stoves shall be able to withstand the following performance tests, namely :—

(a) the fuel container fitted with pump valve, burner and oil cap, shall be tested to an internal air pressure of 2.5 kgf/cm². It shall not show any sign of leakage of deformation.

(b) the container without burner shall be subjected to an internal hydraulic pressure of 12 kgf/cm² for a period of 3 minutes. The container shall not show any sign of leakage.

(c) the surface temperature of any part of the stove that may be necessary to touch during its operation shall not exceed 60°C after the stove works for ½ an hour.

(d) the thermal efficiency of the stove when determined by any Standard shall not be less than 50%.

5. Each stove shall be supplied with—

(a) a spanner in the case of portable stove;

(b) a packet of three prickers suited to the type of the stove;

(c) a silencer wherever necessary;

(d) one washer each for pump and oil filler cap;

(e) a funnel; and

(f) manufacturer's instructions for safe use.

6. Each stove with its accessories shall be packed in card board or tin boxes. Stoves contained in the boxes shall be finally packed in accordance with the stipulation of the buyer in this regard and in such a manner as to ensure the safe arrival of the stoves to the destination without any damage.

7. The package weighing upto 50 kgs. shall be able to withstand a drop from a height of 190 cms. without any damage to the contents inside or the package itself. The packages shall also be adequately protected against adverse effects of whether and moisture contamination.

6A. SPECIFICATION FOR OIL PRESSURE LANTERN

1. The materials used in the manufacture of different parts shall be such as to ensure good performance of lantern throughout its reasonable life.

2. Design, dimensions and construction of lanterns shall be according to the agreement between the buyer and the seller.

3. Lanterns shall be so constructed as to satisfy the following, namely :—

(a) General.

(i) The bottom plate of the fuel container shall be securely fixed to the upper portion. The tank shall be so constructed that no permanent distoration takes place under normal condition of use.

(ii) All machined parts shall be free from burrs. The mating of theaded components shall be smooth.

(iii) The brass parts, except for vaporizer unit shall be nickel or nickel cadmium plated Mild steel parts shall be nickel or Cadmium plated. Hood Cap and Container may be plated with Chromium if required by the buyer.

(b) Vaporizer Assembly :

(i) The vaporizer may be straight or L-shaped. The upper and lower portions of the vaporizer tube shall be joined by means of a union joint. The construction of the unit shall be such that the parts readily fit into their correct positions and are interchangable. The assembly of the vaporizer shall be such that the fuel vapour is thrown centrally inside the mixing tube.

(ii) The orifice for the fuel shall be drilled straight and shall be free from burrs. The lower side of the nipple orifice shall be so designed as to facilitate easy entry of the pricker for cleaning. The nipply shall be so shaped as to anable the use of a spanner or key for unscrewing.

(iii) The poking rod shall have a sliding fit in the upper part of the vaporizer tube so that the oil goes from container to nipple through the coil pipe and not directly upwards.

(c) Pump.

The pump shall be leakproof, soundly constructed and fitted with a leakproof (leakproof), non-return valve effective at a test pressure of 2.5 kgf/cm^2. The non-return valve and the pump washer assembly shall be removable.

(d) Mantle holder (Nozzle)

Mantle holders shall be made from suitable ceramic material capable of withstanding temperature changes that are normally experienced without developing shrinkage, cracks or other defects affecting its shape, fitting or function.

(e) Mantile

Mantiles shall be strong. They shall not unduly shrink further after the first buring, and shall be capable of withstanding shocks received during normal handling of the lanterns.

(f) Pressure Gauge

The dial shall be graduated to a minimum pressure of 3 kgf/cm^2. A red mark shall indicate the pressure at which the lantern is intended to work, namely 2 kgf/cm^2.

(g) Pressure release screw :

The fuel container shall be fitted with an effective means for allowing the operator to release the pressure within the container safely and quickly while the lantern is alight.

(h) Washers.

All washers shall be sufficiently resistant to heat and shall not become tackly keeping in kerosene oil for 24 hours. The washers shall be easily replaceable and provide air tight joint.

(i) Hood and Top

Holes of requisite number and size shall be provided at the bottom and top of the hood for adequate supply of air combustion and for the escape of products of combustion respectively.

4. The lanterns shall be able to withstand the following performance tests, namely :—

(a) the fuel container fitted with the oil filler cap and vaporizer assembly, but without pressure gauge shall be tested to a pressure of 2.5 kgf/cm^2. It shall not show any sign of leakage, deformation or damage.

(b) the fuel container, without vaporizer, pump valve and pressure gauge shall be subjected to an internal hydraulic pressure of 5 kgf/cm^2 for a period of 5 minutes. The container shall not show any sign of leakage. The container shall be further tested at a hydraulic pressure of 8 kgf/cm^2. It shall neither burst not unduly distort. Slight leakage of the hydraulic fluid shall however be permissible provided the pressure is capable of being maintained for a duration of not less than 5 minutes;

(c) the surface temperature of any part of the lantern that may be necessary to touch during its operation shall not exceed 60°C. The length of the carrying handle shall be such that when a piece of black card, 100 × 50 mm is held horizontally 25 mm below the top of the handle in still air, the black card shall not attain a temperature exceeding 66°C;

(d) the mean horizontal luminous intensity of the lantern when determined by any Standard method, shall be not less than the rated luminous intensity given in candelas with a tolerance of minus five per cent.

(e) the lighting efficiency of lanterns, which is the ratio of the mean horizontal candle power to the weight in grams of fuel consumed per hour, shall be not less than 3;

(f) The lantern shall function prosperity if exposed to a wind velocity of 70 KMS per hour for a period of not less than 5 minutes.

5. The lanterns shall be stamped with their rated luminous intensity in candles.

6. Each lantern shall be supplied with:—

(a) a spirit can,

(b) a spanner,

(c) a nipple,

(d) two cleaning needles,

(e) an oil cap washer,

(f) three mantles,

(g) a needle key,

(h) a pump washer,

(i) a pamphlet containing manufacturer's instructions for safe use.

7. Each lantern with its spares and accessories shall be packed in strong cardboard box lined with waterproof paper, the hood being protected by a cardboard ring. Each package containing glass chimney shall be marked with the word "Glass, handle with Care." Lanterns shall be further packed in accordance with the stipulation of the buyer in this regard and in such a manner as to ensure safe arrival of lanterns to the destination without any damage.

B. Specification for Oil Pressure Lantern (Hanging Type)

1. The materials used in the manufacture of different parts shall be such as to ensure good performance of lantern throughout its reasonable life.

2. Design, dimensions and construction of lanterns shall be according to the agreement between the buyer and the seller.

3. Lanterns shall be so constructed as to satisfy the following, namely:—

(a) General

(i) The upper and lower portions and collar comprising the oil container shall be properly pickled and all rust removed: tin plated on both sides before assembling the container. The container shall be given a coat of paint.

(ii) The body casing wind shield, chimney cover, casting ring, chimney part, door and reflector top shall have a coat of suitable black vitreous enamel to withstand temperature of combustion zone and exhaust gases.

(iii) The reflecting surface of the reflector shall have a coat of white vitreous enamel.

(b) Vaporizer unit

The inside of the nipple shall be free from burrs.

(c) Pump

The pump shall be soundly constructed and fitted with a non-return valve effective at the working pressure of 2.0 kgf/cm.^{2} The non-return valve and the pump washer assembly shall be removable.

(d) Mantle Holder (Nozzle)

Mantle holders shall be made from suitable ceramic material capable of withstanding temperature changes that are normally experienced without developing shrinkage, cracks or other defects affecting its shape, fitting or function.

(e) Mantle

Mantle shall be strong. They shall not unduly shrink further after the first burning, and shall be capable of withstanding shocks. received during normal handling of the lanterns.

(f) *Pressure Gauge*

The dial shall be graduated to a minimum pressure of 3 kgf/cm^2. A red mark shall indicate the pressure at which the lantern is intended to work, namely 2 kgf/cm^2.

(g) *Cut-off valve*

(i) The cut-off valve in the feed pipe shall be capable of completely cutting off supply of oil to vaporizer at the maximum pressure, that is 3 kgf/cm^2.

(ii) The fuel container shall be fitted with a means, of releasing the pressure within the container safely and quickly, whilst the lamp is alight.

(h) *Globe*

The globe shall rest on the reflector provided with an asbestos cushion lining.

(i) Reflector

(a) The gas chamber shall be situated in such a way that the gas air mixture does not get lignited by the burning mantle.

(b) The open end of the mixing tube shall be true and concentric with the orifice of the nipple and in perfect alignment with the gas yet passing through the nipple.

(c) The reflector shall be hinged to the body on one side and attached with a lug and screw to the other.

(j) *Wind shield and chimney cover*

The wind shield and chimney cover should be detachable from the body casing.

(k) *Washers*

(i) All washers shall be sufficiently resistant to heat and kerosene oil. These shall be capable of giving leak proof seal after immersion in kerosene oil for 24 hours.

(ii) Suitable lead washers shall be used at the joints between

(a) pressure gauge and oil container;

(b) pump and its valve.

4. The laterns shall be able to withstand the following performance tests, namely :—

(a) *Air Pressure test.*—Each fuel container fitted with pump valve and oil cap shall be tested to an internal air pressure of 3 kgf/cm^2. It shall not show any sign of leakage or deformation.

(b) *Safety Pressure rest.*—When subjected to a hydraulic pressure of 19 kgf/cm^2, the tank shall be perfectly leakproof at all joints and solder lines. At the end of this test, there shall be no permanent deformation of the tank. Slight leakage of the hydrualic fluid shall, however, be permissible provided the pressure is capable of being maintained for a duration of not less than five minutes.

(c) *Bursting Pressure test.*—One fuel tank in a lot of 250 shall be selected at random and subjected to a hydraulic pressure of 14 kgf/cm^2. The fuel tank shall neither burst nor unduly distort. Slight leakage of the hydraulic fluid shall, however, be permissible, provided the pressure is capable of being maintained for a duration of not less than five minutes.

(d) *Luminous Intensity test.*—The mean horizontal luminous intensity of the lamps when determined by any standard method shall be not less than the rated luminous intensity of the lamp given in candelas subject to a minus tolerance of 10 per cent of the rated figure.

(e) *Lighting Efficiency test.*—The lighting efficiency of lamps, that is, the ratio of the mean horizontal luminous intensity to the weight in grams of fuel burned per hour shall be not less than 2.5.

(f) *Surface Temperature test.*—The surface temperature of any part of the lamps that it may be necessary to touch during the operation of the lamps shall not exceed 60°C.

(g) *Storm Proofness test.*—The lamp shall function if exposed to wind with velcoity of 70 kms. per hour for a period of not less than 5 minutes.

5. The lanterns shall be stamped with their rated luminous intensity in candles.

6. Each lantern shall be supplied with :

(a) a spirit can,

(b) a spanner,

(c) a nipple,

(d) two cleaning needles,

(e) an oil cap washer,

(f) three mantles,

(g) a needle key,

(h) a pump washer,

(i) a pamphlet containing manufacturer's instructions for safe use.

7. Each lantern shall be packed in a strong corrugated cardboard box. The globe shall be packed separately by adequate caushioning in strong cardboard box. Each package containing globe shall be marked with the words "Glass, Handle with Care". Lanterns shall be further packed in accordance with the stipulation of the buyer in this regard and in such a manner as to ensure safe arrival of the lanterns to the destination without any damage.

7. SPECIFICATION FOR SCISSORS

1. The materials issued in the manufacture of scissors shall be of the following types, namely:—

(a) plates complete with handle or bladed only—High Carbon steel;

(b) handles when welded or reveted to blades—made of High Carbon Steel, Mild Steel, Cast Brass or Malleable Iron ;

(c) fasteners—Mild Steel.

2. Shapes and dimensions shall conform to the requirements as agreed to between the buyer and the seller.

3. All forging, welding and riveting shall be sound. All joints shall be rigid and not loose. The rivets shall be filed and made flush.

4. Scissors shall be properly hollow-ground with the cutting edge true and adjusted for smooth operation. The blades shall be heat treated so as to give their cutting edges a minimum hardness of 500 DPN (or its equivalent in other scales) The test point shall be as near as possible but not more than 13 mm. from the cutting edge.

5. In case of scissors having screws as fastners one blade shall be tapped to engage the screw. The threads shall be full and true. The other blade shall be counterbored to accommodate the head of the screw of bolt. After assembly, the ends of the shanks of fasteners shall be neatly burred over.

6. Scissors shall be free from cracks, seams, burrs, flaws and other defects. They shall be finished smooth and the exposed surface shall be either plated uniformly or highly polished to prevent them from rusting. Screws and nuts wherever used shall be plated uniformly.

7. When plated, the plated surface shall be polished bright and shall be free from visible plating defects, such as blisters, pits, unplated spots, cloudy pits, cracks or stains. The plating shall adhere firmly to the base metal and shall be non-porous.

8. Scissors shall work freely without any undue play or stiffness. The cutting edges of the blade shall not override. Scissors shall be supplied sharpened and ready for use.

9. Scissors shall be tested by-cutting piece of silk (weighing not less than 61 gm. per sq. metre) or cambric cloth, which shall not be kept taut during the test. In doing so the scissors shall be opened as wide as possible and then gradually brought to the closed position. The scissors shall cut the cloth neatly without drag or pull from pinch tip and the cut portion of the cloth half fall freely from the cutting edge.

10. An area of not more than 6.5 sq. cm. of the plated surface selected at the discretion of the inspector, shall be rubbed rapidly and firmly for 15 seconds with a smooth metal implement. A suitable burnishing implement is a copper disc. (e.g. a copper coin) used edgewise, and broadside. The pressure shall be sufficient to burnish the film of plating at every stroke, but not so great as to cut the deposit. The burnished area shall then be visually examined. The adhesion of the plating shall be deemed adequate if there is no indication of the deposit becoming detached from the base metal.

11. Cutting edges and unplated portions of the scissors shall be lightly smeared with mineral jelly.

12. Unless specified otherwise, each pair of scissors shall be wrapped in moisture-proof paper and packed in card-board boxes for 1/4 dozen, 1/2 dozen or one dozen scissors. Card-board boxes shall be labelled on one end to indicate the size of the scissors and the name or brand name of the manufacturer etc. Scissors shall be finally packed in accordance with stipulation of the buyer in this regard and in such a manner as to ensure the safe arrival of the scissors to the destination without any damage.

13. The package weighing upto 50 kgs shall also be able to withstand a drop from a height of 190 cm. without any damage to the contents inside or package itself. The packages shall also be adequately protected against adverse effects of whether and moisture contamination.

B. SPECIFICATION FOR CAST IRON SCISSORS

1. The cast iron used in the manufacture of scissors shall be of the quality appropriate to the working requirements of the scissors in respect of strength, machinability, resistance to heat etc. The casting shall be dense and fine grained, without local accumulation of graphite and white and shall be free from fissures, hollows and porous spots visible to the naked eye.

2. Shapes and dimensions shall conform to the requirements as agreed to between the buyer and the seller.

3. The finger loops shall be well proportioned clean and properly shaped. Scissors shall be properly finished with the cutting edges true and adjusted for smooth operation. The finished surface of the scissors shall not have 'burnt' marks due to excessive heating at the time of grinding or show any mechanical damage.

4. All joints shall be rigid and not loose. The rivets shall be field so as not to cause any injury.

5. The scissors shall be free from cracks, seams, burns, flaws and other defects. They shall be finished smooth and the exposed surface shall be either plated uniformly or highly polished to prevent them from rusting.

6. When the scissors are plated, the plated surface shall be bright and free from visible plating defects, such as bilsters, pits, unplated spots, cloudy pits, cracks or stains. The plating shall adhere firmly to the base metal and shall be non-porous.

7. Scissors shall work freely without any undue play or stiffness. The cutting edges of the blades shall not override. Scissors shall be sharpened and ready for use.

8. Scissors shall be tested by cutting a piece of silk (weighing not less than 61 grams. per sq. metre or cambric cloth, which shall not be kept taut during the test. In doing so the scissors shall be opened as wide as possible and then gradually brought to the closed position. The scissors shall cut the cloth neatly without drag or pull from pinch tip and the cut portion of the cloth shall fall freely from the cutting edge.

9. The plated surface shall be rubbed rapidly and firmly with nail of the thumb. The adhesion of the plating shall be deemed adequate if there is no indication of the deposit becoming detached from the base metal after such rubbing.

10. Where the scissors or part thereof is painted or enamelled or lacquered, the paint, enamel or lacquer shall have oil resistive properties. Such treated surface shall be uniform, free from defects and the paint, enamel or lacquer shall not chip off on normal rubbing.

11. Cutting edges and unplated portions of the scissors shall be lightly smeared with mineral jelly or applied with any other suitable rust preventive treatment.

12. Unless specified otherwise, each pair of scissors shall be wrapped in moisture-proof paper and packed in card-board boxes for 1/4 dozen, 1/2 dozen or one end to indicate the size of the scissors. Small scissors may be fixed on

display cards. Scissors shall be finally packed in accordance with the stipulation of the buyer in this regard and in such a manner as to ensure the safe arrival of the scissors to the destination without any damage.

13. The cartons/packages containing scissors shall be legible and indelibly marked with the following :

CAST IRON
BREAKABLE

8. SPECIFICATION FOR UMBRELLAS

1. The design, shape and other dimensions of the umbrellas shall be in accordance with the agreement between the buyer and the exporter.

2. The main ribs and the stretcher ribs of the umbrellas shall be rivetted in such a way that the movement is free without shake or play.

3. The notch shall be rigidly and firmly fixed on the tube or stick. The ribs shall be fastened on the notch by means of brass, copper or galvanized wire so that ribs have no undue play or shake. The ends of the wire shall be turned in so that they do not touch the cloth of the umbrellas.

4. The stretcher ribs shall be firmly attached to the runner by means of brass, copper or galvanized wire. The runner shall be capable of being held firmly at the top and bottom in the opened and closed positions of the umbrella.

5. The cloth shall be suitably cut in panels and firmly stitched together by strong sewing thread of fast colour matching the shade of the cloth. The cloth shall be strengthened at the junction of the main and the stretcher ribs, that is, over the clip on the main rib. The cloth shall also be strengthened at the top above the notch. In addition, a leather or water-proof washer shall be fitted over the cloth under the cap. The cloth shall be stitched firmly to the holes at the ends of the ribs and also suitably stitched at the junction of the main ribs and stretcher ribs. The seams shall not yield or bulge when the umbrella is opened. The cloth shall not be slack or show any other defect when the umbrella is fully opened. The stitching thread shall not be visible on the outer surface. Quality of the cloth shall be according to the buyer's requirements.

6. The cap shall be firmly fixed so as to prevent rain water to soak round the tube or the stick.

7. The ferrule shall be fixed firmly at the end of the stick, wherever necessary.

8. The assembly of the cup on the handle shall be such that the cup is able to hold the ball ends of the main ribs in position when the umbrella is in closed position. The cup shall be such as to just allow the rib ends to be released. When it is pulled to its extreme position.

9. The umbrella shall be capable of being opened and closed smoothly without the runner becoming stuck. When opened, the umbrella shall have a symmetrical shape.

10. The umbrella cloth shall be provided with a suitable bend with a ring and a button to be wrapped round when closed.

11. In opened end closed positions, each umbrella shall have a good and uniform shape. After opening and closing the umbrella for 50 times, the ribs shall not show any deformation and the cloth shall not show any sign or opening or shakiness. In the case of flexus ribs, the umbrella shall close automatically when released from the open position.

12. Umbrellas shall be subjected to a pull of 10 kgs. on the handle. The handle shall not break or detach from the tube.

13. Umbrellas shall be packed in accordance with the stipulation of the buyer in this regard and in such manner as to ensure safe arrival of the umbrellas to the destination without any damage.

14. The package weighing upto 50 kgs. shall be able to withstand a drop from a height of 190 cm. without any damage to the contents inside or the package itself. The packages shall also be adequately protected against adverse effects of weather and moisture contamination.

II. BUILDER'S HARDWARE

1. SPECIFICATION FOR DRAWER LOCKS, CUP BOARD LOCKS BOX LOCKS ? SUIT CASE LOCKS, PORTFOLIO LOCKS AND BRIEFCASE LOCKS

1. (1) The locks shall be manufactured from such materials as will ensure reasonable life in actual usage. Some of the common materials used in the manufacture of locks are :

cast brass, brass sheets, mild steel, aluminium alloy castings, aluminium alloy sheets, leaded tin bronze, spring steel wire, brass wire, phosphor bronze wire.

(2) Brass wire, phosphor bronze wire and steel wire used in the manufacture of spring shall satisfy the following test, namely :—

The lever spring shall be fitted into the lever and pressed down so as to touch the top edge of the lever and released. This shall be repeated six times. At the end of the test, the spring shall regain its original position.

2. The shape, design and mechanism of locks shall be subject to agreement between the buyer and the seller.

3. The keys shall be made of mild steel, leaded tin bronze, brass or aluminium alloy and shall be either of the female or male type as specified by the buyer. The wards and dents of the keys shall be evenly cut and clearly defined. The engaging ends of the key wards shall be rounded.

4. Cover plates and false (dummy) levers shall not be counted as levers. The levers shall work without any appreciable friction or shake on the pivot pin. The holes and slots in the levers shall be free burrs. A cover plate made of cast brass, sheet brass or mild steel shall also be provided when the levers do not completely fill the whole depth of the body.

5. All components of the locks and the keys shall be finished smooth to minimise frictional resistance in their working.

6. Unless specified otherwise, brass locks and keys shall be finished bright. Aluminium alloy locks and keys shall be anodic and the nodic film may be either transparent or dyed as specified by the buyer. Mild steel locks shall be suitably plated.

7. (1) Drawer locks and cupboard locks shall be manufactured so as to have non-interchangeable keys in a batch to the extent given below :

(i) for 2 lever locks	1	in	6 ;
(ii) for 3 lever or 4 lever locks	1	in	12;
(iii) for 5 or 6 lever locks	1	in	24;
(iv) for more than 6 lever locks	1	in	96;

(2) For box locks, suitcase locks, portfolio locks and briefcase locks, the keys may be interchangeable.

(3) Where non-interchangeability of keys in a higher number is required, it shall be so specified by the buyer at the time of placing the order.

8. Unless otherwise required by the buyer, each lock shall be marked with the following information, namely :—

(a) number of levers

(b) size of lock and its serial number

The key shall be stamped with the serial number of the lock to which it relates.

(This clause shall not apply to box locks, suitcase locks, porfolio locks and brief case locks).

9. (1) Unless otherwise stipulated by the buyer, each lock along with the keys shall be wrapped in a thin paper and

packed in a card-board box carrying the following information namely :—

(a) size

(b) quantity

(2) The locks contained in the card-board boxes shall be finally packed in accordance with the requirement of the buyer in this regard in such a manner as to ensure the safe arrival of the locks to the destination without any damage.

(3) The package weighing upto 50 kgs. shall be able to withstand a drop from a height of 190 cm without any damage to the contents inside or package itself. The packages shall also be adequately protected against adverse effects or moisture contamination.

2. SPECIFICATION FOR GALVANISED STEEL BARBED WIRE FOR FENCING

1. The barbed wire shall be manufactured from a good commercial quality steel wire. The line and point wires shall be circular in section, free from scale and other defects and shall be uniformly galvanised. The line wire shall be in continuous lengths, and shall not contain any weld other than those in the rod before it is drawn.

2. Size and type of wire shall be subject to agreement between buyer and seller. The nominal diameter of line wire and point wire shall however be not less than 2.00 mm. The permissible deviation from the nominal diameter of the line wire and point wire shall not exceed 0.13 mm.

3. The barbed wire shall be formed by twisting together two line wires, one or both containing the barbs. The strands shall be uniformly twisted. The barbs shall carry either two or four points, as per the requirements of the buyer. The barbs shall be sharp, well formed and tightly wrapped around the line wire(s). The barbs shall have a length of not less than 13 mm and not more than 20mm. The barbs shall be uniformly spaced. The spacing of barbs shall be established by measuring the spacing between individual barbs in a 8 metre length of barbed wire. The average spacing shall not exceed the specified spacing and no individual spacing shall vary from the specified spacing by more than 25 mm.

The line wire shall not show any sign of flaking or peeling of its zinc coating when coiled round a cylindrical bar of approximately ten times its diameter.

5. The line wire shall withstand wrapping and unwrapping eight turns round its own diameter, without fracture.

6. Unless otherwise required by the buyer, the barbed wire shall be supplied in metal or wooden reels. Each reel of barbed wire shall be wound and fastened compactly.

7. Every reel of barbed wire shall be marked legibly on it the name of the manufacturer or brand name, diameters of point and line wires, barb spacing and length of the reel.

3. SPECIFICATION FOR GHAMELLAS

1. Ghamellas shall be manufactured from cold rolled cold annealed sheets, capable of withstanding the following test namely :—

> 'Suitable test pieces shall not break or develop cracks if doubled over when cold either by pressure or blows from a hammer until the internal radius is equal to the thickness of the test piece and the sides are parallel'.

2. The steel sheet to be used for manufacture of ghamellas shall be not less than 30 SWG (0.304 mm approx.) Other constructional details shall be subject to the agreement between the buyer and the exporter.

3. The shape and dimensions of the ghamellas shall be as agreed upon between the buyer and the exporter.

4. Ghamellas shall be finished smooth and sharp edges rounded off and shall be given a suitable preservation treatment for protection against rust.

5. Ghamellas shall be packed in accordance with the stipulation of the buyer in this regard and in such manner as to ensure the safe arrival of the ghamellas to the destination without any damage.

4. SPECIFICATION FOR HINGES

1. The hinges shall be made from good quality material, suitable test pieces of sheets used in manufacture of hinges shall bend either by pressure or by blows from a hammer throughout 180° around a thickness equal to that of the test piece without showing any sign of fracture of cracking on outside of the bent portion. Hinges made from cast brass shall not be subjected to bend test.

2. The size, shape and dimensions shall be as agreed to between the buyer and the seller.

3. Hinges shall be well made, free from burrs, flaws and other defects. The hinges made from cast brass shall be free from blow holes, casting and other surface defects. The movement shall be square and the working shall be free and easy without any appreciable play of shake. The hole for hinge pin shall be central to the boss and shall be square. The hinge pin shall be firm and riveted or notched over so that the heads are well formed. Unless otherwise stipulated, screw holes on sheets including and thicker than 20 gauge shall be counter-sunk and shall be suitable for the counter-sunk wood screws. All screw holes shall have a minimum gap of 2 d. between the centre of the hole and edge of the hinge plate, where d is the diameter of the screw hole. The sides of the knuckle shall be straight at right angles to the flap.

4 Double acting spring hinges shall pass the following performance test, which shall be carried out by fixing it to a swing door in the normal manner, namely :—

When the door is pushed through 90° and released 6 times on each side in quick succession, the spring shall show no sign of damage or any permanent set during or on completion of the test.

5. Unless otherwise stipulated by the buyer the hinges of 18 SWG (.048 inches or 1.22 mm) and lesser thickness shall be packed in cardboard cartons.

6. The package weighing upto 50 kgs. shall also be able to withstand a drop from a height of 190 cm. Without any damage to the contents inside or the package itself. The packages shall also be adequately protected against adverse effects of weather and moisture contamination.

5. SPECIFICATION FOR MILD STEEL WIRE NAILS

1. Nails shall be manufactured from mild steel wire. Suitable test pieces of wire when cold shall not break or develop cracks when doubled over, either by pressure or by blows from a hammer until the internal radius is equal to the diameter of the test piece and the sides are parallel.

2. The nails shall be machine made. They shall be straight, free from wasters and shall have sharp points. The heads shall be properly formed and concentric with the shank.

3. The size, shape and dimensions of the different types of nails which shall include all types of cut tacks and panel pins, shall be as agreed to between the buyer and the exporter. In the absence of dimensional tolerances in the export contract, the following shall be applicable, namely :—

	Tolerance in mm.	
	Dia. of shank	Overall length
Wire Nails (other than cut tacks) . .	±0.06	+2.0
	..	—0.0
Cut tacks	±0.13	+2.0
		—1.0

4. The nails shall be supplied bright finished, unless otherwise required.

5. Unless otherwise required by the buyer, all packages of nails shall be marked with the following information namely :—

(a) size

(b) Quantity

6. (1) Nails of different sizes and types shall be packed in separate containers.

(2) Unless otherwise required by the buyer the containers of mild steel wire nails shall be finally packed in accordance with the stipulation of the buyer in this regard and in such manner as to ensure the safe arrival of the wire nails to the destination without any damage.

(3) The package weighing upto 50 kgs. shall also be able to withstand a drop from a height of 190 cm. without any damage to the contents inside or package itself. The packages shall also be adequately protected against adverse effects of weather and moisture contamination.

6. SPECIFICATION FOR MORTICE LOCKS (VERTICAL TYPE)

1. (1) Locks shall be manufactured from such materials as will ensure reasonable life in actual usage. Some of the common raw materials used in the manufacture of locks are :—

mild steel, malleable iron, cast brass, brass sheets, extruded brass, brass wire, aluminium alloy castings, aluminium alloy sheets, extruded aluminium alloy, leaded tin, bronze, zinc base alloy die castings, phosphor bronze, steel wire, stainless steel.

(2) Brass wire, phosphor bronze wire and steel wire used in the manufacture of springs shall satisfy the following test namely :—

the lever spring shall be fitted into the lever and pressed down so as to touch the top edge of the lever and released. This shall be repeated six times. At the end of the test, the spring shall regain its original position.

2. The shape, design, dimensions and mechanism of locks shall be subject to agreement between the buyer and the seller.

3. Each lock shall be provided with two keys. Each key shall be either forged or punched from solid mild steel section, leaded tin bronze, stainless steel or die cast brass alloy. The wards of the keys shall be fully cut out to varying combinations, clearly defined and free from burrs. The engaging wards of key shall be rounded. The keys shall function smoothly without any appreciable friction.

4. Brass body shall be finished smooth, steel body shall be given a suitable protective coating such as painting. Face plate and striking plate shall be finished smooth and polished bright. Where so desired by the buyer, face plate and striking plate may also be plated, anodized or oxidized.

5. (1) The locks shall be manufactures so as to have non-interchangeable keys in a batch to the following extent, namely :—

(i) for 2 lever locks .. ..1 in 6

(ii) for 3 or 4 lever locks .. ..1 in 12

(iii) for 5 to 6 lever locks .. ..1 in 24

(iv) for more than 6 lever locks .. .. ..1 in 96

(2) In case non-interchangeability of keys in a higher number is required, it shall be so specified by the buyer at the time of placing the order.

6. The assembled lock shall withstand the following tests namely :—

(i) when the spindle with handle is inserted into hole in the follower and turned, the latch bolt shall draw smoothly into the lock body shall be within one millimetre from the face of the fore end;

(ii) when the latch bolt is pressed into the lock body by pressure, the action shall be smooth and when fully pressed the latch bolt shall not project more than one millimetre from the face of the fore end.

(iii) when a key is inserted in key role from one side of the lock and turned to withdraw the locking bolt, the action shall be smooth and without impediment. When the direction of turn is reversed to lock the locking bolt, then also the action shall be smooth and without impediment. In the locked position the locking bolt shall project minimum 12 mm. from the face of the fore end, although one millimetre free movement is permissible. The locking bolt shall be worked by turning key in both directions several times quickly. This test shall be repeated with the key inserted from other side of the lock. The components shall not move from their normal position to cause impediment to others.

(iv) when the key is turned to lock the locking bolt, at the same time applying a reasonable pressures by finger on it, after completion of the key rotaction, the locking bolt shall be positively locked in the forward position. This shall be repeated with the key inserted from the other side of the lock.

7. (1) Unless otherwise required by the buyer, each lock shall be marked with the following information namely :—

(a) Number of levers

(b) Size of lock and its serial number

(2) The keys shall be marked with serial number of the lock to which it relates.

8. (1) Unless otherwise stipulated by the buyer, each lock along with keys shall be wrapped in a thin paper and packed in a card board box, carrying the following information namely :—

(a Size

(b) Quantity

(2) Locks contained in the card board boxes shall finally be packed in accordance with the stipulation of the buyer in this regard and in such a manner as to ensure the safe arrival of the locks to the destination without any damage.

(3) The packages weighing upto 50 kgs. shall be able to withstand a drop from height of 190 cm. without any damage to the contents inside or the package itself. The packages shall also be adequately protected against adverse effects of weather and moisture contamination.

7. SPECIFICATION FOR PADLOCKS

1. (1) The locks shall be manufactured fro msuch material as will ensure reasonable life in actual usage. Some of the common materials used in the manufacture of locks are:—

mild steel, cast brass, sheet brass, zinc alloy, leaded tin bronze, galvanised mild steel wire, brass wire, phosphor bronze wire

(2) Brass wire and phosphor bronze wire used in the manufacture of spring shall satisfy the following test, namely :—

The lever spring shall be fitted into the lever and pressed down so as to touch the top edge of the lever and released. This shall be repeated six times. At the end of the test, the spring shall regain its original position.

2. The shape, design and mechanism of locks shall be subject to agreement between the buyer and the saller.

3. The keys shall be made of mild steel, leaded tin bronze, brass or aluminium alloy and shall be either of the

female or male type as specified by the buyer. The wards and dents of the keys shall be evenly cut or drilled, clearly defined and free from burrs. The engaging ends of the key wards and ents shall be rounded and cleaned.

4. Cover plates and false (dummy) levers shall not be counted as lever. The levers shall work without any appreciable friction or shake on the pivot pin. The holes and slots in the levers shall be free from burrs. A cover plate made of cast brass, sheet brass or mild steel shall also be provided when the levers do not completely fill the hole depth of the body.

5. All components of the locks and the keys shall be finished smooth to minimise frictional resistance in their working.

6. Unless specified otherwise, brass locks and keys shall be finished smooth and lacoured. The shackle and key for brass padlocks, shall however be finished bright Shacklles shall be suitably case hardened when specified. These will move without friction and will not be very loose.

7. Locks may be of 'M' type, miller type, lever tumbler type, pin tumbler type of of any other type specified by the buyer.

8. (1) The locks shall be manutacured so as to have non-interchangeable keys in a batch to the following extent namely :—

I. **Brass Locks.**

(i) for 2 lever locks .... 1 in 12;
(ii) for 3 or 4 lever locks..... ..... 1 in 24;
(iii) for 5 or 6 lever lecks..... ..... 1 in 48;
(iv) for more than 6 lever locks..... 1 in 96;

II. Steel Locks and Zinc alloy die, cast locks.

(i) for 2 leves locks..... 1 in 86;
(ii) for 3 or 4 lever locks..... 1 in 12;
(iii) for 5 or 6 lever locks..... ..... 1 in 24;
(iv) for more than 6 lever locks. ..... 1 in 96;

(2) For locks operating on spring mechanism and having no levers, the keys may be interchangeable.

(3) All the arrangements used in the lock such as pins and discs etc. shall be considered as levers.

(4) In case non-interchangeability of keys in a higher number is required, it shall be so specified by the buyer at the time of placing the order.

9. The following test of soundness of construction shall be conducted on different types of locks namely :—

(i) **For Miller' type locks**

The body of the lock shall be held in a vice and the shackle engaged through a hook or eye when closed. The lock shall not fail when a load specified below is applied gradually through the the hook in a vertical directions ;

Size mm.	Load kg.
15	10
20	15
25	15
30	20
35	25
40	30
50	30

For sizes not mentioned above, the average load on the basis of above shall be applied.

For size below 15 mm and not working on lever mechanism this test shall not be applicable.

(ii) **For lever tumbler type locks and pin tumbler type locks.**

The body of the lock shall be suitably held and shackle engaged through a hook or eye when closed. The lock shall not fail when tension load at the rate of one Kg. per millimetre size of lock, is applied gradually through the hook in a vertical direction ;

(iii) **For 'M' type locks and other locks**

Lock when closed shall be held by the shackle and five sharp blows shall be given on to a lead block with that side of the padlock on which shackle is rivetted. The lock shall then be opened and test repeated by striking with the opposite side of the lock. During or on completion of the test the lock shall not show any sign of damage or defective functioning.

10. (1) Unless otherwise required by the buyer, each lock shall be marked with the following information namely:—

(a) number of levers.

(b) size of lock and its serial number.

(2) The keys shall be marked with the serial number of the lock to which it relates.

11. (1) Unless otherwise stipulated by the buyer each lock along with the keys shall be wrapped in a thin a paper and packed in a card-board box carrying the following information namely:—

(a) size.

(b) Quantity.

(2) Locks contained in the card board boxes shall be finally packed in accordance with the stipulation of the buyer in this regard and in such a manner as to ensure the safe arrival of the locks to the destination without any damage.

(3) The package weighing upto 50 kgs. shall be able to withstand a drop from a high of 190 cm without any damage to the contents inside or package itself. The packages shall also be adequately protected against adverse effects of weather and moisture contamination.

8. SPECIFICATION FOR SLIDING DOOR BOLTS FOR USE WITH PADLOCKS

1. Sliding door bolts shall be manufactured from such materials as will ensure reasonable life in actual usage. Some of the common raw materials used in the manufacture of sliding door bolts are :—

Cast brass, malleable cast iron mild steel, aluminium alloy and zinc alloy.

2. Dimensions, shape and design shall be as per the agreement between the buyer and the exporter. The common types of sliding door bolts are :—

(a) Plate type sliding bolts, and
(b) clip or bolt type sliding bolts.

3. The sliding door bolts shall be free from manufacturing defects. All sharp edges and corners shall be removed and finished smooth. Sliding door bolts shall have smooth sliding action. Unless otherwise stipulated, screw holes except in sheet thicknesses of thinner than 20 gauge shall be countersunk.

4. Unless otherwise specified the sliding door bolts shall have the following finish namely :—

(i) brass—all parts shall be polished bright or plated;

(ii) malleable cast iron-stove enamelled or copper oxidized;

(iii) mild steel-bolts, plates, straps and staple plate shall be stove enamelled before assembly. Hasp and bolt shall be finished bright or plated.

(iv) aluminium alloy-Anodized to a bright natural, mat or satin finish or dyed;

(v) Zinc alloy-bright satin finish, nickle plated, copper oxidized and bronze finish.

5. The following plating adhesion test shall be carried out for plated sliding door bolts, namely :—

An area of not more than 6.5 sq. cm. of plated surface shall be rubbed rapidly and firmly for 15 seconds, with a smooth metal implement. Suitable burnishing implement is a copper disc. (e.g. a copper coin) used edgewise and broad side. The pressure shall be sufficient to burnish the film of plating at every stroke but not so great as to cut the deposit. The burnished area shall then be visually examined. The adhesion of the plating shall be deemed adequate if there is no indication of the deposit becoming detached from the base metal.

6. (1) Unless otherwise required by the buyer, door bolts shall be wrapped in strong paper and packed in card board boxes having the following information namely :—

(a) Size

(b) Quantity

(2) The sliding door bolts contained in the card board boxes shall be finally packed in accordance with the stipulation of the buyer in this regard and in such a manner as to ensure the safe arrival of the sliding door bolts to the destination without any damage.

(3) The package weighing upto 50 kgs. shall be able to withstand a drop from a height of 190 cm. without any damage to the contents inside or the package itself. The packages shall also be adequately protected against adverse effects of weather and moisture contamination.

9. SPECIFICATION FOR TOWER BOLTS

1. The tower bolts shall be manufactured from such materials as will ensure reasonable life in actual usage. The materials used in the manufacture of bolts shall be as follows namely :—

mild stel, cast iron, malleable cast iron, brass (cast, rolled and extruded), zinc alloy and aluminium alloy.

2. The shape, design and dimensions shall be subject to agreement between the buyer and the exporter.

3. Tower bolts shall be well made and shall be free from defects. The bolts shall be finished to the correct shape and shall have a smooth action. Unless otherwise stipulated screw holes except in sheet thickness of thinner than 20 gauge shall be countersunk. All sharp edges and corners shall be removed and finished smooth. The rivet heads used for joining the plate and straps shall be properly formed and at the back rivet heads shall not protrude more than one millimetre.

4. Bolts shall have knob integral with the bolts or the knob may be fitted to the bolt with a pin. The knob may also be screwed and revitted and finished flush. In non-ferrous metal tower bolts and in tower bolts where either barrel or bolt is made of non ferrous metarials, a small spring and a ball shall be provided where ever required to enable smooth working. The plates and the straps after assembly shall be firmly rivetted.

5. Bolts, staples and plates shall be free from defects. In case bolts are made from castings they shall be free from casting and other surface defects.

6. Unless otherwise specified tower bolts shall have the following finish namely :—

(i) Mild steel tower bolts—bolts bright finished or plated and other parts stove enamelled ;

(ii) brass tower bolts—bolts and barrel polished or plated and other parts stove enamelled;

(iii) aluminium alloy tower bolts—bolt, barrel, plate and staples anodized. The anodic film may be either transparent or dyed as specified by the buyer ;

(iv) Zinc alloy tower bolt—bolt, barrel, plate and staples oxidized, bronzed or plated;

(v) cast iron tower bolts—bolt barrel shall have a smooth finish, barrel may be plated or painted and the bolt may be plated or polished.

7. (1) Unless otherwise stipulated by the buyer tower bolts shall be wrapped with a tissue paper or polythene film and packed in cardboard boxes carrying the following information namely :—

(a) size

(b) quantity

(2) Tower bolts contained in the card board boxes shall be finally packed in accordance with the stipulation of the buyer in this regard and in such a manner as to ensure the safe arrival of the tower bolts to the destination without any damage.

(3) The package weighing upto 50 kgs. shall also be able to withstand a drop from a height of 190 cm. without any damage to the contents inside or package itself. The packages shall also be adequately protected against adverse effects of whether and moisture contamination.

10. SPECIFICATION FOR WIRE GAUZE

1. Wire gauze shall be manufactured from wire made of any suitable material as agreed to between the buyer and the seller. The wire shall be of the uniform cross-section. The wire used shall be clearly drawn and free from scales and splits.

2. The gauze shall be regularly woven with enough number of equally spaced parallel wires in both warp and weft directions to produce uniform square or rectangular (as the case may be) meshes or openings. Both warp and weft wires shall be properly crimped or woven as the case may be to prevent shifting of the wires and to produce an even surface of the gauze without any distortion when finished. The wire gauze shall be properly selvedged by one or more wires in each edge wherever possible taking due precaution that the gauze edges do not get distorted.

3. (1) The dimensions of wire gauze shall normally be as given below in the table. Gauze with other dimensions can, however, be exported subject to agreement between the buyer and the exporter.

TABLE

Dimension of Wire Gauze

Gauze Designation	Average width of aperture	Nominal Diameter of wire mm.	Near SWG
160G	1.60	0.950	19½
140G	1.40	0.710	22
120G	1.20	0.600	23
100G	1.00	0.600	23
85G	0.84	0.560	24
80G	0.79	0.530	24½
70G	0.71	0.450	26
60G	0.59	0.425	27
50G	0.50	0.355	29
40G	0.42	0.280	31½

Note : (a) Gauze designation indicates the approximate size of the square opening of the gauze in dekamicron. For example, a gauze designated as 100G means that the width of the opening of that gauze is approximately 1.00 mm.

(b) 140G is suitable for fly-proof screens, 120G and 100G are suitable for mosquito-proof screens.

(2) The following tolerance shall be permitted on dimensions, namely :—

(i) Overall length . . . . . ±2.5 cm.

(ii) Overall width . . . . . ±0.5 cm.

(iii) Width of opening :—

(a) Opening upto and including 1 mm size ±5%

(b) Openings above 1 mm size . . ±3%

4. The wire gauze shall be wrapped in suitable rust preventive material and thereafter packed as per the requirements of the buyer in a manner so as to ensure safe arrival of the wire gauze to the destination without any damage.

5. Unless oherwise required by the buyer, each package shall be clearly marked with the following details, namely :—

(a) width × length

(b) gauze designation and diametre of wire used.

III. CUTLERY

1. SPECIFICATION FOR FORKS

1. Scope

The following types of forks shall be covered under this specification namely :—

Table, fork, fish fork, pastry fork, serving fork.

2. Material

The fork shall be manufactured from brass, nickle silver or stainless steel.

3. Shape and dimensinos

Shape and dimensions of the forks shall be subject to the agreement between the buyer and the seller.

4. Construction

The forks shall meet the following constructional details namely :—

(a) forks shall be manufactured either with solid handle forged or cast with prongs or pressed into shape. The forks may also be manufactured with hollow handles or bakelite handles;

(b) forks shall be free from burrs, seams, cracks or other manuffacturing defects. All edges shall be well rounded off. The pronge shall be evenly tapered to the point. The shank and blade containing the prongs shall be in good alignment;

(c) the tang shall be well drawn. When forks are made with hollow or plastic or bakelite handles they shall be soundly cast or moulded with tang in position.

(d) The joint shall be sliver soldered in case of nickel silver hollow handles and welded in cases of stainless steel hollow handles.

(e) When forks, spoons and knives are required to be supplied in sets, the design of the handles and general appearance of the itms in a set shall match.

5. Finish

Forks made of brass shall be electroplated with :—

(i) Nickel; or

(ii) Nickel and chromium; or

(iii) Silver.

The plating shall be uiform and free from defects. The forks made of nickle silver may be plated if specified by the buyer. Stainless steel forks shall be polished bright all over.

6. Tests

Forks shall satisfy the following tests namely :—

(i) **bending tests**—the fork will be held rigidly from extreme end of the shank and supported in the middle of the over all length in such a way that it is approximately horizontal. A load of 1 kg. in case of pastry fork and 1.5 kg. in case of table, fish and serving forks, shall be applied at the extreme end of the prongs for two minutes and then removed. The permanent deflection after removal of load shall not exceed 8 mm.

(ii) **Staining test for stainless steel forks**—The fork, when dipped for 16 hours in each of the following solutions, shall not show any sign of staining after removal from each solution namely :—

(a) ten grams of glacial acetic acid (99 percent) dissolved in distilled water to make 100 ml. and

(b) five grams of pure sodium chloride dissolved in distilled water to make 100 ml.

This test will not be applicable for cast stainless steel forks;

(iii) **Electroplating test**—an area of not more than 6.5 sq. cm. of plated surface of the fork shall be rubbed rapidly and firmly for 15 seconds with a smooth metal implement (i.e. copper coin) used edgewise and broad side. The pressure shall be sufficient to burnish the film of plating on every stroke but not so great also as to cut the deposit. The burnished area shall then be visually examined. The adhesion of the plating shall be deemed adequate if there is no indication of the deposit being detached from the base metal.

(iv) **test for plastic and bakelite handles**—The fork with plastic or bakelite handle shall be immersed for one hour in a boiling 5 percent soap-solution, then rinsed immediately in water at 15° to 20°C and imediately reimmersed completely in boiling water for one hour. The fork shall then be rinsed again in water at 15° to 20°C. This procedure shall be repeated four times. During or on completion of the test, the handles shall not show any sign of cracking, chipping or discolouring. The tang shall neither become loose nor shall there by any damage.

7. Packing

(a) Unless otherwise required by the buyer, each fork shall be wrapped in a tissue paper and packed in card-board box having the following information namely :—

(i) description of the product including brand name

(ii) Quantity

(b) Forks contained in the cartons shall be finally packed in accordance with the stipulation of the buyer in this regard and in such a manner as to ensure the safe arrival of the goods to the destination without any damage.

(c) The package weighing upto 50 kgs. shall also be able to withstand a drop from a height of 190 cm. without any damage to the contents inside or the package itself. The packages shall also be adequately protected against adverse effects of wheather and moisture contamination.

2. SPECIFICATION FOR KNIVES

1. Scope

The following types of kinves shall be covered under this specification namely :—

Bread knife, butter knive, butcher knife, fish knife, carving knife, cook's knife, pocket knife, table knife, dessert knife, fruit knife.

2. Material

(a) Blades of butter and fish knives shall be made from stainless steel or nickel silver.

(b) Blades of butcher, carving cook's and pocket knives shall be manufactured from any suitable type of steel which will satisfy the requirements given in the later clauses.

(c) Blades of bread, table, dessert and fruit knives shall be made from stainless steel only.

(d) The handles of knives may be made from seasoned timber, plastic, bakelite, bone, aluminium, stainless steel, german silver, ivory, horn or any other material agreed to between the buyer and the seller.

3. Shapes and dimensions

Shapes and dimensions of the kinves shall be subject to the agreement between the buyer and the seller.

4. **Construction**

Knives shall meet the following constructional details namely :—

(a) Knives with solid handles shall be forged in one piece.

(b) knives with hollow handles shall have the blades forged and the tangs will drawn. The scales shall it closely to the tang and shall be finished flush smooth. In case of hollow handles made of stainless steel, the joints shall be welded and in other cases soldered;

(c) in case of cast plastic handles, they shall be moulded with tang in position. The tangs shall be properly shaped and grooved;

(d) the blades shall be uniformly tapered towards cutting edge. The edges shall be properly ground and ready, for use. The fish knives shall have cutting teeth properly formed :

(e) the handle scales shall be well secured to the tang throughout its length by means of copper, brass or mild steel rivets;

(f) the knives shall be free from cracks, seams flaws, pits, burrs and other manufacturing defects. The blade and handle shall be in good alignment;

(g) if required by the purchaser, the knives and the hollow handless made of nickel silver may be electroplated and in this case plating shall be uniform and free from defects;

(h) when knives, forks and spons are required to be supplied in sets, the design of the handles and general appearance of the items in a set shall match.

5. **Tests**

Knives shall satisfy the following tests namely :—

(i) Hardness.—the blades made of steel shall be normalised after forging. They shall be hardened and tampered to attain hardness as under :

(a) *Bread, pocket, table dessert and fruit knives*—450 to 550 DPN .

(b) Butcher, carving, cook's knives.—60 to 700 DPN. This test will not be applicable for butter and fish knives.

(ii) Cutting test.—the knives made of steel shall be struck from a height of 250 mm, six times on an aluminium block or on a block of well seasoned timber. The blades shall be struck in such a manner that practically the entire length of the cutting edge shall not show any sign of distortion after the test, non shall there be any damage to any other part of the blade. In case of stainless steel knives this test would consist of three blows from a height of 200 mm. This test will not be applicable for butter and fish knives;

(iii) Corrosion test.—the surface of the blade shall be wiped thoroughly with hot water using a soft cloth. The blade shall not show any sign of corrosion when it is immersed in a 5 percent solution of acetic acid for a period of not less than 12 hours. This test will be applicable only for knives made of stainless steel.

(iv) Test for electroplating.—an area of not more than 6.5 sq. cm. of plated surface of the knives shall be rubbed rapidly and firmly for 15 seconds with a smooth metal implement (i.e. copper coin) used edgewise and broad side. The pressure shall be sufficient to burnish the film of plating on every stroke but not so great also as to cut the deposit. The burnished area shall then be visually examined. The adhesion of the plating shall be deemed edequate if there is no indication of the deposit being detached from the base metal;

(v) Test for plastic and bakelite handles.—The knives with plastic or bakelite handle shall be immersed for one hour in a boiling 5 per cent soap-solution then rinsed immediately in water at 15° to 20°C and immediately reimmersed completely in boiling water for one hour. The knives shall then be rinsed again in water at 15° to 20°C. This procedure shall be repeated four times. During or on completion of the test, the handle shall not show any sign of cracking, chipping or discolouring. The tang shall neither become loose nor shall there be any demage.

6. Packing

(a) knives made of steel shall be coated with suitable minerals jelly or varnish to protect them from rust. Wooden handles shall be smeared with oil.

(b) Unless otherwise required by the buyer, each knife shall be wrapped in a tissue paper and packed in Card-board box having the following information namely :—

(i) description of the product including brand, name,

(ii) Quantity

(c) knives contained in the cartons shall be finally packed in accordance with the stipulation of the buyer in this regard and in such a manner as to ensure the safe arrival of the goods to the destination without any damage.

(d) The package weighing upto 50 kgs. shall also be able to withstand a drop from a height of 190 cm. without any damage to contents inside or the package itself. The packages shall also be adequately protected agains adverse effects of weather and moisure contamination.

3. SPECIFICATION FOR SPOONS

1. Scope

The following types of spoons shall be covered under this specification namely :—

Serving spoon large, serving spoon, dessert spoon, tea spoon, coffee spoon, soup spoon, mustard spoon, salt spoon.

2. Material

The spoons shall be manufactured from brass, nickel silver or stainless steel.

3. Shapes and dimensions

Shapes and dimensions of spoons shall be subject to the agreement between the buyer and the seller.

4. Construction

The spoons shall meet the following constructional details namely :—

(a) Spoons may be forged, pressed or cast to shape in one piece. The forged spoons shall have a solid handle and pressed spoons shall have a pressed handle;

(b) Spoons shall be free from burrs, seams, cracks or other manufacturing and surface defects. All edges shall be well rounded off;

(c) The handle and bowl shall be in good alignment;

(d) when spoons, forks and knives are required to be supplied in sets, the design of the handles and the general appearance of the items in a set shall match.

5. Finish

Spoons made of brass shall be electroplated with :

(i) Nickel; or

(ii) Nickel and chromium; or

(iii) silver

The plating shall be uniform and free from defects. The spoons made of nickel silver may be plated if required by the buyer. Stainless steel spoons shall be polished bright all over.

6. Tests :

Spoons shall satisfy the following tests namely :—

(i) bending test—the spoon shall be held rigidly from the extereme end of the shank and supported in the middle of the overall length in such a way that it is approximately horizontal. A load as given in the Table below shall then be applied at the exterme end of the bowl for two minutes and then removed. The permanent deflection shall be measured after removal of the load. It shall not exceed the value given in the Table.

TABLE

Type of spoon	Solid handle spoons		Pressed handle spoons	
	Load Kg.	Permanent deflection mm.	Load Kg.	Permanent deflection mm.
Serving spoon large	2.5	8	1.5	8
Serving spoon	1.5	8	0.8	8
Dessert spoon	1.5	8	0.8	8
Tea spoon	1.0	8	0.4	5
Coffee spoon	1.0	8	0.4	5
Soup spoon	1.5	8	0.8	8
Mustard soon	1.0	8	0.4	5
Salt spoon	1.0	8	0.4	5

(ii) Staining test for stainless steel spoons.—The spoon, when dipped for 16 hours in each of the following solutions, shall not show any sign of staining after removal from each solution, namely;

(a) ten grams of glacial acetic acid (99 percent) dissolved in distilled water to make 100 ml. and

(b) five grams of pure sodium chloride dissolved in distilled water to make 100 ml.

This test will not be applicable for cast spoons,

(iii) Test for electroplating.—An area of not more than 6.5 sq. cm. of plated surface of the spoon shall be rubbed rapidly and firmly for 15 seconds with a smooth metal implement (i.e. copper coin) used edgewise broad side. The pressure shall be sufficient to burnish the film of plating on every stroke but not so great also as to cut the deposit. The burnished area shall then be visually examined. The adhersion of the plating shall be deemed adequate if there is no indication of the deposit being detached from the base metal.

7. Packing

(a) Unless otherwise required the buyer, each spoon shall be wrapped in a tissue paper and packed in card-board box having the following information namely :—

(i) description of the product including brand name

(ii) Quantity

(b) Spoons contained in the cartons shall be finally packed in accordance with the stipulation of the buyer in this regard and in such a manner as ensure the safe arrival of the goods to the destination without any damage.

(c) The package weighing upto 50 kgs. shall also be able to withstand a drop from a height of 190 cm. without any damage to the contents inside or the package itself. The packages shall also be adequately protected against adverse effects of weather and moisture contamination.

[No. 6(14)/74/EI&EP]

K. V. BALASUBRAMANIAM, Dy. Dir.

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली

आदेश

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1976

का० आ० 896.—सर्वश्री दि ट्रिब्यून, सेक्टर 29-सी चण्डीगढ़ को 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) के लिए एक आयात लाइसेंस संख्या पी/ए/1406699/सी/एक्स/एक्स/54/एच/39-40, दिनांक 31-1-75 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह बताया गया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति इलाहाबाद बैंक, चण्डीगढ़ द्वारा पंजीकृत है। यह प्रति साखपत्र खोलने के लिए 7616 स्विस फ्रांस और 1225 डालर मात्र के लिए उपयोग की गई थी और उस पर शेष 50,000 रुपये प्रेषण के लिए उपलब्ध है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र श्री राम शरण दास, शपथ आयुक्त, चण्डीगढ़ के प्रमाणपत्र सहित दाखिल किया है। मैं तदनुसार सन्तुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है। इसलिए, यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की उपधारा 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री दि ट्रिब्यून, चण्डीगढ़ को प्रदान किए गए उक्त लाइसेंस संख्या पी/ए/1406699/सी/एक्स/एक्स/54/एच/39-40, दिनांक 31-1-75 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि लाइसेंसधारी को अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या 67-5(टी)-1/74-75-एन०पी०एस०]

एन० सी० कांजीलाल, उप-मुख्य नियंत्रक

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 28th January, 1976

S.O. 896.—M/s. The Tribune, Sector 29-C, Chandigarh were granted an import licence No. P/A/1406699/C/XX/54/H/39.40 dated 31-1-75 for Rs. 50,000/- (Rupees Fifty thousand only). They have applied for the issue of a duplicate/Exchange Control Purposes copy of the said licence on the ground that the original/Exchange Control Purposes copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original/Exchange Control copy was registered with the Allahabad Bank, Chandigarh. It was utilised by opening Letter of Credits for Swiss Francs 7616/- & $ 1225 only and the balance available on it was Rs. 50,000/- for remittance.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit along with certificate from Shri Ram Saran Dass Oath Commissioner, Chandigarh, I am accordingly satisfied that the Original/Exchange Control Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports

(Control) Order, 1955 dated 7-12-55 as amended the said Original/Exchange Control Purposes copy of licence No. P/A/1406699/C/XX/54/H/39-40 dated 31-1-1975 issued to M/s. The Tribune, Chandigarh is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licencee.

[No. 67-V/T-1/74-75/NPS]

N. C. KANJILAL, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1976

का० आ० 797.—सर्वश्री भारत फ्लोर मिल्स, पठानकोट को एक आयात लाइसेंस संख्या पी/सीजी/2069277, दिनांक 11-4-1975 प्रदान किया गया था । उन्होंने उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की एक अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है अथवा अस्थानस्थ हो गई है । आगे यह भी बताया गया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति किसी भी प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं की गई है और इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है ।

2. आवेदक ने अपने तर्क के समर्थन में शपथ आयुक्त, पठानकोट के समक्ष विधियत् शपथ लेते हुए एक शपथपत्र दाखिल किया है । तदनुसार मैं सन्तुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है । अतः यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की धारा 9 (सीसी) के अनुसार प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त लाइसेंस संख्या पी/सीजी/269277, दिनांक 11-4-1975 जो सर्वश्री भारत फ्लोर मिल्स, पठानकोट को जारी किया गया था उसकी मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

3. उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है ।

[संख्या 2280(74)/27/सीजी–3]

गुरदेव सिंह ग्रेवाल, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 11th February, 1976

S.O. 897.—M/s. The Bharat Flour Mills, Pathankot were granted an import licence No. P/CG/2069277, dated 11-4-1975. They have applied for the issue of a duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence on the ground that the original Exchange Control Purposes copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Exchange Control copy was not registered with any authority and was not utilised at all.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit duly sworn in before the Oath Commissioner, Pathankot. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said original Exchange Control Purposes copy of the licence No. P/CG/2069277, dated 11-4-1975 issued to M/s. Bharat Flour Mills, Pathankot, is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence is being issued separately.

[No. 2280(74)/27/CG.III]

G. S. GREWAL, Dy. Chief Controller.

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय,

आदेश

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1975

का० आ० 798.—सर्वश्री मोहिन्द्रा रेडियो एण्ड टेलीविजन कारपोरेशन, 89/3, थापर नगर, मेरठ को नीति पुस्तक अप्रैल--मार्च, 76 (वा02) के खण्ड 2 की क्रम संख्या ए.91.2 के सामने कालम 4 की मदों के आयात के लिए 2,43,334 रुपये मात्र मूल्य का एक प्रतिस्थापन लाइसेंस सं० पी/एम/2760326/सी दिनांक 8-8-75 प्रदान किया गया था । उन्होंने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, 1976 के परिशिष्ट 8 के साथ पढ़े जाने वाले पैरा 320 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि पूर्वोक्त लाइसेंस की दोनों प्रतियां किसी भी सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत कराए बिना और बिल्कुल भी उपयोग किए बिना खो गई/अस्थानस्थ हो गई है । फर्म ने लाइसेंस की अनुलिपि प्रतियों (सीमाशुल्क और मुद्रा विनिमय दोनों) के लिए पूर्ण धनराशि 2,43,334 रुपये के लिए आवेदन किया है ।

मैं सन्तुष्ट हूं कि लाइसेंस सं० पी/एम/2760326/सी दिनांक 8-8-75 मूल्य 2,43,334 रुपये की मूल प्रतियां (सीमाशुल्क तथा मुद्रा विनिमय दोनों) खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं ।

इसलिए अद्यतन यथा संशोधित आयात व्यापार (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की विषयक् धारा 9(सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाइसेंस सं० पी/एम/2760326/सी दिनांक 8-8-75 मूल्य 2,43,334 रुपये मात्र की दोनों मूल प्रतियां (सीमाशुल्क और मुद्रा विनिमय प्रतियां) एतद्द्वारा रद्द की जाती हैं ।

लाइसेंस सं० पी/एम/2760326/सी दिनांक 8-8-75 मूल्य 2,43,334 रुपये मात्र की दोनों अनुलिपि प्रतियां अलग से जारी की जा रही हैं ।

[संख्या इंजी० 398/विस० 74/एस० सी०-2/सी० एल० ए०]

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports)

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 6th December, 1975

S.O. 898.—M/s. Mohindra Radio & Television Corpn., 89/3 Thapar Nagar, Meerut were granted repl. licence No. P/M/2760326/C dated 8-8-1975 for Rs. 2,43,334 only for import of Ccl. 4 items against sl. A. 91.2 of Sec. II of the policy book AM 76 (Vol. II). They have filed an affidavit as required under para 320 read with Appendix 8 of the ITO Hand Book of Rules & Procdeure, 1976 wherein they have affirmed that both copies of the aforesaid licence have been lost/misplaced without having been registered with any Customs House & utilised at all. The firm have applied for duplicate copies (both Customs & Exchange Control copies) of the licence for the full amount of Rs. 2,43,334/- only.

I am satisfied that the original copies (both Customs & Exchange Control Copies) of licence no. P/M/2760326/C dated 8-8-1975 for Rs. 2,43,334 only have been lost/misplaced.

Therefore, in exercise of the power conferred under subclause 9-C in the ITO Order, 1955 dated 7-12-55 amended up to date both the orignal copies (Customs & Exchange Control Copies) of licence No. P/M/2760326/C dated 8-8-75 for Rs. 2,43,334/- only is hereby cancelled.

Duplicate both copies of licence No. P/M/2760326/C dated 8-8-75 for Rs. 2,43,334 only have been issued seperately.

[F. No. Engg. 398/Dec.-74/S.C. II/C.L.A.]

आदेश

का० आ० 899.--सर्वश्री ऊषा रेक्टीफायर्स कारपोरेशन (इण्डिया), लि०, 12/1, दिल्ली-मथुरा रोड़, फरीदाबाद को सेलिनियम हाई प्योरिटी ब्लैक एमोर्फोस के आयात के लिए 7,190 रुपये मात्र मूल्य का एक प्रतिस्थापन लाइसेंस सं० पी/एल/2758808/सी दिनांक 4-4-75 प्रदान किया गया था । उन्होंने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, 1975-76 के परिशिष्ट 8 के साथ पढ़े जाने वाले पैरा 320 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एक शपथपत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि पूर्वोक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति सीमाशुल्क कार्यालय, नई दिल्ली में पंजीकृत कराने के बाद और बिल्कुल भी उपयोग किए बिना खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है । फर्म ने पूर्ण मूल्य 7,190 रुपये मात्र के लिए सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए आवेदन किया है और यह वचन लिया है कि यदि बाद में मूल प्रति मिल गई तो उसे रद्द करने के लिए लौटा दिया जाएगा ।

मैं सन्तुष्ट हूं कि लाइसेंस सं० पी/एल/2758808/सी दिनांक 4-4-75, मूल्य 7,190 रुपये मात्र की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है ।

इसलिए अद्यतन यथासंशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की विषयक् धारा 9-सी द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाइसेंस सं० पी/एल/2758808/सी, दिनांक 4-4-75 मूल्य 7,190 रुपये मात्र की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति जिसकी अनुलिपि प्रति के लिए आवेदन किया गया है, एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

लाइसेंस सं० पी/एल/2758808/सी, दिनांक 4-4-75 की अनुलिपि सीमाशुल्क निकासी प्रति पूर्ण धनराशि 7,190 रुपये मात्र के लिए अलग से जारी की गई है ।

[सं० इंजी० 441-ओ०डी० 74/एस० सी० 2/सी एल० ए०]

एम० जी० गोम्बर, उप-मुख्य नियंत्रक

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

CANCELLATION ORDER

S.O. 899.—M/s. Usha Rectifiers Corporation (India) Ltd., 12/1 Delhi Mathura Road, Faridabad were granted repl. licence No. P/L/2758808/C dated 4-4-75 for Rs. 7,190 only for import of Selenium High Purity Black Amorphous. They have filed an affidavit as required under para 320 read with Appendix 8 of the ITC Hand Book of Rules & Procedure, 1975-76 wherein they have stated that the customs purposes copy of the aforesaid licence has been lost/misplaced after having been registered with New Delhi Customs House & without having been utilised at all. The firm have applied for a duplicate customs purposes copy of the licence for the full value of Rs. 7,190 only and undertake to return the original copy for cancellation if traced out later.

I am satisfied that the original customs purposes copy of licence No. P/L/2758808/C dated 4-4-75 for Rs. 7,190 only has been lost/misplaced.

Therefore, in exercise of the powers conferred under subject clause 9-C in the ITC Order 1955 dated 7-12-55 amended upto date, the original customs purpose copy of the licence No. P/L/2758808/C dated 4-4-75 for Rs. 7,190 only is hereby Cancelled for which a duplicate licence has been applied for.

Duplicate customs purpose copy of licence No. P/L/2758808/C dated 4-4-75 for the full amount of Rs. 7,190 only has been issued separately.

[Endt. No. Engg. 441/OD 74/SC II/CLA/5018/6049]
M. G. GOMBER, Dy. Chief Controller
for Jt. Chief Controller.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1975

का० आ० 900.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के पूर्व भूतपूर्व वाणिज्य और उपभोक्ता उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 631, तारीख 28 फरवरी, 1957 जहां तक इसका सम्बन्ध औद्योगिक विकास विभाग के लघु उद्योग विकास संगठन से है, को अधिक्रान्त करते हुये, निदेश करते हैं कि :—

(1) इस आदेश की अनुसूची के भाग 1 के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2 के, पदों की बाबत, स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा और इसके स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट शक्तियों की बाबत, स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी होगा ।

(2) उक्त अनुसूची के भाग 2 और भाग 3 के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3 और साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4 पदों की बाबत, स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होंगे और उसके स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट शक्तियों की बाबत स्तम्भ 3 और 5 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी क्रमशः अनुशासनिक प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी होंगे ।

अनुसूची

भाग 1 — साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2

पद का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	यह प्राधिकारी जो शास्ति अधिरोपित करने के लिये सक्षम है और वे शास्तियां जिन्हें वह अधिरोपित कर सकेगा (नियम 11 के पद संख्याओं के सन्दर्भ में)	
		प्राधिकारी	शास्तियां
1	2	3	4
लघु उद्योग विकास संगठन :			
ऐसे वेतनमान वाले वे सभी पद जिनका अधिकतम पुनरीक्षण से पूर्व 575 रु० या पुनरीक्षित वेतनमान में 900 रु० से अधिक है ।	विकास आयुक्त	विकास आयुक्त	सभी
अन्य सभी पद	विकास आयुक्त	विकास आयुक्त विकास आयुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय, नई दिल्ली में काम करने वाले अधिकारियों के लिए संयुक्त विकास आयुक्त/अपने-अपने राज्य/शाखा संस्थानों में निदेशक/केरल राज्य में अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालयों तथा विस्तार/उत्पादन केन्द्रों की बाबत उत्पादन केन्द्रों के निदेशक भार साधक उपनिदेशक, शाखा/लघु उद्योग सेवा संस्थान, गोवा/निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/निदेशक, पिछड़े क्षेत्र तथा ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम ।	सभी (1) से (4)

अनुसूची

भाग 2 — साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3

पद का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	यह प्राधिकारी जो शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है	वह शास्तियां जिन्हें वह अधिरोपित कर सकेगा (नियम 11 की मद सं० के सम्बन्ध में)	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
मुख्यालय लघु उद्योग विकास आयुक्त, नई दिल्ली/राज्य लघु उद्योग सेवा संस्थान/शाखा संस्थानों/क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों/राज्यों के उत्पादन केन्द्रों/पिछड़ा क्षेत्र तथा ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम निदेशालय में ऐसे वेतनमान वाले सभी पद जिनका अधिकतम पुनरीक्षण से पूर्व वाले वेतनमान में 425 रुपये या पुनरीक्षित वेतनमान में 700 रुपये प्रतिमास या अधिक हैं ।	विकास आयुक्त	विकास आयुक्त	सभी	सचिव, उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)
		मुख्यालय कर्मचारिवृन्द की बाबत संयुक्त आयुक्त/अपने-अपने राज्य/शाखा संस्थानों के निदेशक/केरल राज्य में उत्पादन केन्द्र निदेशक/क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों का अपना-अपना निदेशक/निदेशक, पिछड़ा क्षेत्र तथा ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम/भारसाधक उप-निदेशक, शाखा, लघु उद्योग सेवा संस्थान, गोवा ।	(1) से (4)	विकास आयुक्त

1	2	3	4	5
मुख्यालय में अन्य सभी पद	संयुक्त विकास आयुक्त	संयुक्त विकास आयुक्त	सभी	विकास आयुक्त
लघु उद्योग सेवा संस्थानों/शाखा संस्थानों/क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों/पिछड़ा क्षेत्र तथा ग्रामीण उद्योग निदेशालय के अधीन अन्य सभी पद	अपने-अपने राज्य/शाखा संस्थानों में निदेशक/क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों का निदेशक/निदेशक, पिछड़ा क्षेत्र तथा ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम	अपने राज्य/शाखा संस्थानों में निदेशक/क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों का निदेशक/निदेशक, पिछड़ा क्षेत्र तथा ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम	सभी	विकास आयुक्त
केरल राज्य के उत्पादन केन्द्रों के अन्य सभी पद	निदेशक, उत्पादन केन्द्र	निदेशक, उत्पादन केन्द्र	सभी	विकास आयुक्त
शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, गोवा के अन्य सभी पद	भारसाधक उप-निदेशक, शाखा, लघु उद्योग सेवा संस्थान, गोवा	भारसाधक उप-निदेशक, शाखा, लघु उद्योग सेवा संस्थान, गोवा	सभी	विकास आयुक्त

अनुसूची

भाग 3 — साधारण केन्द्रीय सेवा — वर्ग 4

1	2	3	4	5
मुख्यालय में सभी पद	उप-निदेशक (प्रशासन)	उप-निदेशक (प्रशासन)	सभी	संयुक्त विकास आयुक्त
राज्य संस्थानों/शाखा संस्थानों/क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों/पिछड़ा क्षेत्र तथा ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम अनुभाग में सभी पद	अपने-अपने राज्य/शाखा संस्थानों के निदेशक/निदेशक, क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र/निदेशक, पिछड़ा क्षेत्र तथा ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम	अपने-अपने राज्य/शाखा संस्थानों के निदेशक/निदेशक, क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र/निदेशक, पिछड़ा क्षेत्र तथा ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम	सभी	विकास आयुक्त
केरल राज्य के उत्पादन केन्द्रों में सभी पद	निदेशक, उत्पादन केन्द्र	निदेशक उत्पादन केन्द्र	सभी	विकास आयुक्त
शाखा, लघु उद्योग सेवा संस्थान, गोवा में सभी पद	भारसाधक उप-निदेशक, शाखा, लघु उद्योग सेवा संस्थान, गोवा	भार साधक उप-निदेशक, शाखा, लघु उद्योग सेवा संस्थान, गोवा	सभी	विकास आयुक्त

[फा० सं० 4/1/74-विज०]

एच० एच० तयबजी, उप-सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 28th August, 1975

S.O. 900.—In exercise of the powers conferred by sub rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Central and Appeal) Rules, 1965 and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Consumer Industries No. S.R.O. 631 dated the 28th February, 1957, in so far as it relates to the Small Industry Development Organisation in the Department of Industrial Development, the President hereby directs that—

(1) in respect of posts in the General Central Service, Class II specified in column 1 of part I of the Schedule to this Order, the authority specified in column 2 shall be the appointing authority and the authority specified in column 3 shall be the disciplinary authority in regard to the penalties specified in column 4 thereof ;

(2) in respect of posts in the General Central Service, Class III and the General Central Service, Class IV, specified in column 1 of Parts II and III of the said Schedule, the authorities specified in column 2 shall be the appointing authority and the authorities specified in columns 3 and 5 shall be the disciplinary authority and the appellate authority respectively in regard to the penalties specified in column 4 therof.

SCHEDULE

PART I—GENERAL CENTRAL SERVICE CLASS II

Description of the post	Appointing authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item number in rule 11)	
		Authority	Penalties
1	2	3	4
SMALL INDUSTRY DEVELOPMENT ORGANISATION			
All posts carrying a pay scale maximum of which exceeds Rs. 575/- in the pre-revised scale or Rs. 900/-in the revised scale	Development Commissioner	Development Commissioner	All
All other posts	Development Commissioner	Development Commissioner Joint Development Commissioner for Officers working in the office of Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi/Directors in the respective State/Branch Institutes / Director of Production Centres in respect of offices and Extension/Production Centres under his administrative control in the State of Kerala/Deputy Director-in-charge, Branch , Small Industries Service Institute, Goa/Director Regional Training Centres/Director of Backward Areas and Rural Industries Programme	All (i) to (iv)

SCHEDULE

PART II—GENERAL CENTRAL SERVICE, CLASS III

Description of the post	Appointing authority	Authority competent to impose penalties	Penalties which it may impose (with reference to item numbers rule 11).	Appellate authority
1	2	3	4	5
All posts carrying a maximum Pay of Rs. 425 per month or more in the pre-revised scale or Rs. 700 or more in the revised scale in the Headquarters office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi/ State Small Industries Service Institutes/Branch Institutes/ Regional Testing/Centres/Extension Centres/Production Centres in the States/Directorate of Backward Areas and Rural Industries Programme.	Development Commissioner	Development Commissioner	All	Secretary, Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development).
		Joint Development Commissioner for headquarters staff/Directors in the respective State Branch Institutes/Director of Production Centres in the State of Kerala/Director of the respective Regional Testing Centres/Director of Backward Areas and Rural Industries Programme/Deputy Director-in-Charge, Branch Small Industries Service Institute, Goa.	(i) to (iv)	Development Commissioner
All other posts in the Headquarters office	Joint Development Commissioner	Joint Development Commissioner	All	Development Commissioner
All other posts under Small Industries Service Institutes/ Branch Institutes / Regional Testing Centres/Directorate of Backward Areas and Rural Industries	Directors in the respective State/Branch Institutes/ Director of Regional Testing Centres/Director of Backward Areas and Rural Industries Programme	Director in the respective State/ Branch Institutes/Director of Regional Testing Centres / Director of Backward Areas and Rural Industries Programme	All	Development Commissioner
All other posts in Production Centres in Kerala State	Director of Production Centres	Director of Production Centres	All	Development Commissioner
All other posts in the Branch, Small Industries Service Institute, Goa.	Deputy Director Incharge Branch Small Industries Service Institute, Goa.	Deputy Director Incharge, Branch, Small Industries Service Institute, Goa.	All	Development Commissioner

SCHEDULE

PART III—GENERAL CENTRAL SERVICE—CLASS IV

1	2	3	4	5
All posts in the Headquarters Office.	Deputy Director (Administration)	Deputy Director (Administration)	All	Joint Development Commissioner
All posts under the State Institutes/Branch Institutes/Regional Testing Centres/Backward Areas and Rural Industries Programme Section	Directors in the respective State/Branch Institutes/Director of Regional Testing Centres/Director of Backward Areas and Rural Industries Programme	Directors in the respective State/Branch Institutes/Director of Regional Testing Centres/Director of Backward Areas and Rural Industries Programme	All	Development Commissioner
All posts in Production Centres in Kerala State	Director of Production Centres	Director of Production Centres	All	Development Commissioner
All posts in the Branch, Small Industries Service Institute, Goa.	Deputy Director Incharge, Branch, Small Industries Service Institute, Goa.	Deputy Director Incharge Branch, Small Industries Service Institute, Goa.	All	Development Commissioner

[File No. 4/1/74-Vig.]

H.H. TYABJI, Dy. Secy.

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1976

का०आ० 901.—केन्द्रीय सरकार विकास परिषद (प्रक्रिया सम्बन्धी) नियम, 1952 के नियम 2(ग), 5 और 8 के साथ पठित, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निम्नलिखित व्यक्तियों को 26 जून, 1976 तक के लिये ऊन से बने टैक्सटाइल, जिसमें ऊनी धागा, होजरी, कालीन और मोटे ऊनी वस्त्र भी सम्मिलित हैं, के विनिर्माण और उत्पादन में लगे हुये अनुसूचित उद्योगों के लिये विकास परिषद के सदस्य नियुक्त करती है और आगे निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट संशोधन भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 1688/आई० डी० आर० ए०6/6/74, तारीख 27 जून, 1974 में किये जायेंगे, अर्थात्:–

(1) श्री श्री कृष्ण मोदी,
संसद सदस्य (लोक सभा),
60, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली।

(2) श्री सैयद निजामुद्दीन,
संसद सदस्य (राज्य सभा),
3 वैस्टर्न कोर्ट,
नई दिल्ली।

(3) निरीक्षण निदेशक,
(साधारण भण्डार)
डी० आई० जी० मुख्यालय,
रक्षा मंत्रालय,
नई दिल्ली।

(4) श्री सी० वी० राव, निदेशक,
औद्योगिक विकास विभाग,
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय,
नई दिल्ली।

(5) अध्यक्ष
होजरी एक्सपोर्टर्स असोसिऐशन,
डा० हीरासिंह रोड,
सिविल लाइन्स,
लुधियाना।

(6) अखिल भारतीय कानील विनिर्माता संगम,
भावोही जिला वाराणसी।

(7) श्री जी० एस० भार्गव,
संयुक्त आयुक्त (टैक्सटाइल),
टैक्सटाइल आयुक्त का कार्यालय,
पोस्ट बैग सं० 11500,
मुम्बई-400020

2. श्री जी० एस० भार्गव, संयुक्त आयुक्त (टैक्सटाइल) उपरोक्त विकास परिषद् के सचिव के कृत्यों का पालन करेंगे।

अनुसूची

भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० तारीख 27 जून, 1974 में,—

(i) मद 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

"8. निरीक्षक निदेशक,
(साधारण भण्डार),
डी० आई जी० मुख्यालय,
रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

(ii) मद 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

"15. श्री श्रीकृष्ण मोदी,
संसद सदस्य (लोक सभा)
60-साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली सदस्य"

(iii) मद 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"16. श्री सैयद निजामुद्दीन,
संसद सदस्य (राज्य सभा)
3. वैस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली–सदस्य"

(iv) मद 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

"18. श्री सी० वी० राव, निदेशक,
औद्योगिक विकास विभाग,
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय,
नई दिल्ली–सदस्य"

(v) मद 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

"25. अध्यक्ष,
होजरी एक्सपोर्टर्स असोसिएशन,
डा० हीरासिंह रोड, सिविल लाइन्स,
लुधियाना—सदस्य"

"26. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय कालीन विनिर्माता संगम,
भोदोही, जिला वाराणसी—सदस्य"

"27. श्री जी० एस० भार्गव,
संयुक्त आयुक्त (टैक्सटाइल),
टैक्सटाइल आयुक्त का कार्यालय,
पोस्ट बैग सं० 1500,
मुम्बई-400020—सदस्य

(वह परिषद के सचिव के कृत्यों का पालन करेंगे)"।

[सं०आ०डी०आर०ए०-6/1/76–फा०सं० 8(1)/69-टैक्स(ई०)टैक्स-(वा०)]
प्रेम नारायण, अवर सचिव,

New Delhi, the 20th February. 1976

S.O 901.—IDRA/6/1/76. In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951(65 of 1951), read with rules 2(c), 5 and 8 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints, till the 26th June, 1976, the following persons to be members of the Development Council for the scheduled industries engaged in the manufacture and production of textiles made of wool, including woollen yarn, hosiery, carpets and druggets and further directs that the amendments specified in the Schedule annexed hereto shall be made in the order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 1688/IDRA/6/6/74, dated the 27th June, 1974, namely:—

(i) Shri Shri Kishan Modi,
Member of Parliament (Lok Sabha),
60, South Avenue,
New Delhi.

(ii) Shri Syed Nizam-ud-Din,
Member of Parliament (Rajya Sabha),
3, Western Court,
New Delhi.

(iii) Director of Inspection,
(General Stores),
D.G.I. Headquarters,
Ministry of Defence,
New Delhi.

(iv) Shri C.B. Rau,
Director,
Department of Industrial Development,
Ministry of Industry & Civil Supplies,
New Delhi.

(v) President,
Hosiery Exporters Association,
Dr. Hira Singh Road,
Civil Lines,
Ludhiana.

(vi) President,
All India Carpet Manufacturers Association,
Bhadohi, District-Varanasi.

(vii) Shri G.S. Bhargava,
Joint Textile Commissioner,
Office of Textile Commissioner
Post Bag No. 1500,
Bombay-4000250.

2. Shri G.S. Bhargava, Joint Textile Commissioner, shall carry on the functions of Secretary to the above said Development Council.

SCHEDULE

In the order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 1688/IDRA/6/6/74, dated the 27th June, 1974,—

(i) for item 8 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—
"8. Director of Inspection,
(General Stores),
D.G.I. Headquarters,
Ministry of Defence,
New Delhi. Member"

(ii) for item 15 and the entries thereto, the following shall be substituted, namely:—
"15. Shri Shri Kishan Modi,
Member of Parliament,
(Lok Sabha)
60, South Avenue, Member"
New Delhi.

(iii) for item 16 and the entries thereto, the following shall be substituted, namely:—
"16. Shri Syed Nizam-ud-Din,
Member of Parliament
(Rajya Sabha)
3, Western Court, Member"
New Delhi.

(iv) for item 18 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—
"18. Shri C.B. Rau,
Director,
Department of Industrial Development,
Ministry of Industry and Civil
Supplies, Member"
New Delhi.

(v) for item 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—
"25. President,
Hosiery Exporters Association,
Dr. Hira Singh Road,
Civil Lines,
Ludhiana. Member"

"26. President,
All India Carpet Manufacturers
Association,
Bhadohi, District-Varanasi. Member"

"27. Shri G.S. Bhargava,
Joint Textile Commissioner,
Office of the Textile Commissioner,
Post Bag No. 11500,
Bombay-400020. Member
(He shall carry on the functions of secretary to the Council)"

[N. IDRA/6/1/76—F. No. 8(1)/69-Tex(E)/Tex.VI(Vol. I)]
PREM NARAIN, Under secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1976

का० आ० 902.—केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (इलाहाबाद) नियमावली, 1969 के नियम 1 की धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त नियमावली को इलाहाबाद के निम्नलिखित क्षेत्रों में भी पहली जनवरी, 1976 से लागू करती है, अर्थात् :—

कसारी मसारी, मावरीपुर, अकबरपुर, मनोहरपुर, कुंडापुर, भक्लना, भेला का पूर्वा, रमग का पुर्वा, खड़िया, तार बाग कदम, रसूलपुर, चूमन

गंज, जैन्तीपुर, हरवाड़ा मेथा हरवाड़ा तक जी०टी० रोड के उत्तर और दक्षिण में स्थित अन्य इलाके ।

[संख्या एस० 11012/5/75-के०स०स्वा०यो०]
प्रेम नाथ साधु, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING
(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 1st January, 1976

S.O. 902.—In pursuance of clause (3) of rule 1 of the Central Government Health Scheme (Allahabad) Rules, 1969, the Central Government hereby extends the said rules to the following areas in Allahabad with effect from the first January, 1976, namely :—

Kasari Masari, Madripur, Akbarpur, Manoharpur, Kundhaipur, Bhaktana, Bhola Ka Purwa, Raman Ka Purwa, Kharia, Tar Bagh Quadam, Rasulpur, Dhuman Gang, Jaintipur, Harwara and other localities on the North and South of G.T. Road upto Harwara.

[No. S. 11012/5/75-CGHS]

P. N. SADHOO, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1976

का०आ० 903.—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में और संशोधन करने के लिये नियमों का प्रारूप, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और 33 की अपेक्षानुसार, [भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं० एक्स 11013/2/75-डी० एण्ड एम०एस०, तारीख 6 अगस्त, 1975 के अधीन] भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) के पृष्ठ 2342-43 पर सं० सा०का०नि० 2275, तारीख 23 अगस्त, 1975 के रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिन के उस से प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे ;

और उक्त राजपत्र 25 अगस्त, 1975 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और उक्त प्रारूप की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (तृतीय संशोधन) नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 34 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) प्ररूप 12 में प्रत्येक आवेदन के साथ पन्द्रह रुपये फीस होगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 43-क में,—

"मद्रास, कलकत्ता, मुम्बई और कोचीन :
समुद्रमार्ग द्वारा भारत में आयोजित औषधियों की बाबत"
शब्दों के स्थान पर,

"मद्रास, कलकत्ता, मुम्बई, कोचीन और विशाखापट्टनम :
समुद्रमार्ग द्वारा भारत में आयोजित औषधियों की बाबत" शब्द रखे जायेंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 65 के खंड (17) के परन्तुक में, अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

"और ऐसी सभी औषधियां पैकेजों या गत्ते के डिब्बों में रखी जायेंगी जिनके भीर्ष भाग पर "विक्रय के लिये नहीं" शब्द सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित होंगे ।"

5. उक्त नियमों के नियम 90 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार यथा पुनःसंख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"(2) प्ररूप 29 में प्रत्येक आवेदन के साथ पन्द्रह रुपये फीस होगी ।"

6. उक्त नियमों की अनुसूची क में,—

(1) प्ररूप 12 में, आरम्भिक पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"पन्द्रह रुपये फीस संलग्न खजाना रसीद के अनुसार, लेखा शीर्ष "080"—चिकित्सीय—प्रकीर्ण—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अधीन फीस—केन्द्रीय' के अधीन सरकार के नाम जमा करा दी गई है ;"

(2) प्ररूप 25-ग में, शर्त संख्या 2 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

"3. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के अधीन क्रियाशील फर्म के गठन में कोई परिवर्तन होने की दशा में, अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित रूप में उसकी सूचना देगा । जहां फर्म के गठन में कोई परिवर्तन होता है, वहां चालू अनुज्ञप्ति उस तारीख से, जिसको वह परिवर्तन होता है, तीन मास की अधिकतम अवधि के लिये विधिमान्य समझी जायेगी, जब तक कि इसी बीच परिवर्तन गठन वाली फर्म के नाम में अनुज्ञापन प्राधिकारी से नई अनुज्ञप्ति न ले ली गई हो।"

(3) प्ररूप 32 में, शर्त 3 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

"4. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के अधीन क्रियाशील फर्म के गठन में कोई परिवर्तन होने की दशा में, अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित रूप में उसकी सूचना देगा । जहां फर्म के गठन में कोई परिवर्तन होता है, वहां चालू अनुज्ञप्ति उस तारीख से, जिसको वह परिवर्तन होता है, तीन मास की अधिकतम अवधि के लिये विधिमान्य समझी जायेगी, जब तक कि उसी बीच परिवर्तन गठन वाली फर्म के नाम में अनुज्ञापन प्राधिकारी से नई अनुज्ञप्ति न ले ली गई हो।"

[फ० सं० एक्स० 11013/2/75-डी०एण्ड एम०एस०]
रमेश बहादुर, अवर सचिव

New Delhi, the 10th February, 1976

S.O. 903.—Whereas the draft rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 were published, as required by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), at pages 2342-43 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) as No. G.S.R. 2275, dated the 23rd August, 1975 (under the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) No. X. 11013/2/75-

D&MS, dated the 6th August, 1975) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of 90 days from the date of publication of the said notification;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 25th August, 1975;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely :—

1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Third Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 34, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3) Every application in Form 12 shall be accompanied by a fee of rupees fifteen."

3. In rule 43-A of the said rules, for the words,

"Madras, Calcutta, Bombay, Cochin and Visakhapatnam; in respect of drugs imported by sea into India."

shall be substituted.

4. In the provision to clause (17) of rule 65 of the said rules, after the words 'from the trade stocks', the following words shall be inserted, namely :—

"and all such drugs shall be kept in packages or cartons, the top of which shall display prominently, the words "Not for sale"."

5. Rule 90 of the said rules shall be renumbered as sub-rule (1) thereof, and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2) Every application in Form 29 shall be accompanied by a fee of rupees fifteen."

6. In Schedule A to the said rules,

(i) in Form 12, after the opening paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"A fee of rupees fifteen has been credited to Government under the head of Account '080'-Medical-Miscellaneous-fee under the Drugs and Cosmetics Rules, 1945—Central vide treasury receipt attached.";

(ii) in Form 25-C, after condition No. 2, the following condition shall be inserted, namely :—

"3. The licensee shall inform the Licensing Authority in writing in the event of any change in the constitution of the firm operating under the licence. Where any change in the constitution of the firm takes place, the current licence shall be deemed to be valid for a maximum period of three months from the date on which the change takes place unless, in the meantime, a fresh licence has been taken from the Licensing Authority in the name of the firm with the changed constitution.";

(iii) in Form 32, after condition No. 3, the following condition shall be inserted, namely :—

"4. The licensee shall inform the Licensing Authority in writing in the event of any change in the constitution of the firm operating under the licence. Where any change in the constitution of the firm takes place, the current licence shall be deemed to be valid for a maximum period of three months from the date on which the change takes place unless, in the meantime, a fresh licence has been taken from the Licensing Authority in the name of the firm with the changed constitution.".

[No. X. 11013/2/75-D&MS]
RAMESH BAHADUR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1976

का०आ० 904.—यतः भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की 14 मई, 1975 की अधिसूचना सं० बी० 11016/14/75-एम०पी०टी० द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिये ढाका विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त एम० बी०एस० (ढाका) की चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी ।

और यतः डा० (श्रीमती) नसीरुद्दीन नसीम जिसके पास उक्त अर्हता है धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिये फिलहाल मुस्लिम शैक्षणिक सोसाइटी (रजि०) कालीकट 367-004 के साथ सम्बद्ध है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा —

(1) इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्ष अवधि के लिये

अथवा

(2) उस अवधि को जब तक डा० नसीरुद्दीन नसीम, मुस्लिम शैक्षणिक सोसाइटी (रजि०) कालीकट-673004 के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो यह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा० मैडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे।

[सं० बी० 11016/24/75-एम०पी०टी०]
विवेक कुमार अग्निहोत्री, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th February, 1976

S.O. 904.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) No. V. 11016/14/75-MPT, dated the 14th May, 1975, the Central Government has directed that the Medical qualification "M.B.B.S. (Dacca)" granted by the University of Dacca shall be recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. (Mrs.) Nasiruddin Naseem who possesses the said qualification is for the time being attached to the Muslim Educational Society (Regd.), Calicut-673004, for the purposes of charitable work;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a period of two years from the date of publication of this order in the Official Gazette, or

(ii) the period during which Dr. Nasiruddin Naseem is attached to the said Muslim Educational Society (Regd.), Calicut-673004,

whichver is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/24/75-MPT]
V. K. AGNIHOTRI, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 12 फरवरी 1976

का० आ० 905.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमियों में से, कोयला अभिप्राप्त किए जाने की सम्भावना है;

अतः, अब कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उनमें कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) के कार्यालय, दरभंगा हाउस, रांची में, या उपायुक्त हजारी बाग, (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 कौंसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी मानचित्र, चार्ट और अन्य दस्तावेजों, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राजस्व अधिकारी सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड दरभंगा हाउस, रांची को परिदत्त कर देंगे।

अनुसूची

केन्द्रीय सौंडा विस्तारण दक्षिणी करनपुरा,
कोयला क्षेत्र

डी० आर० जी० राजस्व
142/75 ता० 8-10-75
(जिसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमियां दर्शित हैं)

क्रम संख्या	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पण	कुल क्षेत्र
1.	सौंडा	रामगढ़	24	हजारी बाग	9.00	भाग	

कुल क्षेत्र :—9.00 एकड़ (लगभग)
या 3.64 हैक्टेयर्स (लगभग)

सीमा वर्णन:—

क ख लाइन सेल और सौंडा ग्रामों की सामान्य सीमा से होकर जाता है।

ख ग लाइन सौंडा ग्राम से होकर जाती है जो केन्द्रीय सौंडा कोलियरी की भागत: सामान्य सीमा भी है।

ग घ लाइन सौंडा ग्राम से होकर जाती है जो एन० सी० डी० सी० सौंडा कोलियरी की भागत: सामान्य सीमा भी है और आरम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[सं० 19(45)/75-सी० ई० एल०]
एस० ए० आर० रिजवी, उप-सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 12th February, 1976

S. O. 905.—Wheares, it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi, or at the office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar), or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi, within 90 days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

Central Saunda Extn. South Karanpura Coalfields

DRG No. Rev/42/75
Dated 8-10-1975
(Showing land notified for prospecting)

Sl. No.	Village	Thna	Tahana No.	District	Area	Remarks
1.	Saunda	Ramgarh	24	Hazaribagh	9.00	Part

Total area:— 9.00 acres (Approx.)
or 3.64 Hectares Approx.

Boundary Description

A-B Line passes along the part common boundary of villages Sael and Saunda.

B-C Line passes through village saunda which is also forming the part common boundary of Central Saunda Colliery.

C-A Line passes through village Saunda which is also forming the part common boundary of NCDC's Saunda Colliery & meet at starting point 'A'.

[No. 19(45)/75-CEL]
S. R. A. RIZVI, Under secy,

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1976

का०आ० 906.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2), नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (ख) और नियम 24 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ० 635, तारीख 12-1-1971 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, 'भाग-2—साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4', में "अनाज भंडारकरण अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, हापुड़" शीर्षक के नीचे स्तम्भ 1 से 5 तक में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
अनाज भंडारकरण अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, हापुड़ का कार्यालय	"सभी पद	प्रशासन अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	सभी निदेशक"

[सं० सी० 11012/3/74-ए०बी०यू०]
जे० आर० जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

New Delhi, the 31st January, 1976

S.O. 905.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food), No. S. O. 635, dated 12-1-1971, namely:—

2. In the Schedule to the said notification, in "Part II—General Central Service, Class IV", under the heading "Grain Storage Research and Training Centre, Hapur", in columns 1 to 5, for the existing entries, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

1	2	3	4	5
Office of the Grain Storage Research and Training, Centre Hapur.				
"All Posts.	Administrative Officer	Administrative Officer	All	Director"

[No. C 11012/3/74-AVU]
J. R. JAIN, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1976

का० आ० 907.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली डवैल्पमेंट एक्ट, 1957 की धारा 11 ए० (3) के अन्तर्गत जोन ए०-20 (न्यू दरियागंज) के स्वीकृत जोनल डवैल्पमेंट प्लान में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, जिसे एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस संशोधन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति/सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति/सुझाव इस शापन के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें, वे अपना नाम तथा पूरा पता भी लिखें।

संशोधन

"लगभग 303.5 वर्ग मीटर (363 वर्ग गज) का भूखंड संख्या 62, ब्लाक 'एल०' दयानन्द रोड, दरिया गंज जो जोन ए 20 (न्यू दरिया गंज) में पड़ता है, इसके भूमि उपयोग को अब 'आवासीय' से 'व्यावसायिक' (लोकल शापिंग) में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। यह भूखंड उत्तर में दयानन्द रोड, दक्षिण में आवासीय क्षेत्र, पूर्व में भूखंड संख्या 62 ए० तथा पश्चिम में लेख राम रोड द्वारा घिरा हुआ है।"

शनिवार को छोड़कर समस्त कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली में उक्त अवधि में आकर प्रस्तावित संशोधन के मानचित्र का निरीक्षण किया जा सकता है।

[सं० एफ० 16(22)/75-एम० पी०]
हृदय नाथ पोलेवार, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Public Notice

New Delhi, the 28th February, 1976

S.O. 907.—*The following modification, which the Central Government proposes to make to the approved zonal development plan for zone A-20 (New Daryaganj) under section 11-A(3) of the Delhi Development Act, 1957, is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address:*

MODIFICATION

"Land use of plot No. 62, Block 'L' Dayanand Road, Daryaganj, measuring about 303.5 sq. mts. (363 sq. yds. falling in zone A-20 New Daryaganj), is proposed to be changed from 'residential' to 'commercial' (local Shopping) The plot is surrounded by Dayanand Road in the north, residential area in the south, plot No. 62-A in the east and Lekh Ram Road in the west."

The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[F. 16(22)/75-M.P]
H. N. FOTEDAR, Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1976

का० आ० 908.—यत : कतिपय उपान्तरण, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, इसके उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों के सम्बन्ध में दिल्ली की बृहत योजना में करने की प्रस्थापना करती है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसरण में, सूचना संख्या एफ 3 (156)/71-एम०पी० दिनांक 26 जुलाई, 1975 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित, प्रकाशित किये गये थे जिसमें उक्त सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में आक्षेपों तथा सुझावों पर विचार करने के पश्चात् दिल्ली की बृहत योजना में उपान्तरण करने का निर्णय किया है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11(क) की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली की बृहत योजना में भारत के राजपत्र इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित उपान्तरण करती है अर्थात्:—

(1) लगभग 2.4 हैक्टेयर (6 एकड़) के आकार का क्षेत्र जो उत्तर पश्चिम में 61 मीटर (200 फुट चौड़े) सरदार पटेल मार्ग, दक्षिण-पश्चिम में डिस्ट्रिक्ट पार्क और दक्षिण-पूर्व तथा उत्तर पूर्व में रिहायशी भूमि से घिरा हुआ है और जो बृहत योजना में "रिहायशी" प्रयोजन के लिये निश्चित है, को "वाणिज्यिक (होटलज) में बदला जाता है जिस का विकास अधिकतम 150 फर्शी क्षेत्रफल अनुपात किया जाना है।

(2) लगभग 2.4 हैक्टेयर (6 एकड़) के आकार का क्षेत्र जो उत्तर पश्चिम में 61 मीटर (200 फुट चौड़े) सरदार पटेल मार्ग, दक्षिण पश्चिम में रेल की पटरियों और दक्षिण पूर्व तथा उत्तर पूर्व में रिहायशी भूमि से घिरा हुआ है और जो बृहत

योजना में "रिहायशी" प्रयोजन के लिये निश्चित है, को "वाणिज्यिक" (होटल्ज़) में बदला जाता है जिसका विकास अधिकतम 150 फर्शी क्षेत्रफल अनुपात में किया जाना है ।

अनुसूची

(क) लगभग 2.4 हैक्टेयर (6 एकड़) के आकार का क्षेत्र जो उत्तर-पश्चिम में 61 मीटर (200 फुट चौड़े) सरदार पटेल मार्ग, दक्षिण-पश्चिम में डिस्ट्रिक्ट पार्क और दक्षिण-पूर्व तथा उत्तर पूर्व में रिहायशी भूमि से घिरा हुआ है ।

(ख) लगभग 2.4 हैक्टेयर (6 एकड़) के आकार का क्षेत्र जो उत्तर पश्चिम में 61 मीटर (200 फुट चौड़े सरदार पटेल मार्ग दक्षिण-पश्चिम में रेल की पटरियों और दक्षिण-पूर्व तथा उत्तर पूर्व में रिहायशी भूमि से घिरा हुआ है ।

[सं० का० 13012/1/70—यू०डी०-1]

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 4th February, 1976

S.O. 908.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the areas mentioned in the Schedule annexed hereto, were published with Notice No. F. 3/(156)/71-M.P. dated the 26th July, 1975 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) for inviting objections and suggestions within a period of thirty days from the date of the notice, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act;

And whereas the Central Government, after considering the objections and suggestions with regard to the areas mentioned in the aforesaid Schedule, have decided to modify the Master Plan for Delhi ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications to the Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India, namely :—

(1) An area measuring about 2.4 hect. (6 acres), bounded by 61 metres (200 ft. wide) Sardar Patel Marg in the North-west, District Park in the South-West and residential land in the South-East and North-East, and earmarked for "residential" in the Master Plan is changed to "Commercial" (Hotels) to be developed with a maximum F.A.R. of 150.

(2) An area measuring about 2.4 hects. (6 acres) bounded by 61 metres (200 ft. wide) Sardar Patel Marg in the North-West, railway tracks in the South-West and the residential land in the South-East and North-East and earmarked for "residential" in the Master Plan is changed to "Commercial" (Hotels) to be developed with a maximum F.A.R. of 150.

SCHEDULE

(a) An area measuring about 2.4 hects. (6 acres), bounded by 61 metres (200 ft. wide) Sardar Patel Marg in the North-West, District Park in the South-West and residential land in the South-East and North-East.

(b) An area measuring about 2.4 hects. (6 acres) bounded by 61 metres (200 ft. wide) Sardar Patel Marg in the North-West, railway tracks in the South-West and the residential land in the South-East and North-East.

[No. K. 13012/1/70-UDI]

का० आ० 909.—यतः कतिपय उपान्तरण जिन्हें केन्द्रीय सरकार, इसके उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों के संबंध में दिल्ली की बृहत् योजना में करने की प्रस्थापना करती है ; दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसरण में, सूचना संख्या एफ० 3(156)171 एम० पी० दिनांक 26 जुलाई 1975 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित प्रकाशित किये गये थे जिसमें उक्त सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप तथा सुझाव मांगे गये थे ;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र के सम्बन्ध में आक्षेपों तथा सुझावों पर विचार करने के पश्चात् दिल्ली की बृहत् योजना में उपान्तरण करने का निर्णय किया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली की बृहत् योजना में, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित उपान्तरण करती हैं, अर्थात्:—

41.68 हैक्टेयर (103 एकड़) में से लगभग 25.5 हैक्टेयर (63 एकड़) के आकार का क्षेत्र जो इंजीनियरिंग कालिज (इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टैकनौलौजी, महरौली रोड़) के दक्षिण में स्थित है तथा जो बृहत् योजना में विशेष संस्थानों के लिये निश्चित है, को सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक सुविधाओं (विशेष संस्थानों) में बदला जाता है ।

अनुसूची

41.68 हेक्टेयर (103 एकड़) में से लगभग 25.5 हेकटेयर (63 एकड़) के आकार का क्षेत्र जो इंजीनियरिंग कालिज (इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नौलौजी, महरोली रोड़) के दक्षिण में स्थित है।

[सं० 21023/6/66 यू०डी०-1]

S.O. 909.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi regarding the areas mentioned in the Schedule annexed hereto, were published with Notice No. F. 3/(156)/71-M.P. dated the 26th July 1975, in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) for inviting objections and suggestions within a period of thirty days from the date of the notice, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act;

And whereas the Central Government, after considering the objections and suggestions with regard to the area mentioned in the aforesaid Schedule, have decided to modify the Master Plan for Delhi;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications to the Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India, namely;

An area measuring about 25.5 hectares (63 acres) out of 41.68 hectares (103 acres) located in the south of Engineering College (Indian Institute of Technology, Mehrauli Road) and Earmarked for "Special institutions" in the Master Plan is changed to "public and semi-public facilities" (special institutions).

THE SCHEDULE

An area measuring about 25.5 hectares (63 acres) out of 41.68 hectares (103 acres) located in the south of Engineering College (Indian Institute of Technology, Mehrauli Road).

[No. 21023/6/66-UDI]

का० आ० 910.—यतः कतिपय उपान्तरण, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, इसके उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों के संबंध में दिल्ली की बृहत् योजना में करने की प्रस्थापना करती है, जिन्हें दिल्ली विकास अधिनियम 1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसरण में दिनांक 26 जुलाई, 1975 की सूचना संख्या एफ-3 (156/71-एम०पी० के साथ उक्त

अधिनियम की धारा 11 क की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित प्रकाशित किये गये थे जिसमें उक्त सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में आक्षेपों तथा सुझावों पर विचार करने के पश्चात् दिल्ली की बृहत योजना में उपान्तरण करने का निर्णय किया है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 (क) की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली की बृहत योजना में भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित उपान्तरण करती है अर्थात्:—

(1) लगभग 0.607 हेक्टेयर (1.5 एकड़) के आधार का क्षेत्र जो उत्तर पूर्व में 64.92 मीटर (213 फुट) चौड़े शंकर रोड़ तथा दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में डिस्ट्रिक्ट पार्क से घिरा हुआ है (जोन डी०-6) तथा बृहत योजना में मनोरंजनात्मक (डिस्ट्रिक्ट पार्क तथा खुले मैदान) के लिए निर्दिष्ट है को "सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक सुविधाओं (धार्मिक) में बदला जाता है

अनुसूची

लगभग 0.607 हैक्टेयर (1.5 एकड़) आकार का क्षेत्र जो उत्तर पूर्व में 64.92 मीटर (213 फुट) चौड़े शंकर रोड तथा दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में डिस्ट्रिक्ट पार्क में खुले मैदान से घिरा हुआ है (जोन-डी०6)

[सं० के०13011(10)/74 यू०डी०-1]
के० विस्वास, उप-सचिव

S.O. 910.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the areas mentioned in the Schedule annexed hereto, were published with Notice No. F. 3/(156)/71-MP dated the 26th July, 1975, in the manner specified in section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections and suggestions, as required by sub-section (3) of section 11A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

And whereas the Central Government, after considering the objections and suggestions with regard to the area mentioned in the aforesaid schedule, have decided to modify the Master Plan for Delhi;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications to the Master Plan for Delhi effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, namely :

An area measuring about 0.607 hectares (1.5 acres) bounded by 64.92 metres (213 feet) vide Shankar Road in the north-east and district parks and open spaces in the south-east, south-west and north-west (Zone D-6) earmarked for "Recreational (District Parks and open spaces)" in the Master Plan is changed to "public and semi-public facilities (Religions)".

SCHEDULE

An area measuring about 0.607 hectares (1.5 acres) bounded by 64.92 metres (213 feet) wide Shankar Road in the north-east, and district parks and open spaces in the south-east, south-west and north-west (Zone D-6).

[No. K. 13011/10/74-UDI]
K. BISWAS, Dy. Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1976

का० आ० 911.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम, 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने विविशा टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-3-76 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-5/76-पी०एच०बी०]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T Board)

New Delhi, the 16th February, 1976

S.O. 911.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-3-1976 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Arni Telephone Exchange, Tamil Nadu circle.

[No. 5-5/76-PHB.]

का० आ० 912.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार, नियम 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा(क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने अरनि टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-3-76 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-10/76 पी०एच०बी०]

S.O. 912.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-3-1976 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Arni Telephone Exechange Tamil Nadu circle.

[No. 5-10/76-PHB.]

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1976

का०आ० 913.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने कापडवंज टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-3-76 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-11/76 पी०एच०बी०]

New Delhi, the 17th February, 1976

S.O. 913.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs hereby specifies the 16-3-1976 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Kapadwang Telephone Exchange, Gujarat Circle.

[No. 5-11/76-PHB.]

का०आ० 914.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने मुड़ासा टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-3-76 से प्रमाणित दर लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-11/76 पी०एच०बी०]

S.O. 914.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-3-1976 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Modasa Telephone Exchange, Gujarat Circle.

[No. 5-11/76-PHB.]

का०आ० 915.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने ऊना टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-3-76 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-11/76 पी०एच०बी०]
पी०सी० गुप्ता, सहायक महानिदेशक

S.O. 915.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-3-1976 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Una Telephone Exchange, Gujarat Circle.

[No. 5-11/76-PHB.]

P. C. GUPTA, Asstt. Director General

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1975

का० आ० 916.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड की मैसर्स टाईपांग कोलियरी, मरघेरिटा ग्रुप कोयला खान, के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद का उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स कोयला खान प्राधिकरण लि० की टाईपांग कोलियारी मरघेरिटा ग्रुप कोयला खान, डाकघर-मरघेरिटा, जिला डिब्रूगढ़ असम के प्रबन्धतंत्र से सम्बन्धित नियोजकों की श्री धीरेन्द्र नाथ राय चौधरी, लिपिक को 8 मई, 1975 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल-19012/33/75-डी०ओ०-3(ख)]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 24th October, 1975

S.O. 916.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Tipong Colliery, Margherita Group Coal Mines of the Coal Mines Authority Limited and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the employers in relation to the management of Tipong Colliery, Margherita Group Coal Mines, of Messrs Coal Mines Authority Limited, Post Office Margherita, District Dibrugarh, Assam, in dismissing Sri Dhirendra Nath Roy Chowdhury, Clerk, from service with effect from the 8th May, 1975 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-19012/33/75-D.O. III (B)]

New Delhi, the 12th February, 1976

S.O. 917.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Shri Laxminarayan Quarry Works, Udwada and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th February, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, BOMBAY

PRESENT :

Shri B. Ramlal Kishen, LL.M., Bar-at-Law, Judge, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-14 of 1975

PARTIES :

Employers in relation to the management of Shri Laxminarayan Quarry Works Udwada, Dist. Bulsar.

AND

Their Workmen

APPEARANCE :

For the employers.—Shri Chemendra Shah, Managing Partner.

For the workmen.—No appearance.

STATE : Gujarat. INDUSTRY : Quarry.

Bombay, the 23rd January, 1976

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) by their order No. L-29011/27/73-LRIV dated 15-9-1973 in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the I.D. Act, 1947 referred to the Industrial Tribunal, Gujarat, Ahmedabad for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Shri Laxminarayan Quarry Works, Udwada and their workmen in respect of the subject matter specified in the following schedule :—

SCHEDULE

"Whether the following demands of the workmen of Shri Laxminarayan Quarry Works, Udwada, District Bulsar, are justified—

(i) Increase in the daily rates of wages for the workman engaged on stone breaking and stone crushing operations ; and

(ii) Paid holidays.

If so, to what reliefs are they entitled and from what date?"

Subsequently, the Government of India, Ministry of Labour by their order No. L-29025/16/74-LRIV dated 10-2-1975 transferred the reference with the direction that this Tribunal

shall proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

2. The parties had filed their written statement before the Industrial Tribunal, Gujarat, State, Ahemdabad. The workmen in their written statement submit that they are getting wages ranging from Rs. 2.50 to Rs. 3.00 per day at present and they demand an increase of Rs. 50 per month as the cost of living has gone up. It is submitted that there are 70 to 80 workers working in the quarry. The workmen state that workers employed in other industries in the region such as Public Motor Transport Undertaking, Cement Prestress Concrete Industries and Oil Industries are getting much more than what they get. It is the contention of the workmen that the financial position of the company is sound and the company is making huge profit every year as the products of the quarry are very much in demand. The workmen submit that the increase demanded by them will not be a burden on the company as the company has the paying capacity. It is further submitted that after fixation of minimum wages for the mine workers the cost of living has gone up, but their wages are static. In regard to the second demand the workmen submit that they should be given 7 paid National and Festival Holidays, which are given in other industries in the region as recommended by the Committee appointed by the Gujarat Govt. The workmen pray that this Tribunal be pleased to grant them increase in wages and paid National and Festival holidays.

3. The employers in their written statement state that the contention of the workmen that there are about 70 to 80 workers in the quarry at Udvada is wrong. It is submitted that the financial position of the company is not sound and the Quarry is running under loss from the beginning. The Employer submits that they pay to their quarry workers as per minimum wages fixed under the Act and they are paying equally if not more than the workers of the other Quarries in the district and thus the contention of the workmen that they are paying less than other quarries is far from truth. It is submitted that the comparison in wages among several other industries such as Public Motor Transport Undertaking, Cement Prestress Concrete Industries and Oil Industries pointed out by the workmen with their quarry, cannot be done as workers under Public Transport has to work from morning to evening say for about 12 hours whereas the Quarry is working for eight hours only and the comparison of Cement Processing Industries and Oil Industries also cannot be done as the nature of work is not alike. It is submitted that the contention of the workmen that the company is making huge profit every year is wrong and this can be seen from the several audited balance sheets. The Employers submit that they are running under loss and even not in a position to meet both ends and thus are not in a position to bear any more financial burden. Regarding paid holidays. Employers submit that they are striving for their own existence and if they are financially burdened any more, their existence will be in danger and perhaps they will be drowned and hence the demand of the workmen cannot be acceded to. It is further submitted that their books are audited by the Chartered Accountants every year and the result of last several years of their balance sheet and profit and loss A/c shows and the demand of the workmen requires to be rejected in toto.

4. After the transfer of this reference to this Tribunal notices were issued to the parties fixing the hearing of the reference at Baroda on 20-1-1976. On the date of hearing the representative of the Employer remained present, but the representative of the workmen remained absent in spite of notice received by them well in advance. No application for adjournment was also received. Therefore, the arguments of the representative of the Employers were heard.

5. The representative of the Employers reiterated the plea of financial incapacity taken in their written statement. It was for the workmen to establish that the demand for increase in their daily rates of wages and paid holidays are justified and the management has the paying capacity. The workmen have not appeared to substantiate their claim. As such there is no alternative but to dismise the reference for non-prosecution. The reference is therefore dismissed and award is made accordingly. I make no order as to costs.

B. RAMLAL KISHEN, Presiding Officer

[No. L-29011/27/73-LRIV/D III(B)]

New Delhi, the 16th February, 1976

S.O. 918.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No 3, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of National Cement Mines and Industries Limited, Ranchi and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th February, 1976.

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, AT DHANBAD

Reference No. 2 of 1974

PARTIES :

Employers in relation to the management of National Cement Mines and Industries Ltd., Ranchi.

Vs.

Their Workmen represented by the Ranchi District Bauxite & China Clay Mines Employees Union, P.O. Lohardaga, Ranchi.

APPEARANCES :

For Employers.—Shri Maheshwar Singh, Advocate.

For Workmen.—Shri M. Ram Verma, Joint Secretary.

INDUSTRY : Bauxite STATE : Bihar.

AWARD

Dhanbad, the 5th February, 1976

The Government of India in Labour Department vide it's order No. L-29011/60/73-LR IV dated 31st December, 1973 made the following reference under section 10 of Industrial Disputes Act for adjudication :

"Whether the action of the management of M/s. National Cement Mines and Industries Ltd., Ranchi in non providing employment for the workmen at their Garhpat Bauxite Mines, with effect from 1st September, 1973 was justified ? If not to what relief are workmen entitled ?"

2. The case of the employer is that Garhpat Mine was a small Mine and was not expected to last longer. Hardly 30 to 40 Labourers were engaged per day thus the average for the year came to 37 Labourers per day. The working was done through the Contractor Shri S. K. Mahendru and it was he who had engaged the Labour. The Mine working was stopped because Bauxite was fully exploited and only inferior quality of Laterite remained which had no Market. The same Contractor was working in the nearby Amptipani Mines, which is also owned by this firm, and the workmen or Garhpat Mines were transferred to that Mine but none of them reported for duty at Amptipani. The transfer was duly noticed on the notice board and at the gate of the Office. Besides the exhaustion of Bauxite there was yet another factor contributing towards stoppage of work. Hindustan Aluminium Corporation, which was the sole purchaser from the present firm, all of a sudden stopped purchasing Bauxite for it's own reasons from July-August, 1973. The Union never raised the dispute before the management and it came to know of the dispute only when it received the letter from R.L.C. The management made it clear to R.L.C. that it was justified in closing the Mines. There were no malafides. Before September 1973 this Union was never representative of the workmen and as such the union had no right to raise the dispute. After filing W.S. the management did not actively participate in this adjudication. Still it did not obliterate the allegations made by it and those points will have to be considered.

3. The case of the union is that about 200 workmen were employed in the mine. The alleged notice was never given or exhibited. Amptipani mines are about 100 Miles away from Garhpat Mines. Moreover they were also not being worked at the relevant time Working was not done through the alleged Contractor. M/s. National Cement Mines & Industries Ltd. were the employers. It was incorrect to say

that the mine had been fully exploited as infact the management has again started the working of the mine. The union was representative of the workmen as about 125 of them were its members. Dispute was raised before the management at first. The management avoided to attend conciliation proceedings. The action of the management is alleged to be mala fide. It amounted to illegal lockout and unfair labour practice. Workers continued to report for work at Garhpat Mines but their attendance after closure was not recorded. The union seeks grant of full attendence and full wages to the workmen from the date of closure to the date they are allowed to resume their duty.

4. Without deciding the other points I will take up the question whether this union had a right to raise the dispute and whether a reference based on the dispute raised by such union could be valid, because answere to this question goes to the root of the matter.

5. Both sides in their pleadings admitted that Garhpat Mine was a small Mine. Whether a small Mine could employ as many as 200 workmen as alleged by he union ? The smallness so admitted does not appear to be consistent or proportionate to the said number of 200 employees. It fits in more consistently with the figure of 30 to 40 workmen as alleged by the management. To say it otherwise a mine employing about 200 workmen per day could not be termed as a small unit.

6. It was at the instance of the Joint Secretary of the Union that the file No. PW(C)/1(29)/72-II of the Office of L.E.O.(C), Ranchi was called. The file contains three inspection reports dated 24-7-1972, 26-2-1973 and 11-5-1973. Thus in a spell of about one year the L.E.O. inspected Garhpat Mines on three different occasions with intervals of five to seven months. He found that on the respective dates 60, 57 & 54 workmen were employed in the Mine. Thus the number never exceeded 60 while the average tended to remain near about 55. The plea that 200 workmen were engaged every day thus appears to be grossly disproportionate and wholly unreliable. This average supports the management's version that 30 to 40 workmen were engaged. (The management's figure may be slightly suppressed one but not disproportionately suppressed). Thus from this independent evidence it is clear that hardly about 55 workmen were engaged every day in that mine.

7. The management filed statutory returns which are submitted annually under Regulation 5 of Mines Regulations 1961. According to them in the year 1972 and 1973. On an average 37 & 39 workmen respectively were employed per day at Garhpat Mines. There is nothing to show that these returns were grossly incorrect. May be that there was some slight attempt to bring down the figure.

8. If the total number of the workmen so engaged every day was about 55 as per inspection reports or about 39 as per returns have could there be 125 member workmen in either case ? The version of the union, and the records filed by it in this respect appear to be wholly fabricated and unreliable. There is no attestation etc. on the register for receipt books and they could be prepared any time. Shri Verma did not himself go to seek membership from the employees. As such he has no personal knowledge. Shri Shivlal, who issued the receipts has not been examined.

9. The return for 1973 indicates that total out put during the year was hardly 7847.63 Tonnes. There were 202 working days. Hence production was about 39 tonnes per day. If there were 200 workmen the average for each workman per day would come to less than .2 tonnes. The rate given in the return is Rs. 18 per tonne which means that a workmen produced ore worth Rs. 3.60 only. This would not be sufficient to meet even the basic Wages of the miner what to say of other expenses. None of the parties has stated that the Company was running in a loss. Thus the figure of 200 as given by the workmen and attempted to be proved appears to be wholly incorrect and grossly exaggerated.

10. The petitioners examined Ayab Ansari WW-1. He stated that he was the member of the union but he had no explanation when it was discovered that his name was not in the register of members nor in the receipt books. Even the evidence of his primary membership is wanting. How can such a patently false witness be believed on his word that he was a workman at Garhpat Mine or that about 200 workmen were engaged by the employers or that 125 persons working at Garhpat were the members of the union. When the next witness was called and I asked Shri Verma whether the other witness is also of the same type, WW-1 went out to him and on a leading question WW-2 started saying that though his regular name was different yet his nick name was Azam Ansari which name appears in the Register of members and in the subscription receipt book. This statement after such a hint carries no weight. Though the register Ext. W-1 and the receipts Ext. W-2 & W-3 show that there were only 121 members the oral evidence maintains the figure at 125. It is note-worthy that whereas all the 51 receipts in receipt book Ext. W-3 scrupulously mention the name of the Village where the workmen resides, all the 100 receipts in the other receipt book Ext. W-2 scrupulously omit to mention the name of the Village. In view of these gross discrepancies it is difficult to believe the union's allegations and evidence on this point. The receipt books and the register of members appear to be got up documents, otherwise how could there be 125 members when only 37 to 57 workmen were employed at the admittedly small mine. The union has not been able to prove that it had the right to represent the workmen of Garhpat Mine and to raise Industrial Dispute on their behalf. The reference made on the basis of the move made by such a union is thus not competent.

11. This union namely Ranchi District Bauxite and China Clay Mines Employees Union is a general union. The settlement arrived at between them and this management with respect to the workmen of Chawrapat and Chhatsarai Bauxite Mines can prove only this much and nothing more. It does not establish that this Union was representative of the workmen of Garhpat Mines also. It matters little even if there is a common owner of all the three Mines. Unless it is proved that some of the workmen of Garhpat Mines were it's members, and those members participated in the resolution to raise the dispute, it will not be deemed to be industrial dispute. In Nellai Cotton Mills Vs. Labour Court 1965 I.L.L.J. 95 (Madras) it was observed that it was not sufficient that a substantial number of the workmen from the establishment in which the concerned workmen were employed were also members of the union. It must further be shown that they participated in or acted together and arrived at an undertaking by a resolution or by other means and collectively supported the dispute. No such resolution was ever passed by this union. Shri M. Ram Verma WW-3 Joint Secretary simply stated that he took up the dispute on his own initiative. He does not say that it was in persuance of any resolution of the union nor there is evidence that the real employees of Garhpat Mines ever participated in such deliberations. In the aforesaid case it was further observed that the Tribunal acquires no jurisdiction to adjudicate upon the dispute unless it considers as to how many fellow workmen actually espoused the cause by participating in that particular resolution. In the absence of the resolution there should have been evidence as to how many fellow workmen espoused the cause. The other members of this general union cannot be said to be the persons substantially and directly interested in the dispute between the employer and the employees as was observed in Bombay Union of Journalists Vs. The Hindu 1961 IIL.L.J. 436 (443) S.C.

12. The mere fact that such general union is a registered union or is recognised by the same employer in respect of the employees of other independent units or that the same management negotiated with this union in the past and arrived at a settlement with respect to oher independent units, carry no weight for proving it's representative character with respect to this particular mine. In Deepak Industries Ltd. Vs. State of West Bengal 1975 Lab. I.C. 1153 the Division Bench of Calcutta High Court discussed the Supreme Court decisions and laid down that :—

> "When the dispute is espoused or sponsored by a union it seems to have been uniformly held that when the authority of the union is challenged by the employer it must be proved by production of material evidence before the Tribunal to which such a dispute has been referred, that the union has been duly authorised either by a resolution of it's members or otherwise that it has the authority to represent the workmen whose cause it is espousing. Mere fact that the said union is registered under the Indian Trade Union's Act is not conclusive proof of it's real existence or the authority to represent the workmen. Mere negotiations by

> some official of the union with the employers for conciliation or executing certain documents on behalf of the workmen prior to the reference are not conclusive to give the alleged dispute character of an industrial dispute within S. 2 (K). It is also not conclusive of the authority of the union to represent the workmen whose dispute it is alleged to be espousing before the Tribunal".

It was again said in the aforesaid Calcutta Case that in the absence of either a resolution or authorisation by the concerned workmen the union has no capacity or authority to represent the workmen. In para 7 it was clearly observed that the existence of Industrial Dispute is a condition precedent to the exercise of jurisdiction by the appropriate Government in making the reference.

13. The factual dispute may be of general character but any and everbody is not entitled to convert it into an industrial dispute. It could be so converted (i) U/S 2A by an individual concerned workmen, (ii) by the substantial number of concerned workmen U/S 2(k) or (iii) by the representative union acting under a resolution passed with the support of atleast some of the concerned workmen or under specific authorisation from the concerned workmen. Industrial dispute is a dispute between workmen and their employer and any person group or union not concerned with it cannot impose itself to so interfere in a factual dispute, for establishing it's foot hold on the workmen of that industry, as to convert it into an industrial dispute. If a factual dispute has not assumed the character of an industrial dispute in one of the aforesaid modes the reference will not be valid as a reference could be made only of an industrial dispute. In such a case it was observed by Madras High Court in State of Madras Vs. O. P. Sarathy (1952-53) F.J.R. 431 that:

> "Inspite of the fact that making of the reference by the Government under Industrial Disputes Act is the exercise of its administrative powers that is not destructive of the right of an aggrieved party to show that what was referred was not an industrial dispute at all and therefore the jurisdiction of Industrial Tribunal to make the award can be questioned even though the factual existence of the dispute may not be subject to a party's challenge."

These observations of Madras High Court were approved by the Supreme Court in News Papers Ltd. Vs. State Industrial Tribunal 3 S.C.L.J. 1963 (1973).

14. Considering all these cases, it can safely be held in the present case that the union has failed to prove it's representative character and the dispute raised by it without any resolution and without active participation of atleast some of the concerned workmen, or under specific authorisation by them, cannot be said as constituting an industrial dispute between the employer and the employee which is a sine-qua-non for the exercise of jurisdiction by the Govt. As such the reference is not valid and this Court has no jurisdiction to deal with it.

15. The reference is answered accordingly.

The award is submitted to the Central Government in the Ministry of Labour as required by Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

S. N. JOHRI, Presiding Officer
[No. L-29011/60/73-LR-IV/DIII(B)]
S. H. S. IYER, Section Officer (Spl.)

भादेश

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1975

का० आ० 919.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के राऊरकेला इस्पात संयन्त्र, डाकघर राऊरकेला के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी०एन० मिश्र होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा, और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के राऊरकेला इस्पात संयन्त्र डाकघर राऊरकेला के प्रबंधतंत्र की, काल्टा लौह अयस्क खानों में स्थित प्रर्वेक्षण (प्रोस्पेक्टिंग) एकक में नियोजित निम्नलिखित 54 कमकारों को क्षेत्रीय स्थापन भत्ते को मंजूर न करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?

क्रमांक	नाम	कर्मकारों की सूची
		वैयक्तिक संख्या
1.	श्रीमती मग्वाली मुंडा	81
2.	श्रीमती मुनिका मुंडा	75
3.	श्रीमती सोम्बारी मुंडा	88
4.	श्री तुरी मुंडा	40
5.	श्रीमती बनालन मुंडा	90
6.	श्रीमती मुनिका डांग	65
7.	श्री प्रकाश मुंडा	30
8.	श्रीमती बिरसी मुंडा	79
9.	श्रीमती मान्झी मुंडा	48
10.	श्रीमती बुधनी मुंडा	64
11.	श्री तिम्रु मुंडा	7
12.	श्रीमती फुलमणि मुंडा	62
13.	श्रीमती सनियासो मुंडा	86
14.	श्री एड्वाम मुंडा	23
15.	श्रीमती पालो मुंडा	71
16.	श्रीमती बुंधनी मुंडा	52
17.	श्रीमती बुंधनी मुंडा	76
18.	श्रीमती माक्ता बारजो	96
19.	श्री लुकाश भेंग्रा	2
20.	श्रीमती साल्मी मुंडा	388
21	श्रीमती नामशी मुंडा	95
22.	श्रीमती देओगी मुंडा	43
23.	श्रीमती साल्मी सुरेन	59
24.	श्री जेमा मुंडा	39
25.	श्रीमती साल्मी मुंडा	48
26.	श्रीमती लुदगी मुंडा	63
27.	श्रीमती सोम्बारी मंडा	85
28.	श्री ओसेफ मुंडा	11
29.	श्री सुलमान मुंडा	35
30.	श्री हरी लोहार	3
31.	श्रीमती सानी मुंडा	87
32.	श्री पौलुश भोरेया	26
33.	श्रीमती सुकरू मंडा	84
34.	श्री हरमोहन मुंडा	38
35.	श्रीमती मांझी मुंडा	60
36.	श्री मानस्थामासी मुंडा	246
37.	श्री सन्तोष होरो	318
38.	श्रीमती सुखमणी मुंडा	375

क्रमांक	नाम	कर्मकारों की सूची वैयक्तिक संख्या
39.	श्रीमती अतेन मंडा	50
40.	श्रीमती माल्ती नायक	72
41.	श्रीमती रजनी नायक	87
42.	श्रीमती हीरामणी मुंडा	92
43.	श्री गब्रियाल मंडा	41
44.	श्रीमती सिसिलिया मुंडा	78
45.	श्रीमती मुक्ता होरो	378
46.	रासिकान डांगौर	317
47.	श्रीमती मग्देली मुंडा	71
48.	श्रीमती फुलमणी नायक	42
49.	श्रीमती प्रबाती नायक	47
50.	श्रीमती जेना मुंडा	82
51.	श्री दाबो मुंडा	33
52.	श्रीमती सुकुरमानी मुंडा	66
53.	श्रीमती सुगी मुन्डारी	94
54.	श्रीमती सुरु मुंडा	44

[संख्या एल-26011/26/75-डी-4(बी)]

ORDER

New Delhi, the 28 October, 1975

S. O. 919.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employees in relation to the management of Rourkela Steel plant of Hindustan Steel Limited, Post Office Rourkela, and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjustication;

Now, therfore, in exercise of the power conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes, Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutets an Industrial Tribunal of which Shri B. N. Mishra shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bhubaneshwar and rofers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whereas the action of the management of Rourkerla Steel of Hindustan Steel Limited, Post Office Rourkela in not granting field establishment allowance to the following 54 workmen employed in their prospecting unit at Kalta Iron Ore Mines is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?

Sl. No. Name		List of Workmen Personal No.
1	2	3
1.	Smt. Magdali Munda	81
2.	Smt. Munika Munda	75
3.	Smt. Sombari Munda	88
4.	Sri Turi Munda	40
5.	Smt. Banalen Munda	90
6.	Smt. Munika Dang	65
7.	Sri Prakash Munda	30
8.	Smt. Birsi Munda	79
9.	Smt. Mangri Munda	48
10.	Smt. Bundhni Munda	64
11.	Sri Tipru Munda	7
12.	Smt. Phulmani Munda	62
13.	Smt. Saniasc Munda	86
14.	Sri Edwan Munda	23
15.	Smt. Pale Munda	70
16.	Smt. Budhni Munda	52
17.	Smt. Budhni Munda.	76
18.	Smt. Makta Barje	96
19.	Sri Lukash Bhengra	2
20.	Smt. Salmi Munda	388
21.	Smt. Namshi Munda	95
22.	Smt. Deogi Munda	43
23.	Smt. Salmi Suren	59
24.	Sri. Jena Munda	39
25.	Smt. Salmi Munda	48
26.	Smt. Ludgi Munda	63
27.	Smt. Sombari Munda	85
28.	Sri Joseof Munda	11
29.	Sri Suleman Munda	35
30.	Sri Hari Lohar	3
31.	Smt. Sani Munda	87
32.	Sri Paulush Oreya	26
33.	Smt. Sukru Munda	84
34.	Sri Harmohan Munda	38
35.	Smt. Mangri Munda.	60
36.	Sri Anandamasi Munda	246
37.	Sri Santosh Hore	318
38.	Smt. Sukhamani Munda	375
39.	Smt. Aten Munda	50
40.	Smt. Malti Naik	72
41.	Smt. Rajani Naik.	87
42.	Smt. Hiramani Munda	92
43.	Sri Gabrial Munda	41
44.	Smt. Sisilia Munda	78
45.	Smt. Mukta Hore	376
46.	Rasikan Danguar	317
47.	Smt. Magdeli Munda	71
48.	Smt. Phulmani Naik.	42
49.	Smt. Prabati Naik.	47
50.	Smt. Jema Munda	82
51.	Sri Dabo Munda	33
52.	Smt. Sukurmani Munda	66
53.	Smt. Sugal Mundari (Sugi Mundari)	94
54.	Smt. Suru Munda	44

[No. L. 26011/26/75/DIV(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1975

का० आ० 920.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स सिराजद्दीन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों क प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है

जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी०एन० मिश्र होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता के प्रबन्धतंत्र की श्री बिरांची खिल्लर गैंगमन, सिलजोरा-गरडा-बालदा-कालीमती और गुरदा ब्लाक मैंगनीज खान को 3-6-1975 से पदच्युक्त करने की कारवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-27012/2/75-डी-4(बी)]
भुपेन्द्र नाथ, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 24th December, 1975

S.O. 920.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Serajuddin and Company, Calcutta and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Indutrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri B. N. Misra, shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bhubaneshwar and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Serajuddin and Company, Calcutta in dismissing Shri Biranchi Khillar, Gangman of Siljora-Gurda-Balda-Kalimati and Gurdo Block Manganese Mines with effect from 3-6-1975 was justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-27012/2/75/DIV/B]
BHUPENDRA NATH, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1975

का० आ० 921.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मुम्बई पत्तन न्यास मुम्बई के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 1, बम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करती है।

अनुसूची

क्या मुम्बई पत्तन न्यास, मम्बई के प्रबंधतंत्र द्वारा श्री जी० जी० लैंडेज, टैलीक्लर्क, डॉक विभाग, पर अधिरोपित पदच्युति का दण्ड, सभी सुसंगत मामलों को ध्यान में रखते हुए, न्यायोचित है ? यदि नहीं तो, संक्षिप्त कमकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-31012(3)/75-डी० 4 (ए)]
नन्द लाल, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 22nd December, 1975

S.O. 921.—Whereas the Central Government is of opinion that an Industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bombay Port Trust, Bombay and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No.1, Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the punishment of dismissal imposed by the management of Bombay Port Trust, Bombay on Shri G. G. Landage, Tally Clerk, Docks Department, is justified taking all relevant matters into account? If not, to what relief is the concerned workman entitled?

[No. L-31012(3)/75-D-IV(a)]

New Delhi, the 16th February, 1976

S.O. 922.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Madras, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs. Malabar Steamship Company Limited, Bombay and their workmen which was received by the Central Government on the 13th February, 1976.

BEFORE THIRU T. PALANIAPPAN, B.A., B.L.

Presiding Officer,

Industrial Tribunal, Madras.

(Constituted by the Central Government)

Wednesday, the 28th day of January, 1976

Industrial Dispute No. 27 of 1975

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the management of M/s. Malabar Steamship Co. Ltd., Bombay and Cochin.)

BETWEEN

The workmen represented by

The General Secretary,
Cochin Commercial Employees' Association,
1/1291, Amaravathy Road, Fort Cochin, Cochin-682001.

AND

1. The Manager, M/s. Malabar Steamship Co., Ltd., "Express Towers" 4th floor, Nariman Point, Post Box No. 34, Bombay-400001.

2. The Manager, M/s. Malabar Steamship Co. Ltd., Mattencherry, Cochin-2 (Kerala State).

Reference :

Order No. L-35012/1/74-P&D/CMT/DIV(A), dated 21-3-1975 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on for final hearing on Friday, the 23rd day of January, 1976 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiruvalargal M. P. Menon and M. Ramachandran, Advocates for the workmen and of Thiru K. V. R. Shenoy for Thiruvalargal Menon and Pai, Advocates appearing for the management and having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following :

AWARD

The Government of India in its order No. L-35012/1/74/P&D/CMT/DIV(A), dated 21st March, 1975, Ministry of Labour have referred the following dispute between the employers of Messrs. Malabar Steamship Company Limited, Bombay and their workmen for adjudication.

2. The issue is as follows :

"Whether the action of the management of Messrs. Malabar Steamship Company Limited, 'Express Towers' 4th Floor, Nariman Point, Post Box No. 34, Bombay-400001 in transferring Shri Dayalji Vishram, Accounts Clerk from Cochin to Bombay is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

3. The General Secretary of the Cochin Commercial Employees' Association has filed a claim statement alleging that Sri Dayalji Vishram has been serving in the Cochin Office of the Company for over 20 years ; that his first appointment itself is at Cochin Office ; that there was no practice of transferring employees from Cochin to Bombay and other places ; that due to some difference of opinion between Shri Dayalji Vishram and the Manager of the Cochin Office as well as the son of the latter, he was transferred from the Cochin Office to the Bombay Office. It is also alleged that the transfer of Sri Dayalji Vishram is beyond the powers of the Management ; that even if it is within their powers, the exercise of such power is not *bona fide*. There are no rules or orders that the employees in the Cochin establishment were liable to be transferred to the Bombay establishment.

4. The Management has filed a counter statement contending that the Malabar Steamship Company Limited is a shipping company with its registered and Head Office at Bombay and a branch office at Cochin among other places : that it is a condition of service of the employees of the company that they are liable to be transferred from one office/branch to another ; that the claimant was working in the Cochin office as Accounts Clerk and in the exigencies of work and for administrative reasons, his services were transferred to Bombay office. The transfer of Sri Dayalji Vishram to the Bombay Office was the result of re-organisation of the accounts department and management wanted to centralise the Accounts department only at the Bombay Office. The management has denied the allegation that the transfer is not *bona fide*.

5. ISSUE : There is no dispute about the fact that the management, namely, M/s. Malabar Steamship Company Limited is a shipping company with its registered and Head Office at Bombay and branch at Cochin and Calcutta. Sri Dayalji Vishram, W.W. 1 was working as an Accountant in the Cochin branch of the Management Company. The evidence of Sri Dayalji Vishram, W.W. 1 is that he was given an order of transfer in 1973 transferring him from Cochin Office to Bombay Head Office. According to him, the reason was misunderstanding in the office between him and Sri Gopal, cashier who is the son of the Manager Sri Ratanji Singh. Thus he attacks the transfer as not *bona fide*, but it is an act of victimisation. The learned counsel for the claimant Sri M. P. Menon urged before me two points, namely, (1) that the transfer of an employee of the respondent-company in the course of his service is not one of the conditions of service and (2) even if so the transfer is not *bona fide*. I will now take up the first contention, namely, whether the question of transfer of one employee of the respondent-company to the head office or other branches is a condition of service. It may be either impressed or implied. It is in evidence that no order of appointment was given to the claimant W.W. 1 at the time of first employment. Further, there is no document showing that one of the conditions of service was that the employee shall be liable for transfer from one branch to another. In the absence of any express term the next question is whether the right of the employer to transfer his employees from one office to another is an implied condition of service. Shri M. P. Menon, the learned counsel for the claimant argued that even the Standing Order can show the terms and conditions of service, but there is no service rules or Standing Orders of the Company to the effect that the employee shall be liable for transfer. In reply to this argument, the learned counsel for the management Mr. K. V. R. Shenoi argued that the transfer of an employee from one branch to the other branch is one of the implied conditions of service and that the question whether it is an implied condition of service can be proved only by circumstances. It is in his evidence that the management company is a shipping agency with headquarters at Bombay and another branch at Calcutta in addition to the one at Cochin. It is also in his evidence that the accounts are written in Gujarathi language and the claimant W.W. 1 is one of the two Gujarathi knowing accountants in the Cochin branch and that the accounts of the Head Office are also written in Gujarathi language. The business of the management-company, namely, shipping agency and the maintenance of the accounts in Gujarathi language shows that the business done in one branch or Head Office has to be necessarily communicated to the Head Office. W.W. 1 is an Accounts Clerk. In view of the fact that the Head Office is at Bombay, it can be safely concluded that one of the implied conditions of service was that the employees shall be liable for transfer from the Head Office to the branch and from the branch to the Head Office. Further the centralisation of the accounts department will be only in the Head Office. There is nothing strange in an employee being transferred from the Head Office to the branch or from the branch to the Head Office, especially an accountant who knows Gujarathi and also the accounts in the Head Office also are written in Gujarathi. The counsel for the Union referred me to a decision reported in I.L.R. 1976 (1) Kerala. It is true that it has been held that if there is no condition in the terms of employment that an employee shall be liable to transfer one will have to look into attendant circumstances to find out whether the right to transfer of the employee was understood as an implied term and condition of the contract of service and that the question whether the employer has a right to transfer his employee is a matter to be determined on the facts and circumstances of each case. The counsel relied on this decision only for the proposition that the employer cannot claim to transfer an employee as a right inherent in every employer and that irrespective of the absence of any term in relation thereto either express or implied and that the employer is free to transfer an employee to any office or concern of his. This ruling further shows that the question whether the employer has a right to transfer his employee is a matter to be determined on the facts and circumstances of each case. The very nature of the employment may require periodical transfer. The fact of W.W.1 being an Accounts Clerk and that the accounts both in the Head Office and in the branch at Cochin are written in Gujarathi language and that the branch accounts has to go to the Head Office is certainly a point for coming to the conclusion that there would be occasion for transfer of the Accounts Clerk to write accounts in the Head Office. Following the principles laid down in the above decision I hold that one of the implied conditions of service of the employment of the claimant was that he shall be liable for transfer from the one office to the other office of the Company.

6. The next question for consideration is, whether the transfer is bona fide. Sri Rashiklal H. Narechania, M.W. 1 is the General Manager of the respondent-company at Bombay. His evidence is that the claimant W.W.1 was transferred to Bombay under Ex.M-1 and the transfer was effected by the Bombay Office and it was only after the Bombay Office sent the order of transfer, the Cochin branch came to know about it; that they wanted an experienced Gujarathi accountant from Cochin office to incorporate Cochin accounts in the

main office; that at that time there were two Gujarathi knowing accountants in Cochin Office (i.e) W.W.1 and Mr. Asher and he was junior to W.W. 1. No materials were placed before me to discredit or reject the evidence of the responsible officers of the respondent company. Further there is absolutely no motive for this witness to come and give false evidence against W.W. 1. His evidence struck me as natural and true. In view of the evidence of M.W. 1 the claimant cannot attack the bona fides of the transfer. As regards certain imaginary grievance, namely, there was quarrel between the son of the local manager and W.W. 1, M.W. 1 has deposed that when W.W. 1 met him after the issue of the transfer order, W.W. 1 did not represent anything about the alleged quarrel between himself and Sri Gopal, cashier, son of the Manager of the local branch. Further his evidence shows that one of the conditions of service is that the employees are liable to be transferred to other branches for exigencies of service; that one Sri Sampath who was working in Cochin Office was on leave and expressed his desire to work in Bombay office and he was allowed to work in Bombay and after one year the management wanted him to go back to Cochin and that he did not comply with the transfer order and that only in 1966 the management issued a transfer order to go to him to Cochin. Further M.W. 1 has also deposed that in Bombay they have got 48 employees; that M/s. Nilakanthan, Nair and Krishnan were transferred from Calcutta to Bombay. Thus the past practice also shows that one of the conditions of service of the employees of the respondent company is that they shall be liable to be transferred. The counsel for the union argued that it is only at a belated stage, the ground, namely, that they wanted to centralise the accounts at the Bombay Office has been put forward and not at the earlier stage. It cannot be said that it is a belated answer. The management has got the right to explain its bonafides only when it is called upon. The occasion arose to explain its bonafides only at the time of answering in the claim statement in the course of the dispute. Further, the fact of having transferred WW1 from the Cochin Office and not filling up that post shows that no malafides can be attributed.. If really that the management wanted to harass or trouble him, the management would have certainly filled up some other person in that post after having transferred W.W. 1 to Bombay. Thus the fact of not filling up the post held by W.W. 1 shows the bonafides of the management, namely, that they wanted to centralise the accounts and that they wanted an experienced Gujarathi knowing clerk for Bombay office and hence transferred him from Cochin to Bombay. On a consideration of the facts and circumstances of this case I hold that the transfer is bona fide. This issue is found in favour of the Management.

7. In the result, an award is passed holding that the transfer of Sri Dayalji Vishram, Accounts Clerk, from Cochin to Bombay is justified. In view of my finding, the latter part of the issue does not arise for consideration. There will be no order as to costs.

Dated, this 28th day of January, 1976.

WITNESSES EXAMINED

For workmen :

W.W. 1—Thiru Dayalji Vishram.

For management :

M.W. 1—Thiru Rashiklal H. Narechania, General Manager.

M.W. 2— " Ritanchi Panchan Tank, Manager.

DOCUMENTS MARKED

For workmen :

Ex. W-1/19-10-73—Memo from the Company to W.W. 1 calling for explanation.

Ex. W-2/1-11-73—Order transferring W.W. 1 to Bombay Office.

Ex. W-3/9-11-73—Letter from the Company to W.W. 1 enclosing Railway ticket.

Ex. W-4/12-11-73—Letter from W.W. 1 about the transfer (copy).

Ex. W-5/12-11-73—Letter from W.W. 1 to the Company at Cochin returning the Railway ticket (copy).

Ex. W-6/14-11-73—Letter from the Company, Cochin to W.W. 1.

Ex. W-7/15-11-73—Letter from W.W. 1 to Ex. W-6 (copy).

Ex. W-8/26-11-73—Letter from W.W. 1 to the Company, Bombay, requesting for grant of leave (copy).

Ex. W-9/26-11-73—Letter from the Cochin Office to W.W. 1 stating that the transfer order cannot be reconsidered or cancelled.

Ex. W-10/28-11-73—Letter from the Union to the Assistant Labour Commissioner (C), Ernakulam requesting to intervene (copy).

Ex. W-11/29-11-73—Letter from the Company, Bombay office to W.W. 1 stating that the transfer order stands.

Ex. W-12/14-1-74—Letter from the Company, Cochin office to the Union about the transfer of W.W. 1.

Ex. W-13/4-3-74—Conciliation Report (copy).

For management :

Ex. M-1/1-11-73—Copy of Ex. W-2.

Ex. M-2/12-11-73—Original of Ex. W-5.

Ex. M-3/14-11-73—Copy of Ex. W-6.

Ex. M-4/26-11-73—Copy of Ex. W-9.

Ex. M-5/29-11-73—Copy of Ex. W-11.

Ex. M-6/17-12-73—Letter from the Union to the Cochin office about the non-employment of W.W. 1.

Ex. M-6(a)/1-1-74— —do—

Ex. M-7/19-10-73—Copy of Ex. W-1.

Ex. M-8/22-10-73—Letter from W.W. 1 to the Company.

Ex. M-8(a)—Translation of Ex. M-8 into English.

Ex. M-9/14-1-74—Copy of Ex. W-12.

Ex. M-10/29-11-67—Letter from the Government of Maharashtra to the National Steamship Company Ltd., Bombay-1.

Ex. M-11/16-11-73—Letter from the Company, Cochin office to W.W. 1 denying the leave prayed for (copy).

Ex. M-12/16-11-73—Acknowledgment of letter dated 16-11-73 by W.W. 1.

NOTE : Parties are directed to take return of their document/s within six months from the date of the award.

(Sd/-) T. PALANIAPPAN, Presiding Officer

[No. L 35012(1)/74-P&D/CMT/D. IV(A)]

NAND LAL, Section Officer (Spl.)

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1976

का० आ० 923.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एम० पालानिवेल्लू को उक्त अधिनियम, स्कीम और उसके अधीन विरचित किसी कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएं हों, सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं० ए०-120/16/11/75-पी० एफ० 1]

एस० एस० सहस्रनामन, उप-सचिव

New Delhi, the 5th February, 1976

S.O. 923.—In exercise of the powers conferred, by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri M. Palanivelu to be an Inspector for the whole of the State of Rajasthan for the purposes of the said Act, the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A-12016/11/75-PF. I]

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1976

का० आ० 924.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शेरटन ट्रेजर्स, ओबराय शेरटन होटल, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-1, नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के दिसम्बर के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35018(1)/75-पी०एफ० 2]

New Delhi, the 6th February, 1976

S.O. 924.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sheraton Treasures, Oberoi Sheraton Hotel, Nariman Point, Bombay-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1973.

[No. S-35018(1)/75-PF. II]

का० आ० 925.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ताज ट्रेजर्स, ताज इन्टरकान्टीनेन्टल होटल, ओपोलो बन्दर, मुम्बई-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अत :, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 के दिसम्बर के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35018 (2)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 925.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority to the employees in relation to the establishment known as Messrs Taj Treasures, Taj Intercontinental Hotel, Apollo Bander, Bombay-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1973.

[No. S-35018(2)/75-PF. II]

का० आ० 926.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सेलमा स्टील लिमिटेड, रेलवे वैस्ट कालोनी, सेलम-5, जिसके अन्तर्गत (1), कन्नम्माइ बिल्डिंग, 122 माउंट रोड़, मद्रास-6 और (2) एफ-1 चन्द्रलोक, 36 जनपथ, नई दिल्ली स्थित उसकी शाखाएं भी आती हैं नामक स्थान से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35019(49)/74-पी०एफ० 2]

S.O. 926.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Salem Steel Limited, Railway West Colony, Salem-5 including its branches at (1) Kannammai Building, 122, Mount Road, Madras-6 and (2) F-1, Chandralok, 36 Janpath, New Delhi-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1974.

[No. S. 35019/49/74-PF. II]

का० आ० 927.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 मई, 1974 से मैसर्स इलैक्ट्रो एसियाटिक (प्राइवेट) लिमिटेड, 1, सुदर्शनपुर, औद्योगिक क्षेत्र, जैपुर-6 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35019(49)/75-पी० एफ० 2 (ii)]

S.O. 927.—In exercise of the powers conferred by he first proviso to section 6 of the Employees' Provident Fnnds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirtyfirst day of May, 1974, the establishment known as Messrs Electro Asiatic (Private) Limited, 1, Sudarshanpur Industrial Area, Jaipur-6 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(49)/75-PF. II(ii)]

का० आ० 928.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सतीशचन्द्र एण्ड कम्पनी, 8571, राष्ट्रपति रोड़, सिकन्दराबाद-3 (आन्ध्र प्रदेश) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के दिसम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35019(81)/73-पी०एफ० 2]

S.O. 928.—Whereas it appears to the Cenral Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Satischandra & Company, 8571, Rashtrapathi Road, Secunderabad-3 (Andhra Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1972.

[No. S. 35019/81/73-PF. II]

का० आ० 929.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अकबर खान एण्ड सन्स, 7/452, ओहटी रोड़, कालीकट-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के नवम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-350 19(139)/74-पी०एफ० 2]

S.O. 929.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Akbarkhan and Sons, 7/452, Oyitty Road, Calicut-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1975.

[No. S. 35019(139)/74-PF. II]

का० आ० 930.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स युनाइटेड इण्डस्ट्रीज, इन्डस्ट्रियल एरिया, आजमाबाद, हैदराबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के मार्च के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(224)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 930.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs United Industries, Industrial Area, Azamabad, Hyderabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), on the thirty first day of March, 1975.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1975.

[No. S. 35019(224)/75-PF. II]

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1976

का० आ० 931.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० 2200, तारीख 14 अगस्त, 1974 के अनुक्रम के केन्द्रीय सरकार नीचे की अनुसूची में वर्णित भारतीय तेल निगम लिमिटेड, मुम्बई के कारखानों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 14 जलाई, 1975 से 13 जलाई, 1976 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित हैं, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में उसकी ओर से दी जाती थी।

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो—

(i) उक्त अवधि की बाबत धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (विविध) विनियम, 1950 द्वारा यथापेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा नकदी और वस्तु के रूप में दिए गए उन फायदों को पाने के हकदार बने हुए हैं जो ऐसे फायदे हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में ऐसे उपबन्ध प्रवृत्त थे, अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन किया गया था,

निम्नलिखित कार्यों के लिए सशक्त होगा, अर्थात्:—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करने के लिए कि वह उसे ऐसी सूचना दे जिसे वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करने के लिए और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, ऐसी अपेक्षा करने के लिए कि लेखा बहियां और अन्य दस्तावेजें, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित हों, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी को प्रस्तुत करे, और उनकी परीक्षा करने दे या उसे ऐसी जानकारी दे जिसे वह आवश्यक समझे ; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक, या ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाए गए किसी व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करने के लिए ; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की प्रतियां तैयार करने या उससे उद्धरण लेने के लिए।

अनुसूची

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम्	भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग), पोस्ट बाक्स सं० 54, मलकापुरम प्रतिष्ठान, विशाखापत्तनम-1.
2.	आन्ध्र प्रदेश	सिकन्दराबाद	भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग), पोस्ट बाक्स सं० 1634, आर० आर० सी० ग्राउण्ड, सिकन्दराबाद।
3.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग), स्टेशन रोड़, विजयवाड़ा।
4.	आन्ध्र प्रदेश	सिकन्दराबाद-14	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, विमानन खाद्य स्टेशन, डाकघर हकीमपेट एयर फोर्स स्टेशन, सिकन्दराबाद-14.
5.	दिल्ली	दिल्ली	भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग), एल०पी०जी बोटलिंग प्लान्ट, शकूरबस्ती, दिल्ली-26.
6.	दिल्ली	दिल्ली	भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग), शिवाजी पार्क के सामने, शकूरबस्ती, दिल्ली-26.
7.	दिल्ली	दिल्ली	भारतीय तेल निगम लिमिटेड विमानन ईंधन केन्द्र, सरदार बाजार रोड, मोर लाइन के निकट, पालम, दिल्ली छावनी-10.
8.	केरल	कोचीन	भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग), पोस्ट बाक्स सं० 535, विलिंगडन आइलैंड, बारबर रोड़, कोचीन-3.
9	केरल	कोचीन	भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग), कोचीन परिष्करणी प्रतिष्ठान, पोस्ट बाक्स सं०-8, तिपुनिथुरा बरास्ता कोचीन।
10.	केरल	कोचीन	भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग), कारशाका रोड, पोस्ट बैग नं० 1759, अर्नाकुलम, कोचीन-6.
11.	तमिलनाडु	मद्रास	भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग), एनीं हाई रोड, मद्रास।
12.	तमिलनाडु	मद्रास	भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग), कोरनकुपेट, मद्रास-21.
13.	तमिलनाडु	मद्रास	भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग), नार्थ रेलवे, टर्मिनस रोड, रोयापुरम, मद्रास।

1	2	3	4
14.	तमिलनाडु	मद्रास	भारतीय तेल निगम, विमानन ईंधन केन्द्र, मीनमबक्कम एयर पोर्ट, मद्रास ।
15.	तमिलनाडु	मद्रास	भारतीय तेल निगम लिमिटेड ट्यूब क्लेडिंग प्लान्ट, इन्नोर हाई रोड, टोडियारपेट, तिरुवोथियूर पोस्ट, मद्रास-8।
16.	महाराष्ट्र	मुम्बई	भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग) सरकारी खाद्यान गोदाम के निकट, बादला, मुम्बई-3 ।
17	महाराष्ट्र	मुम्बई	भारतीय तेल निगम (विपणन प्रभाग) टाटा थरमल पावर प्लान्ट, ट्राम्बे के निकट, कारिडर रोड़, मुम्बई-74
18.	महाराष्ट्र	मुम्बई	भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग) सिवारी रेलवे स्टेशन के सामने मुम्बई-15
19.	महाराष्ट्र	पुणे	भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग) राजबहादुर मोतीलाल रोड, पुणे ।
20.	महाराष्ट्र	मुम्बई	भारतीय तेल निगम लिमिटेड विमानन ईंधन केन्द्र शान्ता क्रूज एयर पोर्ट, मुम्बई-29.
21.	कर्नाटक	बंगलौर	भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग) नागदी रोड़ पोस्ट बैग सं० 3, बंगलौर-23.

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट संबंधी प्रस्ताव को तैयार करने में समय लगा। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि वे परिस्थितियां, जिनमें कारखाने को प्रथमतः छूट प्रदान की गई थी, अभी तक भी जारी हैं और कारखाना छूट के लिए पात्र है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट की मंजूरी, किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

[सं० एस-38017/5/74-एच० आई०]

New Delhi, 7th February, 1976

S.O. 931.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2200 dated the 14th August, 1974 the Central Government hereby exempts the factories mentioned in the schedule, belonging to the Indian Oil Corporation Limited, Bombay from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 14th July, 1975 upto and inclusive of the 13th July, 1976.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act, (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is bieng granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provi sions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furish to him such infomation as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account books or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

SCHEDULE

S. No.	Name of the State/Union Territory	Name of area	Name of the factory
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	Visakhapatnam-I	Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division) Post Box No. 54, Malkapuram Installation, Visakhapatnam-1.
2.	Andhra Pradesh	Secunderabad	Indian Oil Corporation Limited(Marketing Division) Post Box No. 1634, RRC Ground, Secunderabad.
3.	Andhra Pradesh	Vijayawada	Indian Oil Coporation Limited,(Marketing Division) Station Road, Vijayawada.
4.	Andhra Pradesh	Secunderabad-14	Indian Oil Corporation Limited, Aviation Food Station, Post Office Hakimpet Air Force Station, Secunderabad-14.
5.	Delhi	Delhi	Indian Oil Corporation Limited,(Marketing Division), L.P.G. Bottling Plant, Shakurbasti, Delhi-26.
6.	Delhi	Delhi	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Opposite Sivaji Park, Shakurbasti, Delhi-26.
7.	Delhi	Delhi	Indian Oil Corporation Limited, Aviation Fuel Station, Sardar Bazar Road, Near More Line, Palam, Delhi Cantt-10.
8.	Kerala	Cochin	Indian Oil Corporation Limited (MarketingDivision), Post Box No. 535, Willington Island, Barbour Road, Cochin-3.
9.	Kerala	Cochin	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Cochin Refinery Installation, Post Box No. 8, Tripunithura Via Cochin.
10.	Kerala	Cochin	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Karshaka Road, Post Bag 1759 Ernakulam, Cochin-6.
11.	Tamil Nadu	Madras	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Ernove High Road, Madras.
12.	Tamil Nadu	Madras	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Korukupet Madras-21.
13.	Tamil Nadu	Madras	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), North Railway Terminus Road, Royapuram, Madras.
14.	Tamil Nadu	Madras	Indian Oil Corporation Limited, Aviation Fuel Station, Meenanbakkam Airport, Madras.
15.	Tamil Nadu	Madras	Indian Oil Corporation Limited, Tube Blending Plant, Ennore High Road, Tendiarpot Tiruvothiyur Post Madras-81.
16.	Maharashtra	Bombay	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Near Government Food Grains Godowns, Wadala, Bombay-31.
17.	Maharashtra	Bombay	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Near, Tata Thermal Power Plant, Trombay, Corridor Road, Bombay-74.
18.	Maharashtra	Bombay	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Opposite Sewaree Railway Station, Bombay-15.
19.	Maharashtra	Poona	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Rajbahadur Motilal Road, Poona.
20.	Maharashtra	Bombay	Indian Oil Corporation Limited, Aviation Fuel Station, Santa Cruze Airport, Bombay-29.
21.	Karnataka	Bangalore	Indian Oil Corporation Limited, (Marketing Division), Nagadi Road, Post Bag No. 3, Bangalore-23.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the proposal for exemption took time. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not adversely affect the interest of any body.

[No. S-38017/5/74- HI]

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1976.

का०आ० 932.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 1006 तारीख 15 मार्च, 1975 के अनुक्रम में 132 कि०वा०ग्रिड सब स्टेशन दामोदर घाटी निगम, नई सराय रामगढ़, जिला हजारीबाग को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 22 दिसम्बर 1975 से 21 दिसम्बर, 1976 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात्:—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन थी, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियों ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में देनी थी ;

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे ; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को नकदी और वस्तु के रूप में पाने का हकदार बना हुआ है जिसके प्रतिलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है ; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में ऐसे उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबंधों का अनुपालन किया गया था निम्नलिखित के लिए सशक्त होगा—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी सूचनाएं दे जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझी जाए ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करे और ऐसे व्यक्ति जो उसका भारसाधन कर रहा हो, ऐसी अपेक्षा करना कि लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित हों प्रस्तुत करे ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी को प्रस्तुत करने, और उनकी परीक्षा करने दे या उन्हें ऐसी जानकारी दे जैसी वे आवश्यक समझे ; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक, या ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाए जाए या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण उतारना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के मंजूरी संबंधी प्रस्ताव पर कार्यवाही करने में समय लग गया। तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि वे परिस्थितियां, जिनमें कारखाने को मूल रूप में छूट प्रदान की गई थी, अभी तक भी विद्यमान है और कारखाना छूट के लिये पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट की मंजूरी किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

[सं० एस-38014/57/73-एच आई]

New Delhi, the 9th February, 1976

S.O. 932.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1006 dated 15th March, 1975, the Central Government hereby exempts the 132, K. V. Grid sub-Station, Damodar Valley Corporation, Naisarai Ramgarh, District Hazaribagh, from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 22nd December, 1975 upto and inclusive of the 21st December, 1976.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purpose of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such pricipal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him

to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register accounts book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the proposal for exemption took time. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S. 38014/57/73-HI]

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1976

का० आ० 933.—कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 5 घ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3378 तारीख 9 दिसम्बर, 1974 को अधिक्रान्त करते हुये, केन्द्रीय सरकार श्री के० एम० भट्ट के स्थान पर श्री एस० के० हलदर को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उसके कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता देने के लिये, समस्त आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा नागालैंड और मेघालय राज्यों तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों के लिये प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नियुक्त करती है।

[सं० ए० 12016 (9) 0/74-पी एफ-1(i)]

S.O. 933.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour No. S.O. 3378 dated 9th December, 1974, the Central Government hereby appoints Shri S. K. Haldar as the Regional Provident Fund Commissioner for the whole of the States of Assam, Manipur, Tripura, Nagaland and Meghalaya and the Union territories of Mizoram and Arunachal Pradesh to assist the Central Provident Fund Commissioner in the discharge of his duties *vice* Shri K. M. Bhatt.

[No. A. 12016(9)O/74-PF-1(i)]

का० आ० 934.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3381 तारीख 19 दिसम्बर, 1974 को अधिक्रान्त करते हुये श्री एस० के हलदर को उक्त अधिनियम स्कीम और उसके अधीन विरचित किसी कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से सम्बन्धित किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के सम्बन्ध में जिसकी एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखायें हों, सम्पूर्ण आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय राज्यों तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों के लिये निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं० ए० 12016(9)/74-पी एफ 1 (ii)]

S.O. 934.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3381 dated the 9th December, 1974 the Central Government hereby appoints Shri S. K. Haldar to be an Inspector for the whole of the State of Assam, Manipur, Tripura, Nagaland and Meghalaya and the Union Territories of Mizoram and Arunachal Pradesh for the purposes of the said Act, the Scheme and Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation ta any establishment connected with a railway company, a major part, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A. 12016(9)/74-PF. I(ii)]

का० आ० 935:—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और (कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1367 तारीख 18 मई, 1960 निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "एम० के० टालेगावकर" अक्षरों और शब्दों का लोप किया जायेगा।

[सं० ए० 12016 (17)/75-पी० एफ० 1]

S.O. 935.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1367 dated the 18th May, 1960, namely :—

In the said notification, the letters and word "M. K. Talegaonkar" shall be omitted.

[No. A. 12016(17)/75-PF-I]

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1976

का० आ० 936:—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 29 फरवरी, 1976 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के अतिरिक्त जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 का उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के अतिरिक्त जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

कुड्डापा तालुक और जिले के पुतलमपल्ली राजस्व ग्राम के सर्वेक्षण सं० 94 से बना क्षेत्र।

[सं० एस० 38013/22/73-एच० आई०]

New Delhi, the 19th February, 1976

S.O. 936.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 29th February, 1976 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely :—

The area comprising of Survey No. 94 of Putlampalli revenue village of Cuddapah Taluk and District.

[No. S-38013/22/73-HI]

का० आ० 937.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 29 फरवरी, 1976 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपबन्ध गुजरात राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त, होंगे, अर्थात :—

क्षेत्र	तालुका	जिला
हसनपुर ग्राम	वंकानेर	राजकोट

[सं०एस०-38013/36/74-एच० आई०]

एस० एस० सहस्रनामन, उप-सचिव

S.O. 937.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 29th February, 1976 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Gujarat, namely :—

Area	Taluka	District
Hasanpur village	Wankaner	Rajkot

[No. S-38013/36/74-HI]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1976

का० आ० 938.—राष्ट्रपति मूल नियमों के नियम 45 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2452, तारीख 9 अगस्त, 1973 के साथ प्रकाशित, अनुपूरक नियमों के प्रभाग 26-फ अर्थात् कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी निवास स्थान आवंटन नियम, 1973 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1.(1) इन नियमों का नाम कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशलय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी निवास-स्थान आवंटन (संशोधन) नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी निवास-स्थान आवंटन नियम, 1973 में,—

(i) अनु० नि० 317-म-4 के अधीन विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात :—

निवास-स्थान का टाइप	उस आवंटन-वर्ष के, जिसमें आवण्टन किया जाए, प्रथम दिन अधिकारी का प्रवर्ग या उसकी मासिक उपलब्धियां
1	260 रु० से न्यून
2	500 रु० से न्यून किन्तु 260 रु० से अन्यून ।
3	700 रु० से न्यून किन्तु 500 रु० से अन्यून ।
4	1000 रु० से न्यून किन्तु 700 रु० से अन्यून ।
5	1650 रु० से न्यून किन्तु 1000 रु० से अन्यून ।
6	2500 रु० से न्यून किन्तु 1650 रु० से अन्यून ।

(ii) अनुसूची में,—

(क) क्रम संख्या 1 के सामने, 'एक केयर टेकर' प्रविष्टि के स्थान पर 'एक झाड़ूकश' प्रविष्टि रखी जाएगी।

(ख) क्रम संख्या 4 के सामने की प्रविष्टि में 'तीन' शब्द के स्थान पर 'चार' शब्द रखा जायेगा।

(iii) प्ररूप 'क' के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जायेगा, अर्थात :—

'कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय'

प्ररूप 'क'

(अनु० नि० 317-म-5)

निवास स्थान के आवंटन के लिए आवेदन

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
श्री/श्रीमती/कुमारी

2. पदाधिधान तथा
इस पद के धारण करने की तारीख :

3. वह तारीख जिससे भारत सरकार के अधीन निरन्तर नियोजन में है।

4. नियुक्ति के वर्तमान स्थान पर कार्य आरंभ करने की तारीख

5. वेतनमान :

6. .....की उपलब्धियां

मूल वेतन	विशेष वेतन	महंगाई वेतन	प्रतिनियुक्ति कर्तव्य भत्ता	डाकघर का प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	पेंशन (जिसमें संराशित मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान और पेंशन के समतुल्य पेंशन का भाग सम्मिलित है)	कुल उपलब्धियां	वह तारीख जिससे मद (7) के सामने की उपलब्धियां ली जा रही हैं।
1	2	3	4	5	6	7	8

7. यदि उपलब्धियां भारत की संचित निधि से नहीं ली जाती है तो वह स्रोत उपदर्शित कीजिए, जिससे वे ली जाती हैं।

8. वह टाइप, जिसके लिए पात्र है और पूर्विकता की तारीख :

वह टाइप, जिसके लिए हकदार है।	टाइप-1 से 5 तक के हकदार अधिकारियों के लिए। वह तारीख जिसमें केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन निरंतर नियोजन (जिसमें विदेश सेवा भी सम्मिलित है) में है।	वह तारीख, जिससे इस टाइप के लिए विहित न्यूनतम उपलब्धियां केन्द्रीय/राज्य सरकार (जिसमें विदेश सेवा भी सम्मिलित है) के अधीन निरन्तर ली जा रही हैं।	यदि वह टाइप, जिसके लिए हकदार है/हैं, उपलब्ध नहीं है, तो क्या ठीक निचले टाइप के आबंटन के हकदार है? यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें	
			टाइप	हकदारी की तारीख
1	2	3	4	5

9. क्या अधिकारी सरकारी निवास-स्थान से विवर्जित कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस तारीख तक ?

10. क्या आवेदक किराया मुक्त आवास के लिए हकदार है ?

11. स्थायी/स्थायित्वत/अस्थायी

12. सरकारी निवास-स्थान, की विशिष्टियां, यदि कोई निम्नलिखित द्वारा आबंटित किया गया हो
(i) विभागाध्यक्ष
(ii) सरकार के अन्य विभाग
(विभाग का नाम दें)

13. क्या कार्य के स्थान पर आवेदक, उसकी पत्नी/उसके पति या आश्रित बालक/बालकों के स्वामित्वाधीन कोई मकान है ? यदि हां, तो विशिष्टियां दीजिए।
मकान संख्या और गली, तथा स्वामी से सम्बन्ध और स्वामित्व की सीमा।

14. अस्थायी अधिकारियों के मामले में प्रतिभूत की विशिष्टियां :

(i) नाम

(ii) धारित स्थायी पद

(iii) कार्यालय, जिससे सम्बद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थानों के महानिदेशक के नियंत्रणाधीन निवास-स्थानों के आबंटन को शासित करने वाले सभी नियमों को पढ़ लिया है और मैं यह घोषित करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई विशिष्टियां सही हैं तथा मुझको किया जाने वाला आबंटन नियमों और उनके पश्चातवर्ती संशोधनों , यदि कोई हों, के अधीन होगी।

तारीख

हस्ताक्षर :

कार्यालय जिससे सम्बद्ध है :"

(4) अनु०नि० 317-म-5 : उप-नियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अन्तः, स्थापित किया जायेगा, अर्थात :—

"(4) ऐसे अधिकारियों को, जो टाइप-5 और टाइप 6 आवास के हकदार हैं और जो उससे ठीक निचले टाइप में आबंटन चाहते हैं, दो आवेदन प्रस्तुत करने चाहिए—एक उस टाइप के लिए जिसके वे हकदार हैं (आवेदन के ऊपरी भाग पर यह उपदर्शित करें—" इससे ठीक निचले टाइप के लिए भी आवेदन किया है) और दूसरा उससे ठीक निचले टाइप के लिए (आवेदन के ऊपरी भाग पर यह उपदर्शित करें—"ठीक निचले टाइप के लिए")

(5) अनु०नि० 317-म-6 के अधीन, उप-नियम 4 के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम (5) अन्तः स्थापित किया जाएगा :—

"(9) विभागाध्यक्ष 5 और 6 के लिए पात्र अधिकारियों को उस टाइप से, जिसके वे हकदार हैं, ठीक निचले टाइप का क्वार्टर आबंटित कर सकेगा और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित माप दण्ड अपनाया जायेगा :—

टाइप 5 के लिए पात्र किसी अधिकारी को टाइप 4 के क्वार्टर के आबंटन के लिए पूर्विकत की तारीख सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख होगी और टाइप 6 के लिए पात्र किसी अधिकारी को टाइप 5 के क्वार्टर के आबंटन के लिए पूर्विकता की तारीख वह तारीख होगी, जिससे अधिकारी टाइप 5 के संगत उपलब्धियां निरन्तर लेता रहा है।

ये समुचित ज्येष्ठता सूचियां—एक टाइप 4 और 5 के लिए हकदार अधिकारियों की और दूसरी टाइप 5 और 6 के लिए हकदार अधिकारियों की, तैयार की जायेंगी और उपर्युक्त माप दण्ड के अनुसार सूची में ज्येष्ठ अधिकारियों को क्वार्टर, जब और जैसे ही वे खाली हों, आबंटित किए जा सकेंगे।"

[संख्या ए-42011(108)/74-कारखाना]

New Delhi, the 13th February, 1976.

S. O. 938.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President is pleased to make the following rules further to amend the Division XXVI-V of the Supplementary Rules, namely the Allotment of Government residences under the administrative control of Directorate General of Factory Advice Service and Labour Institutes Rules, 1973, published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) number S.O. 2452, dated the 9th August, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Allotment of Government residences under the administrative control of the Directorate General of Factory Advice Service and Labour Institutes (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Allotment of Government residences under the administrative control of Factory Advice Service and Labour Institutes Rules, 1973,—

(i) for the existing Table under S. R. 317-Y-4 the following Table shall be substituted, namely :—

Type of Residence	Category of officer or his monthly emoluments as on the first day of the allotment year in which the allotment is made
I	Less than Rs. 260/-.
II	Less than Rs. 500/- but not less than Rs. 260/-.
III	Less than Rs. 700/- but not less than Rs. 500/-.
IV	Less than Rs. 1000/- but not less than Rs. 700/-.
V	Less than Rs. 1650/-. but not less than Rs. 1000/-.
VI	Less than Rs. 2500/- but not less than Rs. 1650/-.

(ii) in the Schedule,—

(a) against Serial number 1 for the entry "one caretaker", the entry "One sweeper" shall be substituted;

(b) against Serial number 4, in the entry, for the word "three", the word "four" shall be substituted;

(iii) for Form 'A' the following form shall be substituted, namely :—

"DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SERVICE AND LABOUR INSTITUTES

FORM 'A'

(S. R. 317-Y-5)

APPLICATION FOR ALLOTMENT OF RESIDENCE

1. Name (in block letters)
Shri/Shrimati/Kumari

2. Designation and date from which holding this post.

3. Date since when continuously employed under Government of India.

4. Date of joining duty at the present place of posting.

5. Scale of Pay : Rs.

6. Employments as on

Basic Pay	Special pay	Deamess pay	Deputation (Duty allowance)	Doctor's non-practicing allowance	Pension (including portion of pension equivalent to Death-cum-retirement Gratuity and pension commuted.	Total Emoluments	Date from which the emoluments against item (7) are being drawn
1	2	3	4	5	6	7	8

7. Indicate the source from which emoluments are drawn, if not drawn from the Consolidated Fund of India.

8. Type to which eligible and priority date:

Type to which entitled	For officers entitled to Type I to IV. Date since when continuously employed under Central/State Government (including foreign service).	FOR OFFICERS ENTITLED TO TYPE V TO VI Date since when minimum emoluments prescribed for this type are continuously drawn under Central/State Government (including foreign service).	If entitled type is not available whether willing for allotment of next below type. if so specify: Type	Date of entitlement
1	2	3	4	5

9. Does the officer stand debarred from Government residence. If so, upto what date.

10. Is the applicant entitled to rent free accommodation.

11. State whether permanent/Quasi-permanent/Temporary.

12. Particulars of Government residence, if any allotted.
(i) by the Head of the Department.
(ii) by other Government Departments (give name of the Department).

13. Whether the applicant, his wife/her husband or dependent child/children own a house at the station of duty. If so, give particulars. House No. and street and relationship with the owner and extent of ownership.

14. Particulars of surety in case of temporary officers
(i) Name
(ii) Permanent post held.
(iii) Office to which attached.

Certified that I have read all the Rules governing the allotment of residences under the control of Director General Factory Advice Service and Labour Institutes and declare that the particulars given by me above are correct and that the allotment to be made to me shall be subject to rules and subsequent amendments, if any, thereto.

Date: Signature :

Office to which attached :"

(4) SR 317-Y-5 after sub-rule (3) the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) Officers who are entitled to Type V and VI accommodation and requiring allotment in the next—below type should submit two applications—one for their entitled type (indicating on the top of the application 'also applied for next-below type') and the other for the next-below type (indicating on the top of the application 'For next-below')"

(5) The following sub-rule (5) shall be inserted under S.R. under 317-Y-6, after sub-rule 4 the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(9) The Head of the Department may allot to the officers eligible for type V and VI, a quarter next below their entitled type, and the criteria to be followed shall be as follows:—

The date of priority for allotment of a Type IV quarter to an officer eligible for type V will be the date of entry into Government service and for allotment of Type V to an officer eligible for Type VI, the date of priority will be the date from which the officer has been continuously drawing emoluments relevant to type V.

Two combined seniority lists—one of officers entitled for Type IV and V and one of officers entitled for Type V and VI will be drawn up and the senior most in the list as per the above criteria may be allotted quarters as and when they fall vacant".

[No. A. 42011(108)/74-Fac.)]

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1976

का० आ० 939.—डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम, 1961 के पैरा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार कोचीन पत्तन न्यास के अधीन मट्टनचेरी घाट और एर्नाकुलम् घाट को उक्त स्कीम के पैरा 16 के उपबन्धों से छूट देती है।

[सं० एस० - 69016/3/71-एफ ए० सी०]
एस० एन० सक्सेना, विशेष कार्य अधिकारी (एल० एम०)

New Delhi, the 16th February, 1976

S.O. 939.—In exercise of the powers conferred by paragraph 60 of the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961, the Central Government hereby exempts the Mattancherry wharf and Ernakulam warf under the Cochin Port Trust from the provisions of paragraph 16 of of the said Scheme.

[No. S-69016/3/71-FAC]
S. N. SAXENA, Officer on Spl. Duty (L.M.)

New Delhi, the 16th February, 1976

S.O. 940.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th February, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

PRESENT :

Shri E. K. Moidu—Presiding Officer.

Reference No. 33 of 1975

PARTIES :

Employers in relation to the Punjab National Bank.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Sri C. P. Panigrahi, Asstt. Personnel Officer.

On behalf of Workmen—Sri K. P. Bhardwaj, General Secretary, Punjab National Bank Employees Association.

State : West Bengal Industry : Banking

AWARD

This reference under No. L. 12012/11/75-DII/A dated 30th April, 1975, by the Ministry of Labour, Government of India over an industrial dispute existing between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen, reads as follows :

"Taking into consideration the Bipartite Settlement dated the 16th June, 1973 between the Punjab National Bank and their workmen, whether the action of the employers in relation to the Punjab National Bank, Calcutta, in issuing posting orders to Shri N. C. Bose outside Calcutta on promotion to the post of Accountant 'C' grade and debarring him from that promotion for one year is justified? If not, to what relief he is entitled?

2. The Punjab National Bank Employees Association filed a written statement contending inter-alia that the transfer of Shri N. C. Bose, Special Assistant working at Branch Office Brabourne Road, Calcutta to Patna was an act of victimisation; that he should have been transferred on promotion to a post in Calcutta; that the subsequent debarring him of his promotion for a period of one year is also unsustainable in law and that he should be promoted and posted at Calcutta on payment of his back salary.

3. The management represented by the Punjab National Bank did not file any written statement.

4. When the reference came up for hearing to-day both the Regional Manager, Punjab National Bank and General Secretary, Punjab National Bank Employees Association filed a joint application alleging that the matter had been settled out of Court on granting promotion to Sri N. C. Bose as Accountant in Calcutta itself and that, therefore, the dispute had been settled with the result that they stated that the reference in question may be withdrawn as dismissed.

5. Accepting the settlement which is in the best interest of the workman, I hold that the reference need not be enquired into and the reference is, therefore, withdrawn as dismissed.

E. K. MOIDU, Presiding Officer

Dated, Calcutta,
The 6th February, 1976.

[No. L 12012/11/75-DII/A]
R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

New Delhi, the 11th February, 1976

S.O. 941.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, cum Labour Court No. 2 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of East Katras Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Katrasgarh, Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th January, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri K. K. Sarkar, Judge,
Presiding Officer.

Reference No. 27 of 1974

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Order of Reference

(Ministry's Order No. L-2012(28)/74-LR. II dt. 2nd November, 1974)

PARTIES :

Employers in relation to the management of East Katras Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, P.O. Katrasgarh (Dhanbad).

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the Employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate

On behalf of the workmen—Shri P. K. Bose, Advocate.

Industry : Coal. State : Bihar.

Dated, Dhanbad, the 22nd January, 1976

AWARD

This reference was sent by the Government of India, Ministry of Labour to this Tribunal for adjudication of the Industrial dispute involved with the following issues framed :—

"(1) Whether the management of East Katras Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Katrasgarh, Distt. Dhanbad are justified in stopping Shri Bhura Singh, General Mazdoor, from work with effect from the 14th March, 1975 ?

(2) If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

Notices were duly served on the parties who appeared through their authorised Advocates Shri S. S. Mukherjee for the employers and Shri P. K. Bose for the workmen. Both sides filed their written statement in due course and on the prayer of the parties the case was fixed on different dates for one purpose or the other. Ultimately on the last date fixed Shri S. S. Mukherjee, Advocate representing the employers and Shri P. K. Bose, Advocate representing the workmen appeared and filed a memorandum of settlement with a request to pass an award in terms of the memorandum of settlement filed by them. I heard the parties on the memorandum of settlement. It appears that on behalf of the employers the memorandum of settlement was signed by General Manager, Area No. IV, Bharat Coking Coal Ltd. and on behalf of the workmen it has been signed by Shri P. K. Bose Secretary of the Colliery Mazdoor Sangh and by Bhura Singh the concerned workman. The memorandum of settlement appears to have been properly signed and there is no reason why the same should not be accepted.

In the result, I pass an award in terms of the memorandum of settlement which do form part of the Award as annexure-A.

Sd/-
(K. K. SARKAR)
Presiding Officer,
Central Government Industrial
Tribunal (No. 2), Dhanbad.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.-II, DHANBAD

In Reference No. 27 of 1974

Employers in relation to East Katras Colliery ;

AND

Their Workman.

Joint petition for Compromise settlement

The humble petitioners, on behalf of the parties, above named, most respectfully sheweth :—

1. That the parties have arrived at an amicable settlement of the above noted dispute on the terms noted below :—

Terms of the Settlement

(a) The Management agrees to provide employment to Shri Bhura Singh alias Ghura Singh in his original post as Night Guard at Bhowra Colliery within 15 days of his reporting of duty to the General Manager, Area No. 11.

(b) The parties agree that the above-named workman shall forfeit his claim for re-employment in case he fails to report for duty within 15 days of the date of this settlement.

(c) The Management agrees to maintain the continuity of service of the workman.

(d) The parties agrees that the period of idleness from 14-3-1973 to the date of resumption of duty shall be treated as leave without pay for the purpose of gratuity, retrenchment etc.

(e) The Union workman agrees not to claim any payment of any kind for the period specified in para (d) above.

(f) The Management agrees to pay Rs. 100/- to the Union Representative as cost on the date of the settlement.

2. The petitioners submit that the terms of settlement as noted above, are reasonable and proper and the Hon'ble Tribunal may be pleased to approve the same and pass award in terms thereof.

For the Employer
Sd/-
General Manager,
Area No. IV.
Sd/-

For the Workman.
Sd/-
For Colliery Mazdoor Sangh
1. (Sd/-) Secretary
2. (Sd/-) Ghura Singh,
Concerned workman
Sd/-
Presiding Officer,
Central Govt. Industrial Tribunal (No.)
DHANBAD.

Witnesses
1. Sd/- (21-11)
2. Sd/- (21-11-1975)

[No. L 2012/28/74-LRII]

G. C. SAXENA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग—आयकर विभाग)

धनकर आयुक्त, का कार्यालय

पूना, 21 जनवरी, 1976

का० आ० 942:—धनकर अधिनियम 1957 की धारा 42 ए० का अनुसरण करते हुये और लोकहित की दृष्टि से उन निर्धारितियों जिनका कर-निर्धारण वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान, धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीन रु० 10 लाख से अधिक शुद्ध-धन के लिये किया गया है, के नाम तथा नीचे दिये अनुसार अन्य संबंधित विवरण प्रकाशित करना आवश्यक एवं समीचीन मानते हुये केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा उन्हें प्रकाशित करती है :—

क्रम सं०	निर्धारिती का नाम व पता	हैसियत	निर्धारण-वर्ष	विवरणित धन	निर्धारित धन	देय-कर	अदा किया गया कर
1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	कु० शेरु फैमरोज 4, महात्मा गांधी रोड पूना-1	व्यक्ति	1972-73	14,29,400	14,29,400	13,813	13,813
(2)	—वही—	—वही—	1973-74	23,68,600	23,68,600	46,588	46,588
(3)	—वही—	—वही—	1974-75	15,44,500	15,44,500	15,785	15,785
(4)	श्री एफ० के० ईरानी, 2423, ईस्ट स्ट्रीट, पूना	—वही—	1972-73	10,78,900	10,84,200	17,516	17,516
(5)	—वही—	—वही—	1973-74	13,16,300	13,28,400	24,855	24,855
(6)	—वही—	—वही—	1974-75	10,12,800	10,16,500	15,495	15,495
(7)	श्री एफ० ए० ईरानी, 3 महात्मा गांधी रोड, पूना	—वही—	1972-73	11,38,500	11,39,100	19,170	19,170
(8)	—वही—	—वही—	1973-74	10,83,800	10,83,800	17,514	17,514
(9)	—वही—	—वही—	1974-75	10,34,700	10,34,700	16,040	16,040
(10)	श्रीमती डियाना अंकलेसरिया 4 महात्मा गांधी रोड, पुणे	—वही—	1973-74	15,81,900	15,81,900	17,096	17,096
(11)	डैडी सी डैडी 4 प्रीन्स आफ वैल्स ग्राइव्ह पूना	—वही—	1974-75	10,07,600	10,07,600	15,209	15,209
(12)	श्री एस० एन० अंकलेसरिया, 13 मोलेडिना रोड, पूना	—वही—	1974-75	12,21,300	12,21,300	21,680	21,680
(13)	श्री के० ए० ईरानी, 3 महात्मा गांधी रोड, पूना	—वही—	1974-75	11,28,700	11,28,700	18,864	18,864
(14)	श्री सहिजराम मोतीराम, 25 कोरेगांव पार्क, पूना-1	—वही—	1974-75	14,47,645	14,53,500	28,605	28,605
(15)	डा० एन० बी० परुलेकर (स्व०) निष्पादकों के माध्यम से . . . . . 1. डा. (श्रीमती) बी० जे० कोयाजी 2. श्री जसवन्तलाल भटुभाई 3. श्रीमती एस० जी० पी० परुलेकर 4. श्री अरुण जसवन्तलाल 595, बुधवार पेठ, पूना	—वही—	1972-73	9,77,000	11,25,800	18,773	18,773
(16)	श्री साइरस एस० पुनावाला 283, महात्मा गांधी रोड, पूना . . .	—वही—	1973-74	10,48,260	10,48,260	16,448	16,448
(17)	श्री करन सिंह स्वरूप सिंह (स्व०) वैध उत्तराधिकारी श्रीमती रानी नन्दादेवी करन सिंह, शासक रायसिंहपुर इस्टेट, रायसिंहपुर तालुका-अक्कलकुवा जिला-धुलिया . .	—वही—	1960-61	3,26,653	13,08,870	11,633	कुछ नहीं
(18)	—वही—	—वही—	1961-62	कुछ नहीं	13,08,870	11,633	कुछ नहीं

पूना, दिनांक, 17 फरवरी, 1976

[सं० पी० एन० टी० 135/74-75]

सी० एम० वैष्णव, धनकर आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

Office of the Commissioner of Wealth-tax

Poona, the 21st January, 1976

S.O. 942.—In pursuance of Section 42A of the Wealth-tax Act, 1957 the Central Govt. being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to publish the names and other particulars mentioned below relating to assessees who have been assessed under the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) on net wealth exceeding Rs. 10 lakhs (Rs. ten lakhs) during the Financial year 1974-75 the same are hereby published.

S. No.	Name and address of the assessee	Status	Asst. year	Wealth returned	Wealth assessed	Tax payable	Tax paid
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miss Sheroo Framrose, 4 M.G. Road, Poona-1	Individual	1972-73	14,29,400	14,29,400	13,813	13,813
2.	Do.	Do.	1973-74	23,68,600	23,68,600	46,588	46,588
3.	Do.	Do.	1974-75	15,44,500	15,44,500	15,785	15,785
4.	Shri F. K. Irani, 2423, East Street, Poona	Do.	1972-73	10,78,900	10,84,200	17,516	17,516
5.	Do.	Do.	1973-74	13,16,300	13,28,400	24,855	24,855
6.	Do.	Do.	1974-75	10,12,800	10,16,500	15,495	15, 495
7.	Shri F. A. Irani, 3 M.G. Road, Poona	Do.	1972-73	11,38,500	11,39,100	19,170	19,170
8.	Do.	Do.	1973-74	10,83,800	10,83,800	17,514	17,514
9.	Do.	Do.	1974-75	10,34,700	10,34,700	16,040	16,040
10.	Smt. Diana Anklesaria, 4 M.G. Road, Poona	Do.	1973-74	15,81,900	15,81,900	17,096	17,096
11.	Dady C. Dady, 4 Prince of Wales Drive, Poona	Do.	1974-75	10,07,600	10,07,600	15,209	15,209
12.	Shri S. N. Anklesaria, 13, Moledina Road, Poona.	Do.	1974-75	12,21,300	12,21,300	21,680	21,680
13.	Shri K. A. Irani, 3 M.G. Road, Poona	Do.	1974-75	11,28,700	11,28,700	18,864	18,864
14.	Shri Sahijram Motiram, 25 Koregaon Park, Poona-1.	Do.	1974-75	14,47,645	14,53,500	28,605	28,605
15.	Dr. N. B. Parulekar (decd) Thro Executors (1) Dr. (Mrs) B. J. Coyaji, (2) Shri Jaswantlal Matubhai (3) Mrs. S. G. P. Parulekar (4) Shri Arun Jasvantlal, 595 Budhwrr Peth, Poona.	Do.	1972-73	9,77,000	11,25,800	18,773	18,773
16.	Shri Cyras Sdi Poonawala, 283, M.G. Road, Poona.	Do.	1973-74	10,48,260	10,48,260	16,448	16,448
17.	Shri Karansingh Swarupsingh (deceased) L/h Smt. Rani Nandadevi Karansingh Chieftain of Raisingpur Estate, Raisingpur Tal. Akkalkuwa, Dist. Dhulia.	Do.	1960-61	3,26,563	13,08,870	11,633	Nil
18.	Do.	Do.	1961-62	Nil	13,08,870	11,633	Nil

[No. PNT/135/74-75]

C. N. VAISHNAV, Commissioner.

पूना, 16 फरवरी, 1976

का० आ० 943.—धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 42 ए का अनुसरण करते हुये और लोकहित की दृष्टि से उन निधीरितियों जिनका कर-निर्धारण वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान, धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीन रु० 10 लाख से अधिक शुद्ध धन के लिये किया गया है, के नाम तथा नीचे दिये अनुसार अन्य संबंधित विवरण प्रकाशित करना आवश्यक एवं समीचीन मानते हुये केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा उन्हें प्रकाशित करती है :—

क्रम सं०	निर्धारिती का नाम व पता	हैसियत	निर्धारण-वर्ष	विवरणित धन	निर्धारित धन	देय-कर	अदा किया गया कर
1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	श्री पी० एफ० शाह, श्री एफ० पी० शाह के वैध उत्तराधिकारी 55/54 चिपलूणकर रोड, पूना	व्यक्ति	1966-67	36,740	10,15,380	7,308	7,308
(2)	--वही--	--वही--	1967-68	36,740	10,03,519	7,071	7,071
(3)	--वही--	--वही--	1968-69	36,740	10,26,833	7,537	7,537
(4)	--वही--	--वही--	1969-70	36,740	10,33,291	7,832	7,832
(5)	--वही--	--वही--	1970-71	36,740	10,65,095	8,627	8,627
(6)	श्री गौरीशंकर नीलकंठ कल्याणी 49 शिवाजी को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पूना-16	--वही--	1974-75	10,54,500	10,54,500	16,636	16,636
(7)	श्रीमती सुलोचना नीलकंठ कल्याणी 49 शिवाजी को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पूना-16	--वही--	1974-75	10,46,700	10,46,710	16,401	16,401
(8)	श्री टी० सी० के० मैनन कोल्हापुर	--वही--	1970-71	7,51,770	11,50,300	10,757	10,757
(9)	श्री टी० आर० के० मेनन, कोल्हापुर	--वही--	1970-71	7,18,730	10,41,000	9,602	9,602
(10)	सर्वश्री ए० जी० जमसेडेकर, एम० जी० जमसंडेकर श्रीधर जी० जामसंडेकर (स्व० जी० आर० जमसंडेकर का० हि० अ० प०) 1673 ए-वार्ड, कोल्हापुर	हि० अ० प०	1970-71	4,05,000	17,14,000	19,868	19,868
(11)	श्री गणपती पंचायतन संस्था ट्रस्ट, गणपति मन्दिर, सांगली	व्यक्ति	1971-72	कुछ नहीं	25,84,080	75,366	24,999
(12)	श्री चुनीलाल रूपचन्द डाकले श्री रामपुर जिला अहमदनगर	हि० अ० प०	1974-75	52,50,415	59,02,200	4,10,346	4,10,346

[सं० पी० एन० टी० / 135/74-75]

डी० जी० प्रधान, धन-कर आयुक्त

(Office of the Commissioner of Wealth-tax)

Poona, the 16th February, 1976

S.O. 943.—In pursuance of Section 42A of the Wealth-tax Act, 1957, the Central Government being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to publish the names and other particulars mentioned below relating to assessees who have been assessed under the Wealth-tax Act,1957 (27 of 1957) on net wealth exceeding Rs. 10 lakhs during the Financial year 1974-75, the same are hereby published.

S. No.	Name and address of the assessee	Status	Asst. year	Wealth returned	Wealth assessed	Tax payable	Tax paid
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Shri P.F. Shah, l/h of Shri F.P. Shah, 55/54, Chiplunkar Road, Poona	Individual	1966-67	36,740	10,15,380	7,308	7,308
2.	Do.	Do.	1967-68	36,740	10,03,519	7,071	7,071
3.	Do.	Do.	1968-69	36,740	10,26,833	7,537	7,537
4.	Do.	Do.	1969-70	36,740	10,33,291	7,832	7,832
5.	Do.	Do.	1970-71	36,740	10,65,095	8,627	8,627
6.	Shri Gaurishankar Neelkant Kalyani 49 Shivaji Co-op Housing Society, Poona 16	Do.	1974-75	10,54,500	10,54,500	16,636	16,636
7.	Smt. Sulochana Neelkant Kalyani 49 Shivaji Co-op Housing Society, Poona-16	Do.	1974-75	10,46,700	10,46,710	16,401	16,401
8.	Shri T.C.K. Menon, Kolhapur	Do.	1970-71	7,51,770	11,50,300	10,757	10,757
9.	Shri T.R.K. Menon, Kolhapur	Do.	1970-71	7,18,730	10,41,000	9,602	9,602
10.	S/Shri A.G. Jamshandekar, M.G. Jamsandekar Shridhar G. Jamsandekar (HUF of late Shri G.R. Jamsandekar), 1673 A Ward, Kolhapur	HUF	1970-71	4,05,000	17,14,000	19,868	19,868
11.	Shri Ganapati Panchayatan Sanstha Trust, Ganapati Mandir, Sangli	Individual	1971-72	Nil.	25,84,080	75,366	24,999
12.	Shri Chunilal Rupchand Dakle, Shrirampur, Ahmednagar Dist.	HUF	1974-75	52,50,415	59,02,200	4,10,346	4,10,346

[No. PNT/135/74-75]

D. G. PRADHAN, Commissioner of Wealth-tax

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1976.